





प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना | परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश



परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार



प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

जून, 2020

प्रारूपण एवं मुद्रण

मैसर्स रॉयल ऑफिसेट प्रिन्टर्स, ए-89/1, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110 028



गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
MINISTER FOR FISHERIES,
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि मत्स्यपालन क्षेत्र ने वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान 10.88 प्रतिशत की उल्लेखनीय औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है और इसी अवधि के दौरान मत्स्य उत्पादन में 7.53 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की गई। यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान कर रहा है और लगभग 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास की दर से वर्ष 2019–20 में के समुद्री उत्पादों का निर्यात 12.89 लाख मीट्रिक टन तथा मूल्य 46,663 करोड़ रुपये रहा है।

मत्स्यपालन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने हाल ही में मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई) नामक एक नई पलैगशिप योजना प्रारम्भ की है जिसका अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रुपये है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई) मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़ी अनुमोदित योजना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की व्यापक गतिविधियों से यह मत्स्य उत्पादन, जलीय कृषि की उत्पादकता, निर्यात को दुगुना करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने, मछुआरों तथा मत्स्य किसानों की आय को दुगुना करने, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना तथा प्रबंधन, प्रोटोगिकी, गुणवत्ता में क्रिटिकल अन्तर को दूर करने, मूल्य शृंखला, ट्रेसबिलिटी का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, मजबूत मत्स्यपालन प्रबंधन ढांचे और किसान कल्याण की स्थापना करते हुए महत्वकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे आशा है कि यह योजना हितधारकों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाएगी और मत्स्यपालन क्षेत्र को नई बुलन्दियों तक पहुँचाएगी।


मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) की ऑपरेशनल गाइडलाइन को जारी करते हुए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना के उप-घटक / कार्यकलाप—वार पूर्व—अपेक्षाएं, वित्तीय विवरण, प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें प्रत्युत करने के तौर—तरीकों, कार्यान्वयन की पद्धति, पात्रता के मानदण्ड, लाभार्थियों, अंत—कार्यान्वयन एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता की राशि और परियोजना की अवधारणा से लेकर इसके समापन तक के सभी स्तरों को समिलित करते हुए अन्य संगत पहलुओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत मत्स्यपालन क्षेत्र में विशेष रूप से युवा वर्ग में उद्यमिता को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर निवेश का समावेश करने के लिए उद्यमी मॉडल की अवधारणा को शामिल किया गया है।

मैं डॉ. राजीव रंजन, सचिव, मत्स्यपालन विभाग और उनके अधिकारियों की टीम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विस्तृत और यूजर—फ्रेंडली ऑपरेशनल गाइडलाइन को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। मुझे आशा है कि सभी हितधारक, ऑपरेशनल गाइडलाइन की सहायता से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) का फायदा उठाएंगे।

(गिरिराज सिंह)

श्रीमती

प्रताप चन्द्र सरङ्गी
घुचाघ छक्कु शक्का
Pratap Chandra Sarangi



राज्य मंत्री
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी
भारत सरकार

नई दिल्ली-110011
MINISTER OF STATE FOR
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES AND
FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110011

संदेश

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यपालन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत है। मछुआरों, मत्स्य कामगारों और हितधारकों की आर्थिक समृद्धि और उनकी भलाई में भारी वृद्धि की संभावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जीवन्त क्षेत्रों में से एक होने के नाते आज केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को एक जुट होकर इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय क्षेत्र योजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के घटकों के साथ—साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने केन्द्र, राज्यों और लाभार्थियों के बीच एक बेमिशाल साझेदारी उत्पन्न करने और इस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने का मार्ग प्रस्तुत किया है। किसानों की आय को दुगुना करने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखकर, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने संभावित प्रक्रियात्मक बाधाओं तथा हितधारकों के अन्य क्षेत्रों की समस्याओं को सही ढंग से महसूस करके, एक वृहत प्रचालन संबंधी दिशा—निर्देश निकाले हैं जिनमें योजना अनुमोदन के विभिन्न चरणों और अन्य प्रक्रियात्मक बारीकियों के ग्राफीय चित्र दिए गए हैं।

इस योजना को निर्बाध रूप से लागू करने का मूल उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार रूप देना है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत संकलिप्त और समिलित उद्यमी मॉडल से मत्स्यपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, निवेश में सुविधा होगी और युवा वर्ग मत्स्यपालन की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए आकर्षित होगा।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मत्स्यपालन के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रचालन संबंधी दिशा—निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

इस अवसर पर, मैं डॉ. राजीव रंजन, सचिव, मत्स्यपालन विभाग और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत गतिविधियों के ब्यौरों को सही तरीके से दर्शाने के लिए इन प्रचालन संबंधी दिशा—निर्देशों में अथक परिश्रम किया है और बेहद सावधानी बरती है। मैं आशा करता हूँ कि हितधारक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत दिए गए लाभों से लाभान्वित होने तथा परिकलिप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन प्रचालन संबंधी दिशा—निर्देशों का अनुपालन करेंगे।


१५.१.२०२०

(प्रताप चंद्र सारंगी)

Room No. 133, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011, Tel. : 011-23061258, 23063142, Fax : 001-23010324



डॉ राजीव रंजन, आईएएस
सचिव
Dr. Rajeev Ranjan, IAS
Secretary



मत्स्यपालन, पशुपालन, एवं डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Ministry of Fisheries
Animal Husbandry & Dairying
Department of Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi-110 001

प्रस्तावना

भारत में मत्स्यपालन तथा जल कृषि क्षेत्र न केवल भोजन एवं पोषण का एक महत्वपूर्ण और पौष्टिक स्रोत है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से 2.8 करोड़ मछुआरों तथा मछली किसानों, मछली कामगारों तथा मछली विक्रेताओं को और अप्रत्यक्ष रूप से समग्र मूल्य शृंखला के साथ कई करोड़ लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान, राष्ट्रीय सकल संवर्धित मूल्य (जी.वी.ए) में 1.24 प्रतिशत तथा कृषि राष्ट्रीय संवर्धित मूल्य में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हुए, मत्स्यियों ने वर्ष 2014–2019 से 11 प्रतिशत की मजबूत औसत वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मत्स्यपालन और जलकृषि की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने एक नई पलैगशिप योजना यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है जिसका आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रुपये का है। इस योजना का उद्देश्य जहां इस क्षेत्र का सतत एवं जिम्मेदारी पूर्ण विकास करना है, वहीं मछुआरों, मछली किसानों, मछली कामगारों और मछली विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को भी सुनिश्चित करना है। मत्स्यपालन क्षेत्र के इतिहास में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश है। यह योजना वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'एक सर्वोत्कृष्ट योजना' के रूप में लागू कर दी गई है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उभरते हुए मत्स्य-संभावित जिलों में सामुदायिक आवश्यकताओं को चिन्हित करके तथा स्थानीय जानकारी प्राप्त करके और क्षेत्र विशिष्ट सामर्थ्यताओं और सक्षमताओं का सृजन करके केन्द्रित मत्स्यपालन विकास को बढ़ावा देना है।

मत्स्यपालन क्षेत्र की उपलब्धियों को समेकित करने तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत अगले 5 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनमें मछली उत्पादन को 70 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना, जल कृषि उत्पादकता की 3 टन की वर्तमान राष्ट्रीय औसत को बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना, 46,589 करोड़ रुपये (2018–19) के दोगुना मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये तक करना, पोस्ट हार्ड्स्ट की 25 प्रतिशत हानि को घटाकर 10 प्रतिशत करना, 55 लाख लोगों के लिए सतत रोजगार का सृजन करना और मछुआरों तथा मछली-किसानों की आय को दुगुना करना है।

मछली उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने, मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने, मत्स्यपालन तथा पोस्ट हार्ड्स्ट अवसंरचना सृजित करने और मजबूत मत्स्यपालन प्रबंधन तथा विनियामक ढॉचा विकसित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत सामरिक तथा संकेन्द्रित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी समावेश, इष्टतम जल प्रबंधन के जरिए मूल्य शृंखला में क्रिटिकल फासलों को कम करने, "डवतम बतवच चमत कतवच" का लक्ष्य हासिल करने, मछली तथा मछली उत्पादों की गुणवत्ता तथा स्वच्छता में सुधार करने, मूल्य संवर्धित करने, हितधारकों के लिए आर्थिक फायदा पहुंचाने वाली पहलों की मांग-आधारित ब्रांडिंग (इतंदकपदह) तथा विपणन और संवर्धन करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, इस योजना में मत्स्य पालन निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए संवहनीयता और ट्रेसेबिलिटी से 'कैच टू कंज्यूमर' तक प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना में निजी क्षेत्र की सहभागीता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अत्याधुनिक उद्दीय प्रयास किए जा रहे हैं और व्यावहारिक कारोबारी मॉडल के गतिशील विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पी.एम.एम.एस.वाई योजना के अन्तर्गत जहां तक संभव हो, एक कलस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जो आर्थिक व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज को एकीकृत करेगा, संगठित रूप में इस क्षेत्र के विकास तथा विस्तार को गति प्रदान करेगा, समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आपसी तालमेल को बढ़ावा देगा। इस प्रकार इसके परिणामों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) जिसमें पूर्ववर्ती "नीली क्रांति" योजना के महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, के अंतर्गत इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नई गतिविधियों की परिकल्पना की गई है। परिकल्पित नई गतिविधियों में मत्स्ययन जलयान बीमा, मत्स्ययन जलयानोंचौकाओं के नवीनीकृतीन्यन के लिए सहायता, जैविक शौचालय, क्षारीय/लवणीय क्षेत्रों में जलकृषि, सागर मित्रों, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफ.एफ.पी.ओ.)/कंपनियों, न्यूकिल्यस प्रजनन केन्द्रों, मत्स्यपालन और जलकृषि स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर, एकीकृत जलीय पार्कों, एकीकृत तटीय मत्स्ययन ग्रामों का विकास, जलीय प्रयोगशाला नेटवर्क और सेवा विस्तार, ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन तथा प्रत्यायन, पुनःसंचारी जलकृषि प्रणाली (आर.ए.एस.), बायोफलॉक और केज कल्चर, ई-ट्रेडिंग/मार्केटिंग मात्रियकी प्रबंधन योजनाओं और फिशरीज डाटा बेस का सृजन आदि शामिल है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री-शैवाल (मूँममक) कृषि, सजावटी (Ornamental) मत्स्य पालन, ठंडे पानी (Cold water) में मत्स्यपालन जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और उच्च कोटि के ब्लड, बीज, चारा उत्पादन और मत्स्य प्रजातियों की विविधता के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, एक सुसंगठित कार्यान्वयन ढाँचे का निर्माण किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राज्यध्यांघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाईयों, अत्यधिक मत्स्यपालन के संभावित जिलों में जिला कार्यक्रम इकाईयों और उप-जिला कार्यक्रम इकाईयों की स्थापना जैसे संस्थागत व्यवस्था, एकीकृत जिला मत्स्यपालन विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए जिला स्तरीय समितियों (डी.एल.सी) का गठन राज्य मत्स्य पालन विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने, अनुमोदन की फास्ट-ट्रैकिंग आदि के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन तथा निगरानी समितियों का गठन शामिल है।

मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) अपने विभिन्न तथा अत्याधुनिक मत्स्य पालन गतिविधियों के विस्तृत दायरे में इस क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभप्रद और सतत रोजगार के अवसर सृजित करने में उल्लेखनीय योगदान करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्राप्त होगी और सभी हितधारकों की आर्थिक समृद्धि होगी।

इस संबंध में, मैं सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने मत्स्यपालन कार्यक्षेत्र को अगले स्तर तक ले जाने तथा इस क्षेत्र और देश के समग्र विकास के प्रति योगदान करने के लिए इस विस्तृत एवं व्यापक परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में निहित पी.एम.एस.वाई के प्रावधानों का लाभ उठाएं।

मैं माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, तथा माननीय राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) तथा इसके प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के निर्धारण में अपना सतत सहयोग तथा मार्ग-दर्शन दिया है।

मैं, डॉ. जे. बालाजी, संयुक्त सचिव (समुद्री मात्रियकी) तथा श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (अन्तर्राष्ट्रीय मात्रियकी), श्री शंकर एल, संयुक्त आयुक्त (मात्रियकी) तथा अन्य अधिकारियों और मत्स्यपालन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के ऐसे विस्तृत और प्रयोक्ता-अनुकूल, निदेशात्मक तथा वृहद प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को प्रकाशित करने में कठिन परिश्रम और अथक प्रयास किया है।

राजीव रंजन

(डॉ राजीव रंजन)

विषय सूची

अध्याय —1

1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)	6
3.	विजन	6
4.	लक्ष्य और उद्देश्य	6
5.	निधियन पद्धति	6
5.1	केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस)	6
5.2	केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस)	6
6.	निवेश	8
7.	एण्ड कार्यान्वयन अभिकरण (ई.आई.ए.एस)	8
8.	लाभार्थी	8
9.	लागू करने की पद्धति	8
9.1	केन्द्र सरकार स्तर पर संस्थागत ढाँचा	8
9.1.1	केन्द्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी)	8
9.1.2	परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी)	9
9.1.3	परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई (पी.एम.ई.यू)	9
9.1.4	परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू)	9
9.2	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरीय संस्थागत ढाँचा	10
9.2.1	जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.)	10
9.2.2	राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.)	10
10.	कन्वर्ज़ेंस	14
11.	रोजगार सृजन की संभावना सहित प्रमुख प्रभाव	15
12.	गतिविधियों की सूची	16
13.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	16
14.	निवेश—पूर्व गतिविधियाँ	17
15.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता और अपीलीय प्रक्रिया	17
16.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में नोडल विभाग	18
17.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता के लिए लागत मानदंड	19
18.	प्रशासनिय व्यय	19
19.	विस्तृत लागत आंकलन	20
20.	भूमि और जलाशय	21
21.	वेधानिक मंजूरी	22
22.	समावेशी विकास	22
23	प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना	22

24	वित्तीय सहायता जारी करने की पद्धति	23
25	निगरानी और मूल्यांकन	23
26	सुविधाओं का विकासोत्तर प्रबंधन	24
27	पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) और व्यवहार्य अन्तराल निधियन (वी.जी.एफ)	24
28.	विशेष प्रयोजना वाले वाहन (एस.पी.वी.एस) संस्था, समितियाँ जिनमें संयुक्त उद्यम कंपनी (जे.वी.सी.एस) मत्स्य कृषि उत्पादक संगठन / कम्पनी (एफ.एफ.पी.ओ.एस / सी.एस.) और अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।	25
29.	सी.एस.एस. नीली क्रांति की प्रतिबद्ध वित्तीय देयताएँ	25
30.	प्रौद्योगिकी	26

अध्याय—2

1.	पी.एम.एम.एस.वाई के लिए मूलाधार	27
2.	रणनीति	28
	I. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	29
	II. अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन	33
	III. मात्रियकी प्रबंधन और विनियामक ढांचा	34

अध्याय—3

अनुबंध—I	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत 100% केन्द्रीय निधि के साथ केन्द्रीय सैकटर योजना उपघटक गतिविधियाँ—	37
अनुबंध—II	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय प्रायोजित घटकों के अन्तर्गत लाभार्थी उन्मुख उप-घटक और गतिविधियाँ	51
अनुबंध—III	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की केन्द्रीय प्रायोजित घटकों के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख गतिविधियाँ	99
अनुबंध—IV	केन्द्रीय शीर्ष समिति के गठन से संबंधित आदेश	121
अनुबंध—V	परियोजना मूल्यांकन समिति के गठन से संबंधित आदेश	124
अनुबंध—VI	परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई के सृजन का आदेश	126
अनुबंध—VII	परियोजना निगरानी इकाई के सृजन का आदेश	128
अनुबंध—VIII	पी.एम.एम.एस.वाई. के लिए राज्य स्तर / संघ राज्य क्षेत्र स्तर अनुमोदन और निगरानी समिति एवं जिला स्तर समिति (डी.एल.सी.)	130
अनुबंध—IX	पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत मासिक कार्यालय खर्चों सहित उप-जिला स्तरीय संस्थागत प्रबंध राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (यू.टी.पी.यू.), जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित संविदात्मक जनशक्ति का व्यौरा।	133
अनुबंध—X	प्रमाण पत्र (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित परियोजना के अलावा अन्य परियोजना)	135
अनुबंध—XI	प्रमाणपत्र / (राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं)	136
अनुबंध—XII	क उपयोग प्रमाणपत्र फार्म (राज्य सरकारों के लिए)	137
अनुबंध—XII	ख अनुदानग्राही संगठन के स्वायत निकायों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र का प्रारूप:	138

संक्षिप्त रूप

ए.आर.एल.	: जलीय रेफरल प्रयोगशाला
सी.ए.सी.	: केन्द्रीय शीर्ष समिति
सी.एस.	: केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
सी.एस.एस.	: केन्द्रीय प्रायोजित योजना
डेयर	: कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
डी.ए.टी.	: विपत्ति अलर्ट ट्रांसमीटर
डी.एल.सी.	: जिला स्तरीय समिति
डी.ओ.एफ.	: मत्स्यपालन विभाग
डी.पी.आर.	: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.पी.यू.	: जिला कार्यक्रम इकाई
ई.ई.जैड.	: अनन्य आर्थिक क्षेत्र
ई.आई.ए.एस.	: एण्ड कार्यान्वयन एजेंसी
एफ.एफ.पी.ओ.एस. / सी.एस.	: मत्स्य किसान उत्पादक संगठन / कम्पनी
एफ.एच.	: मत्स्यन बंदरगाह
एफ.एल.सी.	: मछली लैंडिंग केन्द्र
एफ.वाई.	: वित्त वर्ष
जी.ओ.आई.	: भारत सरकार
जी.वी.ए.	: सकल मूल्य वर्धित
आई.ए.पी.	: एकीकृत एक्वा पार्क
आई.एन.सी.ओ.आई.एस.	: भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र
इसरो	: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई.टी.	: सूचना प्रौद्योगिकी
जे.एल.जी.	: संयुक्त देयता समूह
के.सी.सी.	: किसान क्रेडिट कार्ड
एम.सी.एस.	: मानिटॉरिंग, नियंत्रण और निगरानी
मनरेगा	: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम.आई.एस.	: प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.पी.ई.डी.ए.	: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एन.ई.	: पूर्वोत्तर
एन.एफ.डी.बी.	: राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड
एन.आर.एम.एल.	: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
ओ.आई.ई.	: विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन
पी.ए.सी.	: परियोजना मूल्यांकन समिति
पी.एफ.जैड.	: मात्रियकी के संभावित क्षेत्र

पी.एल.	:	पोस्ट लार्वे
पी.एम.ई.यू	:	परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई
पी.एम.एम.एस.वाई.	:	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
पी.एम.यू.	:	परियोजना निगरानी इकाई
पी.पी.पी.	:	पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी
क्यूआई.पी.	:	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
आर.के.वी.वाई.	:	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
एस.सी.	:	अनुसूचित जाति
एस.सी.पी	:	स्वतः पूर्ण प्रस्ताव
एस.एफ.डी.बी.	:	राज्य मात्स्यकी विकास बोर्ड
एस.एच.जी.	:	स्वयं सहायता समूह
एस.एल.ए.एम.सी.	:	राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति
एस.टी	:	अनुसूचित जनजाति
यू.सी.	:	उपयोग प्रमाणपत्र
यू.एस.डी.	:	यूनाइटेड स्टेट डॉलर
यू.टी.	:	संघ राज्य क्षेत्र
वी.जी.एफ.	:	व्यवहार्य अंतराल निधियन
वी.एच.एफ.	:	उच्च आवृत्ति

पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्रियकी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो संधारणीय और दायित्वपूर्ण तरीके से देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि तथा उनकी खुशहाली और देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

विजन

अध्याय १



प्रस्तावना

- 1.1 भारत विश्व के सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाले देशों में से एक है और वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा 7.58 प्रतिशत है। इसका भारत के सकल मूल्य वर्धित में 1.24 प्रतिशत और कृषि सकल मूल्य वर्धित में 7.28 प्रतिशत (2018–19) का योगदान है। मात्स्यकी और जलकृषि लाखों लोगों के भोजन, पोषाहार आय और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र की वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान 10.88 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से शानदार वृद्धि दर्शायी है। मत्स्यपालन क्षेत्र की जी.वी.ए की वृद्धि दर और राष्ट्रीय जी.वी.ए की वृद्धि दर के बीच तुलना को सारणी-1 और ग्राफ-1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 (ग्राफ-2) तक भारत ने मछली उत्पादन में 7.53 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है और 2018–19 (अनंतिम) के दौरान 137.58 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन के साथ शिखर पर रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान (ग्राफ-3) समुद्री उत्पाद का निर्यात 13.93 लाख मीट्रिक टन और 48.589 करोड़ रुपये 6.73 बिलियन यू.एस.डॉलर) रहा जो हाल के वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर रहा।
- 1.2 समुद्री मात्स्यकी की संभावना का अनुमान 5.31 मिलियन टन रखा गया है जबकि वर्ष 2018–19 (अनंतिम) के दौरान 4.17 मिलियन टन वर्तमान उत्पादन है (जो कि अनुमानित संभावना का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा है) और इसकी गतिविधियों देश के विशाल तटीय क्षेत्र में 2.02 मिलियन वर्ग कि.मी. के कॉटिनेण्टल क्षेत्र में फैला है। इसके अतिरिक्त, विविध अन्तर्देशीय मात्स्यकी संभावना संसाधनों के रूप में भी है जो नदियों और नहरों (1.95 लाख कि.मी.) वाली झीलों (8.12 लाख हेक्टेयर) तालाब और टैंक (24.1 लाख हेक्टेयर) लवणीय/क्षारीय प्रभावित क्षेत्र (12 लाख हेक्टेयर) के रूप में फैला है। वर्ष 2018–19 (अनंतिम) के दौरान 9.58 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्तमान में लगभग 17 मिलियन टन के अनुमानित मछली उत्पादन संभावना है। (कुल संभावना का

56.3 प्रतिशत दोहन हुआ है)

- 1.3 मत्स्यपालन और जल कृषि लगातार लाखों लोगों की आय विशेषकर, ग्रामीण जनसंख्या, की आय, रोजगार, पोषण, खाद्य का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। वास्तव में, इस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर लगभग 28 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को और इसी मूल्य श्रृंखला के साथ लगभग दोगुने लोगों की जीविका प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। मछली सर्ती और किफायती होने और पशु प्रोटीन का भरपूर स्रोत होने के नाते, यह भूख और पोषण संबंधी कमी को दूर करने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आय को बढ़ाने, भरपूर क्षमताओं और हिस्सेदारों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की असीम संभावना है। अतः यह आवश्यक है कि नीतिगत और वित्तीय सहयोग के माध्यम से मात्स्यकी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र का सतत, दायित्वपूर्ण और समान रूप से समावेशी विकास हो सके।

* इस समय अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की संभाव्य क्षमता की समीक्षा की जा रही है। प्रौद्योगिकी समावेश उत्पादकता के दायरे को बढ़ाने क्षेत्र विस्तार करने और विविधता आदि लाने से उम्मीद की जाती है कि जो 17 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया था उससे उत्पादन कहीं ज्यादा होगा।

- 1.4 उसके अतिरिक्त अधिकांश अधिसंख्य मछुआरे लोग विशेषकर लघुस्तरीय तथा निर्वाही मछली पकड़ने वाले लोग मत्स्यपालन क्षेत्र पर निर्भर हैं और लगातार सामाजिक आर्थिक विकास के राष्ट्रीय सूचकांकों के पीछे खड़े हैं। अतः इस हाशिए पर रहने वाले और महत्वपूर्ण समुदाय की गरीबी और पिछड़ेपन में सुधार के लिए अपेक्षित प्रेरणा दिए जाने और उनके सम्पूर्ण कल्याण और समग्र विकास की आवश्यकता है।

- 1.5 मत्स्यपालन के विकास की असीम संभावना को देखते हुए, और इस क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने के लिए भारत सरकार ने मई, 2020 में सर्वत्कृष्ट योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम. एम.एस.वाई.) को अनुमोदित किया है – यह एक


ऐसी योजना है जो भारत के मात्स्यकी क्षेत्र के संधारणीय और दायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति योजना का आगाज करेगी। इसका अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रुपये है जिसमें (i) 9407 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा (ii) 4880

करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा औ (iii) 5763 करोड़ रुपये लाभार्थियों का हिस्सा शामिल है। इसका कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंकड़े-1) में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा (आंकड़े-I में दिए गए हैं)।


सारणी –1 मत्स्यपालन क्षेत्र की जी.वी.ए. और राष्ट्रीय जी.वी.ए. की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (स्रोत – एम.ओ.एस.पी.आई)

सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का मत्स्यपालन क्षेत्र में वृद्धि दर (%) (स्थिर मूल्य: 2011-12)

वर्ष	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि-दर (मत्स्यपालन क्षेत्र)	औसत वृद्धि दर(%) (मत्स्यपालन क्षेत्र)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि-दर (राष्ट्रीय)	औसत वृद्धि दर (%) (राष्ट्रीय)
2009-10	3.53	5.27	6.86	6.32
2010-11	5.54		8.03	
2011-12	5.20		5.22	
2012-13	4.90		5.42	
2013-14	7.18		6.05	
2014-15	7.51		7.15	
2015-16	9.70		8.03	
2016-17	10.45		7.97	
2017-18	14.68		6.59	
2018-19	12.05		6.04	7.16




ग्राफ-1 मत्स्यपालन क्षेत्र के जी.वी.ए. की वृद्धि दर और राष्ट्रीय जी.वी.ए. (स्रोत – एम.ओ.एस.पी.आई)



ग्राफ –2 – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत में मछली उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)



ग्राफ –3 वर्ष 2008-09 से वर्ष 2018-19 तक भारत के समुद्री सी फूड के निर्यात की प्रवृत्ति (दरों में रुपये)



क्रियान्वयन अनुसूची– 5 वर्ष (2020-21 से 2024-25 तक)

आंकड़े– 1: पी.एम.एम.एस.वाई. का व्यौरा और कार्यान्वयन अनुसूची

2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.)

- 2.1 पी.एम.एस.वाई. योजना को मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य शृंखला का सुदृढ़ीकरण, ट्रेसबिलिटी केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रबंधन ढांचा और मछुआरा कल्याण की स्थापना के विकट फैसले को दूर करने के लिए तैयार गई है।
- 2.2 पी.एम.एस.वाई. एक अंब्रेला योजना जिसमें दो अलग घटक हैं अर्थात् (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.) केन्द्रीय प्रायोजित योजना घटक को पुनः निम्नलिखित 3 शीर्षों के साथ गैर-लाभार्थी-उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:
- (i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
 - (ii) अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन
 - (iii) मात्स्यकी प्रबंधन और विनियामक ढांचा
- 2.3 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना कुल 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अनुमोदित की गई है जिसमें 9407 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा, 4880 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा और 5763 करोड़ रुपये का लाभार्थियों का हिस्सा शामिल है (आंकड़े-1)।
- 2.4 पी.एम.एस.वाई. योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

3. विज्ञ

पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यकी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो संधारणीय और दायित्वपूर्ण तरीके से देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि तथा उनकी खुशहाली और देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करती है।

4. लक्ष्य और उद्देश्य

- 4.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- (क) एक धारणीय, जिम्मेदार समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मात्स्यकी की क्षमता का दोहन

- (ख) भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- (ग) मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण-पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार
- (घ) मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगना करना और रोजगार सृजन
- (ड.) कृषि सकल मूल वर्धित और निर्यात में योगदान बढ़ाना
- (च) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा
- (छ) मजबूत मात्स्यकी प्रबंधन और नियामक ढांचा

5. निधियन पद्धति

5.1 केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.)।

- (क) केंद्र सरकार द्वारा समस्त परियोजना/इकाई लागत वहन की जाएगी (अर्थात् शत-प्रतिशत केन्द्रीय निधियन)।
- (ख) राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड सहित केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष लाभार्थी-उन्मुख अर्थात् व्यक्ति/समूह की गतिविधियाँ शुरू जाती हैं, वहाँ केन्द्रीय सहायता सामान्य श्रेणी के लिए युनिट/परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी के लिए 60% तक दी जाएगी।

5.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)

- 5.2.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस घटक के अन्तर्गत गैर-लाभार्थी-उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों के लिए, कुल परियोजना/इकाई लागत को केंद्र और राज्य के बीच अंशदान को निम्नानुसार बांटा जाएगा:

- (क) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य : केंद्र का हिस्सा 90 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत।
- (ख) अन्य राज्य: केन्द्रीय हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40%।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा वाले और विधानपरिषद वाले): केंद्रीय हिस्सा 100%।

5.2.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस. लाभार्थी—उन्मुख अर्थात् युनिट/समूह गतिविधियों उप-घटक/गतिविधियों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को सात मिलाकर सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना/इकाई लागत का 40 प्रतिशत और अनु.जाति/अनु.ज.जाति/महिलाओं के लिए परियोजना/युनिट लागत का 60 प्रतिशत होगा। केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच सरकारी वित्तीय सहायता का अनुपात नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगा:-

- (क) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों 90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा और 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा
- (ख) अन्य राज्य: 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा और 40 प्रतिशत राज्य का हिस्सा।
- (ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा वाले और बिना विधानसभा वाले): 100% केंद्रीय हिस्सा (संघ राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा नहीं)।

उदाहरण— यदि परियोजना की लागत 1 लाख रुपये है, तो केन्द्र और राज्य दोनों के लिए सरकारी सहायता सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 40 हजार रुपये तथा और अनु.जा./अनु.ज.जाति/महिलाओं के लिए 60 हजार रुपये होगी। शेष राशि लाभार्थी का हिस्सा होगी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सरकारी सहायता केन्द्र और राज्यों के बीच पूर्वोत्तर और हिमालयीन राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में होगी। जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा वाले और बिना विधानपरिषद वाले) का संबंध है, समस्त सरकारी सहायता 100% अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

5.2.3 पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत मत्स्य प्रतिबंध/मंदी अवधि के दौरान मत्स्यपालन संसाधनों के संरक्षण के लिए इकाई कार्यपालक अर्थात् सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, सक्रिय पारम्परिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायदता प्रदान की जा रही है जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना सी.एस.एस.— नीली क्रांति योजना: एकीकृत मत्स्यपालन बचत—सह—राहत घटक के मानक दिशा—निर्देश और फंडिंग स्वरूप के अनुसार है। तदनुसार पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत सूचीबद्ध लाभार्थी

के लिए 3000/- रुपये की सरकारी सहायता र निम्नानुसार शेयर की जाएगी:-

- (क) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए: 80% केंद्रीय सहायता और 20% राज्य का हिस्सा
- (ख) अन्य राज्यों के लिए: 50% केंद्रीय हिस्सा और 50% राज्य का हिस्सा।
- (ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा वाले और बिना विधानपरिषद): 100% केंद्रीय हिस्सा

5.2.3.1 इस घटक के अन्तर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध लाभार्थी के लिए 1500/- रुपये वार्षिक योगदान अपेक्षित है। लाभार्थी मछुआरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित बैंक में वार्षिक रूप से मछली पकड़ने के सीजन के दौरान 9 माह की अवधि में 1500/- रुपये की बचत करेंगे। मत्स्यपालन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस गतिविधि के सटीक कार्यान्वयन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तौर—तरीके तैयार करेंगे। एक—दो माह तक एकमुश्त आधार पर लाभार्थी के अंशदान में छूट दी जा सकती है।

5.2.3.2 पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत इस गतिविधि के लिए शेयरिंग का स्वरूप संक्षिप्त रूप से नीचे की तालिका में दिया गया है:

5.2.3.3 ऊपर दर्शाई गई 4500/- रुपये की संचयी राशि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से 3 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष नामांकित लाभार्थियों में संवितरित की जाएगी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियन का स्वरूप	योगदान
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्रीय हिस्सा	(i) 50:50 केन्द्र और केन्द्र का हिस्सा 1500 सामान्य राज्य	रुपये + राज्य का हिस्सा 1500 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500 रुपये = 4500 रुपये/- प्रतिवर्ष
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	(i) 80:20 केन्द्र और केन्द्र का हिस्सा 2400 पूर्वोत्तर और हिमालयी रुपये + राज्य का हिस्सा 600 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500रुपये = 4500 रुपये/- प्रतिवर्ष।	
संघ राज्य क्षेत्र	संघ राज्य क्षेत्रों केन्द्र का हिस्सा 3000 (विधानसभा वाले और रुपये + लाभार्थी का बिना विधानपरिषद वाले हिस्सा 1500 रुपये = के लिए केन्द्रीय हिस्सा 4500 रुपये/- प्रतिवर्ष।	

6. निवेश

6.1 वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पी.एम.एस.वाई.योजना को लागू करने के लिए, 20,050 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया है जिसमें (क) 9,407 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा, (ख) 4,880

^I र ^R
करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा और (ग) 5,763 करोड़ रुपये का लाभार्थियों की हिस्सेदारी का आंकलन किया गया है।

6.2 वित्तीय आंकलन का ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	घटक	कुल (रुपये करोड़ में)	केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ रु. में)	राज्य हिस्सा (करोड़ रु.में)	लाभार्थी योगदान (करोड़ रु. में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
क	केंद्रीय क्षेत्र योजना	1720.00	1720.00	शून्य	शून्य
ख	केंद्रीय प्रायोजित योजना	18,330.00	7687.00	4880.00	5763.00
	ख 1. लाभार्थी—उन्मुख गतिविधियां	11,990.00	3878.00	2349.00	5763.00
	ख 2. गैर—लाभार्थी—उन्मुख गतिविधियां	6340.00	3809.00	2531.00	शून्य
	योग (क और ख)	20,050.00	9407.00	4880.00	5763.00

7. एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियॉ (ई.आई.ए.)

- 7.1 पी.एम.एस.वाई. योजना निम्नलिखित एजेंसियॉ के माध्यम से लागू की जाएगी:-
- केंद्र सरकार और इसकी संस्थाएँ जिनमें राष्ट्रीय मात्रिकी विकास बोर्ड शामिल है।
 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और उनकी संस्थाएँ
 - राज्य मात्रिकी विकास बोर्ड
 - मत्स्यपालन विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसी

8. लाभार्थी

- 8.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आशायित लाभार्थी निम्नलिखित हैं:
- मछुआरे
 - मत्स्यन किसान
 - मत्स्यन श्रमिक और मत्स्यन विक्रेता
 - मत्स्य विकास निगम
 - मात्रिकी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एस.एच. जी.)/संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
 - मत्स्यपालन सहकारिताएं
 - मत्स्यपालन संघ
 - उद्यमी और निजी फर्में

- (ix) मत्स्य किसान उत्पादक संगठन/कंपनियॉं (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)
- (x) अनु.जा. / अनु.ज.जा. / महिला / दिव्यांग व्यक्ति
- (xi) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएँ जो इनमें शामिल हैं
- (xii) राज्य मत्स्यपालन विकास बोर्ड (एस.एफ. डी.बी.)
- (xiii) केंद्र सरकार और उसकी संस्थाएं।

9. लागू करने की पद्धति

- 9.1 केन्द्रीय सरकार स्तर पर संस्थागत ढांचा
- 9.1.1 केन्द्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी.)
- पी.एम.एस.वाई. योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी.) का गठन किया जाए जिसमें मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों सहित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के भी सदस्य रखे जाएँ जो निगरानी और समीक्षा के साथ-साथ पी.एम.एस.वाई. योजना के समग्र कार्यान्वयन का कार्य देखेंगे।
 - तदनुसार सचिव, मत्स्यपालन विभाग भारत

सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2020 को एक केन्द्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी.) का गठन किया गया है जो इसकी

जे—1172 123/2020—एफ.वाई. दिनांक 23 जून, 2020 संलग्न जिसमें पी.ए.पी. की संरचना तथा विचारार्थ विषयों पर उल्लेख

- है कि राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) के अन्दर डोमेन विशेषज्ञों से युक्त एक परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) गठित किया जाएगा। जिससे नियमित आधार पर पी.एम.एस.वाई. की परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी की जा सके।
- (ii) तदनुसार, नियमित आधार पर पी.एम.एस.वाई. की परियोजना/गतिविधियों की निगरानी के लिए दिनांक 23.06.2020 को एक समिति गठित की गई है। मत्स्यपालन विभाग के आदेस सं. जे-117012-3 / 2020 / एफ. वाई दिनांक 23 जून, 2020 में पी.एम.इ.यू. की संरचना तथा विचारार्थ विषयों के बारे में बताया गया है। जिसे अनुबंध-टा। में दिया गया है।
- 9.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा
- 9.2.1 जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.)
- (i) पी.एम.एस.वाई में पी.एम.एस.वाई की निगरानी और पर्यवेक्षण सुचारू रूप से कार्यान्वयन, वार्षिक जिला मात्रियकी प्लान के अनुमोदन और तैयारी के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में संचालित जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) का गठन किए जाने के प्रावधान किया गया है।
 - (ii) पी.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन में जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाए, डी.एल.सी और जिला मात्रियकी स्थापन को सहयोग करने के लिए आवश्यक सहयोग ढांचे के साथ जिला कार्यक्रम इकाई का गठन किया जाए।
 - (iii) इसके अतिरिक्त डी.पी.यू. को सहयोग करने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उपजिला स्तर पर आवश्यक संस्थागत प्रबंध को सृजित किया जाएगा। ऐसे संस्थागत प्रबंधन की स्थापना के लिए जिलों की पहचान हेतु जिला मत्स्यपालन संभावना, मछुआरों की जनसंख्या, पिछऱ्हापन जैसे कुछ मानदण्ड होंगे।
 - (iv) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेन्सियों जिनके

- बारे में मत्स्यपालन विभाग के पत्र संख्या जे-117012-2 / 2020-एफ.वाई, दिनांक 8 जून 2020 में बताया गया है डी.एल.सी. के मॉडल, संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में अनुबंध-VIII में दिया गया है।
- (v) जिला स्तरीय समिति की माडल संरचना भूमिका और निबन्धन शर्तों के अनुसार जिम्मेदारियों की जानकारी जिला स्तर पर मत्स्यपालन विभाग के पत्र संख्या जे-117012-2 / 2020-एफ.वाई, दिनांक 8 जून, 2020 के इन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा एण्ड कार्यान्वयन एजेन्सियों को दी गई है जो अनुबंध-VIII में संलग्न है।
- 9.2.2 राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.)
- (i) पी.एम.एस.वाई में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों के मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठतम प्रभारी सचिव अध्यक्षता में पी.एम.एस.वाई के सुचारू रूप से कार्यान्वयन और उसके पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.) गठित की जाएगी (ऐसी ही समिति संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् यूटी.एल.ए.एम.सी., में गठित की जाएगी)। जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी भी शामिल हैं।
 - (ii) एस.एल.ए.एम.सी. सभी जिला योजनाओं को समेकित करेगी संघ/राज्य मत्स्यपालन वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और वित्तीय स्वरूप पी.एम.एस.वाई. के परिचालन संबंधी मार्ग निर्देशों एवं लागत मानकों के अनुसार इसमें शामिल परियोजनाओं प्रस्तावों को अनुमोदित करेगी और इसे पी.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत आरंभ करने के लिए संस्तुत करेगी।
 - (iii) एस.एल.ए.एम.सी. पर राज्य/संघ राज्य स्तर पर पी.एम.एस.वाई. के सुचारू रूप से कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए राज्य मत्स्यपालन योजना, मत्स्यपालन विकास संबंधी प्रस्तावों की समग्र उत्तरदायी होगी।

- (iv) राज्य स्तर पर पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मत्स्यपालन संस्थाओं एस.एल.ए.एम.सी. की सहायता करने के लिए आवश्यक सपोर्ट ढांचे के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू.) संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (यूटी.पी.यू.) गठित की जाएगी।
 - (v) एस.एल.ए.एम.सी. की मॉडल रचना, विचारार्थ विषय और अन्य निबंधन शर्तों की सूचना मत्स्यपालन विभाग के पत्र सं. जे.-117012-2/2020-एफ.वाई. दिनांक 8 जून, 2020 के माध्यम से संप्रेषित/परिचालित की गई हैं जो अनुबंध-VIII में दी गई है।
 - (vi) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने एस.एल.ए.एम.सी./यूटी.एल. एम.एम.सी. का मॉडल रचना, विचारार्थ विषय और अन्य निबंधन शर्तों के अनुसार गठित करेगी जिसे मत्स्यपालन विभाग के पत्र सं. जे-117012-2/2020-एफ.वाई दिनांक 8 जून, 2020 के माध्यम से संप्रेषित/परिचालित किया गया है।
- 9.3 ऐसी समितियों/निकायों द्वारा सी.ए.सी. की भी सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें मत्स्यपालन विभाग द्वारा इसकी भूमिका और दायित्वों के सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए गठित किया गया हो।
- 9.4 मत्स्यपालन विभाग में सी.एस.सी., सी.ए.सी. और पी.एम.ई.यू., एन.एफ.डी.बी., पी.ए.सी. और पी.एम.यू., राज्यध्यंसंघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एस.पी.यू./यूटी.पी.यू. में चयनित जिलों में डी.पी.यू. और संस्थागत प्रबंध/ढांचे की व्यवस्थाओं और संरचनाओं जैसी संस्था व्यवस्थाओं/ संरचनाओं जैसे का प्रचालन संबंधी व्यय/उप जिला स्तर पर अवश्यकता आधारित संस्थागत पी.एम.एस.वाई. के प्रशासनिक खर्च से वहन किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त संस्थागत प्रबंधधंडांचे की स्थापना और प्रचालन लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे (क) कार्यालय व्यय सहित संविदा आधार पर न्यूनतम जनशक्ति की हायर लागत भत्ता आदि (ख) न्यूनतम अवसंरचना सुविधाएं जिनमें फर्नीचर, कम्प्यूटर/लैपटाप, प्रिंटर, साप्टवेयर आदि हैं।

- 9.5 राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू.), जला क योग्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) और उप-जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था संचालित करने के लिए संविदा जनशक्ति की सेवाओं को हायर करने के लिए जनशक्ति की नामावली और उनका वेतन पारिश्रमिक और पात्रता संबंधी मानदण्ड आदि को अनुबंध-IX में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पूर्णतः संविदा आधार पर रखे गए इनका कर्मिकों की सेवाएं पारदर्शी तरीके से लेगी जिनमें वे राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों की संहितावद्व औपचारिकताओं ओर विहित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी। पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत जनशक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार सह-टर्मिनस होगी इसके अतिरिक्त पी.एम.एस.वाई योजना के अन्तर्गत संविदा आधार पर रखे गए कार्मिकों की नियुक्ति मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार या राज्यध्यंसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों में किसी भी समय उनके नियमितीकरण या जारी रखने का दावा या अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के कार्यान्वयन अवधि में संविदा जनशक्ति की नियुक्ति तथा सेवा को जारी रखा जाना उनके संतोषप्रद कार्य निष्पादन के अधीन होगी और इसे किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियोजन प्राधिकारी (राज्य/संघ राज्य) द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक राज्य में एस.पी.यू./यूटी.पी.यू. और डी.पी.यू. के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य संविदा पर विवरण किये गए कार्मिकों के संबंध में अलग से निर्देश जारी करेगा। ऐसे जिलों की संख्या जहाँ डी.पी.यू. की स्थापना की जानी है, वहाँ के नियोजन, जॉब विवरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उप-जिला स्तर पर पी.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत संस्थागत प्रबंध/ढांचे की स्थापना मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कुछ संभावित जिलों में पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के केवल दूसरे वर्ष में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही पी.एम.एस.वाई. या.यू. ऐसे चिन्हित जिलों में जिलों में केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मत्स्यपालन विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की गई पहल भी शामिल हैं।
- 9.6 प्रत्येक संस्थागत प्रबंध ढांचे के लिए कार्यालय मासिक व्यय प्रदान किया जाएगा जिसे अनुबंध-IX

में दर्शाया गया है।

- 9.7 मत्स्यपालन विभाग सी.ए.सी की सिफारिश के आधार पर पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय

सृजित करने, विकास के गति देने और संगठित तरीके से इस क्षेत्र का विस्तार करने, नतीजे को बढ़ाने के लिए संभावित सीमा तक, 'कलस्टर या एरिया बेर्सड एप्रोच को अपनाना होगा जब तक लाभार्थी—उन्मुख घटकों/गतिविधियों को अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा रहा हो। इस तरह दृष्टिकोणों के लिए कुछ विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं (i) खारे जल, जल कृषि (ii) समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री कृषि, (iii) दूना जैसे संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मात्रियकी का विकास, (iv) शीत जल मत्स्यपालन (iv) लवण/क्षारीय क्षेत्रों के उत्पादक उपयोग द्वारा जलीय कृषि का विकास (v) जलाशयों का एकीकृत विकास, आदि। इस दृष्टिकोण के तहत, गतिविधियों को गैर—लाभार्थी—उन्मुख उप—घटकों/पी.एम.एस.वाई. की गतिविधियों और के साथ समेकित रूप से जाड़ना शुरू किया जाएगा और केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का पर्यात्करण किया जाएगा।

- 9.16 पी.एम.एस.वाई. के विभिन्न व्यक्तिगत उप—घटकों/गतिविधियों को समेकित किया जा सकता है और जहाँ कहीं संभव हो अंतिम लक्ष्य प्राप्ति करने तक उत्पादन और परिणामों को अधिक से अधिक पैकज किया जा सकता है और मत्स्यपालन उधमशीलता और अभिनव प्रयोगों तथा मत्स्यपालन को बढ़ाव देने के लिए उद्यमी कारोबार मॉडल के रूप में लागू किया जा सकता है।
- 9.17 मत्स्यपालन से संबंधित उन हस्तक्षेपों और गतिविधियों को कवर करने के लिए एक अलग मत्स्यपालन विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी जो अनुसूचित जाति (एस.सी.) के अधिकांश लोगों को लाभान्वित करेगी और पी.एम.एस.वाई. के तहत मत्स्य गतिविधियों की शुरूआत में एस.सी आबादी को प्रोत्साहित करेगी। पी.एम.एस.वाई. के तहत तैयार की गई योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की उपयुक्त योजनाओं के साथ सम्मिलित रूप में लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना (डी.ए.पी.एस.सी.) के तहत चिन्हित/कवर किए गए जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- 9.18 पी.एम.एस.वाई. के तहत छोटे और सीमांत मछुआरों और मछली किसानों को अधिक से

अधिक शामिल करने के लिए, व्यक्तिगत ल भार्थी परियोजनाओं/गतिविधियों के मामले में सहायता के लिए भूमि क्षेत्रफल की पात्रता की उच्च सीमा 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी होगी। लाभार्थी—उन्मुख परियोजनाओं/गतिविधियों के मामले में, मछुआरों और मछली किसानों के समूह अर्थात् मछुआरा एस.एच.जी.एच./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)/मछुआरा कोऑपरेटिव्स या एक कलस्टर/एरिया एप्रोच में आरंभ की गई हो, वहाँ भूमि क्षेत्रफल की पात्रता के आधार पर उच्च सीमा गुप/सोसाइटी के सदस्यों संख्या 2 हेक्टेयर से गुणा करके सीमित की जाती है जिसकी अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा 20 हेक्टेयर है। जहाँ तक एफ.एफ.पी.ओ./सी का सवाल है, पी.एम.एस.वाई. के तहत सहायता के लिए पात्र कुल क्षेत्रफल/इकाई पात्रता पर कार्यान्वयन और उच्च सीमा के तौर—तरीकों का निर्धारण सी.ए.सी. द्वारा किया जाएगा ताकि मत्स्यपालन विभाग द्वारा यथा परिकल्पित परिणामों का अनुकूल उपयोग किया जा सके।

- 9.19 संविदा खेदी की व्यवहार्यता और वापस खरीद की व्यवस्था जहाँ भी उचित और संभव हो, वहाँ तलाश की जाएगी, जिसमें मूल्य में उत्तार—चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सकेगा, मछली किसानों की आय को स्थिर किया जा सकेगा और उत्पादकों के लिए बाजार सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा मछली विपणन फर्मों और उपभोगताओं के लिए बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकेगी।
- 9.20 न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ सतत मत्स्य उत्पादन प्रणाली/पद्धति मोर क्राप पर छाप) को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा।
- 9.21 पी.एम.एस.वाई. को लागू करते समय, मत्स्यपालन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा पैमाने को बढ़ाने, अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय सृजित करने, विकास को गति देने और नतीजों को गतिशील करने, संगठित तरीके से क्षेत्र के विस्तार हेतु 'कलस्टर या क्षेत्र—आधारित दृष्टिकोण' को अपनाया जाएगा। मत्स्यपालन और जलीय कृषि के विकास के लिए संभावित विकास समूहों/क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आवश्यक हस्तक्षेपों/गतिविधियों, फार्मर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेड के साथ एक एकीकृत कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें गुणवत्ता ब्रूड, बीज और फ़ीड, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए सुविधा

T

F T

भी होगी। जल संसाधन, प्रसंस्करण और विपणन नेटवर्क आदि, जल प्रबंधन और नियामक ढांचे द्वारा समर्थित स्थानिक योजना पर जोर दिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने अधिकारियों को कलस्टर के विकास की प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कलस्टर समन्वयक के रूप में नामित करेंगे। कलस्टर समन्वयक के रूप में नामित अधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वह हितधारकों को प्रभावी ढंग से संवाद करने, प्रेरित करने और उन्हें प्रबंधन भी जानकारी देने में प्रवीण हो। पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत एस.पी.यू./डी.पी.यू. में लगी जनशक्ति को कलस्टर समन्वयक की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

9.22 पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत विशेष रूप से उत्पादन, उत्पादकता और पोस्ट हार्वेस्ट, संचार और/या ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियों, संभावित मत्स्यन के क्षेत्रों (पी.एफ.जेड.) प्रौद्योगिकियों, सुरक्षा किट, अन्य एम.सी.एस. गतिविधियों, जैव शौचालयों आदि से संबंधित टैक्नोलॉजी-बेस्ड इंटरवेंशन निरंतर उन्नति कर रहा है और परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिकीय उन्नति/बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए, सी.ए.सी. को क्षेत्रीय आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए नई/और/या लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपकरणों/यूनिटों को शामिल करने और अप्रचलित/गैर-तकनीकी प्रौद्योगिकियों के उपकरणों/यूनिटों को हटाने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, सी.ए.सी. किसी भी योग्य/जरूरतमंद वर्ग के लाभार्थियों/जहाजों आदि को कवर करने के लिए पूर्वोक्त उपकरणों/यूनिटों सहित प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप के दायरे का विस्तार कर सकती है।

10. कन्वर्ज़ेंस

10.1 परिणामों को समेकित करने और सार्वजनिक संसाधनों की बचत करने के लिए, पी.एम.एम.एस.वाई. योजना में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जहाँ कहीं संभव हो, वह उपयुक्त रूप से जोड़ने और तालमेल करने की परिकल्पना की गई है।

10.2 (क) मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं/उप-योजनाओं के साथ पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत कुछ चिह्नित की गई केन्द्रीय योजनाओं के जोड़े जाने और तालमेल किये जाने की परिकल्पना की गई है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

- (ख) मछली पकड़ने के बंदरगाहों/मछली लैंडिंग केंद्रों और किसी अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का सागरमाला कार्यक्रम।
- (ग) पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन सुविधाओं आदि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
- (घ) तालाबों निर्माण और जलाशयों के विकास आदि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)।
- (इ) तालाब निर्माण और अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं और अन्य योजनाएं।
- (झ) स्वीकार्य गतिविधियों और विपणन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- (ঞ) मछली पकड़ने के बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करना/निर्माण और अन्य स्वीकार्य गतिविधियों को बढ़ावा देना और मत्स्यपालन को दोगुना करना और एम.पी.ई.डी.ए. के सहयोग से ट्रेसविलिटी मत्स्य निर्यात, प्रमाणन, ब्रांडिंग इत्यादि के लिए बणिज्य विकास की योजनाएं।
- (ছ) उत्पादन और उत्पादकता संबंधी गतिविधियों के लिए मछुआरों और मछली किसानों की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का किसान क्रेडिट कार्ड (কে.সী.সী.)।
- (জ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (পী.এম.এম.এস.বাঈ.) और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जहाँ कहीं संभव हो, वहाँ मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए मछली उत्पादक उत्पादक संगठनों/कंपनियों (এফ.এফ.পি.আ. / সী.) को बढ़ावा देना।
- (ঝ) প্রৌদ্যোগিক প্রদর্শন, জেনেটিক সুধার ও কৃষি অনুসং�ান ও শিক্ষা বিভাগ (ডী.এ.আর.ই.)

- और वाणि ज्य विभाग (एम.पी.ई.डी.ए.) के सहयोग से न्यूकिलयस ब्रीडिंग सेंटर।
- (ज) संभावित मत्स्यपालन क्षेत्र (पी.एफ.जैड.) एडवाइजरी और डिवाइस के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इन्कोइस) के लिए सलाह और उपकरण।
- (व) गृह मंत्रालय – तटीय सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन, निगरानी नियंत्रण और निगरानी (एम.सी.एस.) संबंधित गतिविधियाँ जिसमें बायोमेट्रिक कार्ड, आदि शामिल हैं।
- (ठ) अंतरिक्ष विभाग – उपग्रह आधारित संचार और/या ट्रांसपोर्डर जैसे ट्रैकिंग उपकरणों सहित एम.सी.एस. गतिविधियों के लिए इसरो।
- (ड) जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंधन और उपयोग से संबंधित विभिन्न विषयों के लिए।
- 10.3 इसके अलावा, मत्स्य विभाग जहाँ कहीं संभव हो भारत सरकार की अन्य मौजूदा या, भविष्य की योजनाओं के साथ, ताल—मेल करने की संभावना का पता लगाएगा।
- 10.4 पी.एम.एस.वाई. में परिकल्पना की गई है कि, पी.एम.एस.वाई. के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं को अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ तालमेल किया जा सकता है, जहाँ संभव हो वहाँ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उसी के लिए सहमति दी जाए। ऐसी गतिविधियों/परियोजनाओं में, केंद्रीय वित्तीय देयता मत्स्यपालन विभाग और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच पारस्परिक रूप से मान्य सहमत पैटर्न और नियमों और शर्तों पर साझा की जा सकती है।
- 10.5 इसी प्रकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के घटक के कार्यकलाप/परियोजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के तालमेल की पद्धति से जहाँ संभव हो, वहाँ आरंभ की जा सकती है और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भी इनकी सहमति दी जा सकती है। इस परियोजना/कार्यकलाप की लागत मत्स्यपालन विभाग के बीच के

पारस्परिक आधार पर लागत शेयरींग स्पर्श और निबंधन शर्तों स्वीकार्यता के आधार पर शेयर की जा सकती है।

- 10.6 इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ओर से यदि पी.एम.एम.एस.वाई. में कोई निवेश आता है तो तालमेल के फलस्परूप पी.एम.एस.वाई. के तहत 20050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से बढ़कर होगा।

11. रोजगार सृजन की संभावना सहित प्रमुख प्रभाव

पी.एम.एस.वाई. के तहत जो 20050 करोड़ रुपये का निवेश है, वह मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है। इसलिए, पी.एम.एस.वाई. योजना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) के लागू किए जाने की प्रत्याशित नतीजों का लेखा—जोखा नीचे दिया गया है:

- (क) मछली उत्पादन का जो लक्ष्य 13.75 मिलियन मीट्रिक टन (2018–19) था उसे अब बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन 2024–25 तक किया जा सकता है।
- (ख) आशा है कि मछली उत्पादन लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि कायम रहेगी।
- (ग) कृषि जी.वी.ए. के मत्स्यपालन क्षेत्र के जी.वी.ए. के योगदान जो वृद्धि (2018–19) में 7.28% थी वह वर्ष (2024–25) में बढ़ कर 9% हो जाएगी।
- (घ) दुगुना निर्यात आय जो वर्तमान में 46,589 करोड़ रुपये (2018–19 में हैं, वह वर्ष 2024–25 तक बढ़कर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- (ङ) जलकृषि में उत्पादकता की वृद्धि जो इस समय 3 टन की राष्ट्रीय औसत है उसे बढ़ाकर लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर करना।
- (च) पोस्ट हार्वेस्ट की जो क्षति 20–25 प्रतिशत बताई गई है, उसे घटाकर 10 प्रतिशत करना।
- (छ) मछुआरों और मछली किसानों की आय का दोगुना करना।
- (ज) लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष लाभप्रद रोजगार के अवसर पैदा करना और आपूर्ति और

मूल्य श्रृंखला के साथ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के रूप में उनकी संख्या तिगुना करना।

- (झ) घरेलू मछली की खपत जो 5 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति है उसे बढ़ाकर से लगभग 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना।
- (ज) मत्स्यपालन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना और उदयमिता की वृद्धि को सुविधा प्रदान करना।

12. गतिविधियों का सूची

- 12.1 पी.एम.एस.वाई एक ऐसी अम्बेला स्कीम है जिसके दो घटक हैं अर्थात् (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सी.एस.) और (ख) केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)। केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक को आगे निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्ष गैर-लाभार्थी-उन्मुख और लाभार्थी-उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों में विभक्त किया गया है:
 - (i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
 - (ii) अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन
 - (iii) मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा
- 12.2 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय क्षेत्र घटक के तहत उप-घटक/गतिविधियाँ, के साथ-साथ प्रमुख गतिविधियाँ जिन्हें सहायता प्रदान की जाती हैं को अनुबंध-I में दिया गया है।
- 12.3 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केन्द्रीय प्रायोजित घटक के अन्तर्गत लाभार्थी-उन्मुख उप-घटक के साथ-साथ उप-घटक और गतिविधियों-वार इकाई लागत सरकारी सहायता और निबंधन शर्त अनुबंध-II में दी गई हैं।
- 12.4 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के घटक के अन्तर्गत गैर-लाभकारी-उन्मुख उप-घटक और गतिविधियों के साथ-साथ उप-घटक/गतिविधि-वार युनिट लागत और निबंधन शर्तों अनुबंध-II में दी गई हैं।

13. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)

- 13.1 पी.एम.एस.वाई. योजना मुख्य रूप से परियोजना आधारित पद्धति पर लागू की गई है, और इसलिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित आशायित गतिविधि

याओं/घटकों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)/स्व-निहित प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए और अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ई.आई.ए.) द्वारा राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.)/मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 13.2 डी.पी.आर./स्व-निहित प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए:

- (i) कार्यान्वयन एजेंसी की पृष्ठभूमि (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न) और उनकी विश्वसनीयता और सक्षमता, जिनमें स्वायत्त एजेंसियों, उद्यमियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का वित्तीय विवरण शामिल है।
- (ii) जहाँ कहीं आशयित लाभों की मांग और आपूर्ति अन्तराल विशेष रूप से परियोजना की लौकलिटी का मुल्यांकन करना आवश्यक है, वहाँ व्यावहारिकता का अध्ययन करना।
- (iii) परियोजना के उद्देश्य।
- (iv) मत्स्य उत्पादन की मात्रा में लाभ प्रत्याशित रूप से मछली उत्पादन, रोजगार सृजन आदि बढ़ाए जाने के संबंध में।
- (v) लागत लाभ का विश्लेषण, जहाँ भी आवश्यक हो (विशेषकर विश्वसनीय परियोजनाओं के मामले में)।
- (vi) जैव-सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े विषय (यदि कोई हो)।
- (vii) भूमि के वास्तविक प्रमाण की उपलब्धता और सांविधिक अनापत्ति/अनुमति/लाइसेंस जहाँ अपेक्षित है।
- (viii) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त निधियों के स्रोत (केंद्रीय सहायता, राज्य का अंशदान, स्वयं का अंशदान/बैंक ऋण आदि जैसा भी मामला हो)।
- (ix) परियोजना के पूरा होने के लिए स्पष्ट समय-सीमा (बार चार्ट के रूप में)।
- (x) इस आशय का वर्चन देना होगा कि एक ही स्थान पर एक ही एजेंसी द्वारा केंद्रीय फंडिंग या समान परियोजना को लागू नहीं किया जाएगा।
- (xi) इस दिशा-निर्देश में विहित पद्धति के अनुसार तैयार की गई परियोजना की

T

V

T

- (xii) विस्तृत लगत के अनुमन।
पी.ए.सी., एन.एफ.डी.बी. या ऐसी संस्था के समक्ष परियोजना के ब्यौरे को प्रस्तुतीकरण

1

और सभी प्रकार की जांच, (ii) अध्यन की पूर्व व्यवहार्यता, (iii) पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.एफ.आर.), की तैयारी। (iv) परियोजना की आयोजना

वित्तीय देयता और क्षेत्र की व्यवहारिक जरूरतों, राज्यों/संघ राज्यों और अन्य ई.आई.ए. आदि की जानकारी/तैयारी पर आधारित होगी।

- 15.3 किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए पी.एम.एम.एस. वाई. की राष्ट्रीय मत्स्यपालन वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अक्टूबर—नवम्बर तक शुरू हो जाएगी जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यपालन वार्षिक कार्य योजनाओं

पर आधारित होगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय मत्स्यपालन वार्षिक कार्य—योजना पर आधारित राष्ट्रीय मत्स्यपालन, वार्षिक कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों एम.एम.एस.वाई. के तहत वार्षिक आवंटन की संसूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर./परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने, पी.ए.सी./एन.एफ.डी.बी. द्वारा उनका मूल्यांकन

क्र.सं.	कार्रवाही	अनुमोदन प्राधिकारी	समय सीमा
1	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पी.एम.एम.एस.वाई के तहत अनन्तिम वार्षिक परिव्यय की संसूचना देना	मत्स्यपालन विभाग	अक्टूबर के अंत तक
2	वार्षिक जिला मत्स्य योजना की तैयारी और अनुमोदन किया जाना	डी.एल.सी.	नवम्बर के अंत तक
3	समेकित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन	एस.एल.एम.सी./यू.टी.एल.ए.एम.सी	दिसम्बर के अंत तक
4	राष्ट्रीय मत्स्यपालन वार्षिक कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन	सी.ए.सी और मत्स्यपालन विभाग	फरवरी के अंत तक
5	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत अंतिम वार्षिक आवंटन की संसूचना देना	मत्स्यपालन विभाग	15 मार्च तक
6	आवंटन के आधार पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, को डी.पी.आर./एस.सी.पी./परियोजना प्रस्तावों को एन.एफ.डी.बी के समक्ष पी.ए.सी प्रस्तुत किया जाना	एस.एल.ए.एम.सी./यू.टी.एल.ए.एम.सी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यपालन विभाग	अप्रैल के अंत तक
7	डी.पी.आर./परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाना	पी.ए.सी., एन.एफ.डी.बी	15 मई तक
8	डी.पी.आर./परियोजना प्रस्तावों का संस्वीकृत किया जाना।	मत्स्यपालन विभाग	मई के अंत तक


- करने और मत्स्यपालन विभाग द्वारा करने की समय सीमा नीचे तालिका में दर्शाई गई है:
- 15.4 पी.एम.एस.वाई. के तहत डी.पी.आर. / परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया

15.4.1 पी.एम.एस.वाई. केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक

- 5.4.2 पी.एम.एस.वाई.केंद्रीय योजना घटक

16. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नोडल विभाग

- 16.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में



मत्स्यपालन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पी.एम.एम.एस.वाई. की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। जहाँ कहीं भी पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत परियोजनाएं/गतिविधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिनमें राज्य मत्स्य विकास बोर्ड भी शामिल हैं, वहाँ पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/गतिविधियों की उचित योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जिनमें पर्यवेक्षण और निगरानी भी शामिल है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मत्स्यपालन विभाग को सौंपी गई है।

17. केंद्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता के लिए लागत मानदण्ड

17.1 मत्स्यपालन विभाग ने अपने आदेश सं. जे.-13011/3/2019-एफ.वाई. दिनांक 11 जुलाई, 2019 के द्वारा 18 राज्यों और 5 केंद्रीय मत्स्य संस्थानों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.), के प्रतिनिधियों मत्स्यपालन विभाग और एकीकृत वित्त प्रभाग के विरिष्ट अधिकारियों, को सदस्यों के रूप में शामिल करके एक केंद्रीय स्थायी समिति (सी.एस.सी.) का गठन किया जिसमें इकाई लागत, इकाई लागत मानदंड और पी.एम.एस.वाई. के सभी घटकों/उप-घटकों/गतिविधियों के परिचालन दिशानिर्देशों को तैयार किया गया था।

17.2 केंद्रीय स्थायी समिति (सी.एस.सी.) ने सदस्य राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात पी.एम.एस.वाई. के घटकों/उप-घटकों/गतिविधियों की इकाई लागत सहित प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया था जिसे शीर्ष समिति (सी.एस.सी.) ने दिनांक 22.06.2020 को हुई पहली बैठक में इस पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया था और तत्पश्चात, मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। पी.एम.एस.वाई. के तहत परिकल्पित गतिविधियों की घटक/उप-घटक-वार सूची और उनकी इकाई लागत सी.एस.सी. द्वारा तैयार की गई और सी.ए.सी. और मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसे अनुबंध-प, II और II-A में दिया गया है।

18. प्रशासनिक व्यय

18.1 पी.एम.एस.वाई. योजना में यह प्रावधान किया

गया है कि पी.एम.एस.वाई. (केंद्रीय शेयर) के तहत वार्षिक बजटीय आवंटन का 2.5 प्रतिशत हिस्सा मत्स्यपालन विभाग एन.एफ.डी.बी. और एंड कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पी.एम.एस.वाई. (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों योजना घटकों) के कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा के लिए प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए रखा जाएगा।

18.2 सी.ए.सी. की सिफारिशों के आधार पर मत्स्यपालन विभाग प्रशासनिक व्यय के तहत निधियों की वह सीमा निर्धारित करेगा जो एन.एफ.डी.बी. और ई.आई.ए. को जारी की जाएगी।

18.3 इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय के तहत निर्धारित धनराशि का उपयोग निम्नलिखित लागतों को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा (i) संस्थागत व्यवस्थाओं/संरचनाओं अर्थात मत्स्यपालन विभाग में सी.एस.सी., सी.ए.सी. और पी.एम.ई.यू. राष्ट्रीय मात्रियकी बोर्ड में पी.ए.सी. और पी.एम.यू. राज्य/संघ राज्य स्तर पर एस.पी.यू. और जिला स्तर पर डी.पी.यू. पर आवश्यकता आधारित संस्थागत व्यवस्था संरचना के लिए संविदा के आधार पर न्यूनतम जन शक्ति को हॉयर करना जिसमें कार्यालय व्यय आदि शामिल हैं। इस पैरा के उपर्युक्त (i) में उल्लिखित संस्थागत (ii) स्थापना परिचालन और दैनिक कार्यकरण फर्नीचरफिक्सचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर आदि जैसे न्यूनतम बुनियादी ढांचे की खरीद (iii) मत्स्यपालन विभाग द्वारा यथा निर्णीत इस पैरा के उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित संस्थागत व्यवस्थाओं/संरचनाओं को किसी अन्य आवश्यकता आधारित सहायता जिसमें सेवा सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी) गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सामग्री सहित आई.ई.सी. सामग्री की तैयारी शामिल है, (v) आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और इसके संचालन के साथ अपेक्षित एम.आई.एस की तैयारी। (vi) ऑनलाइन पी.एम.एस.वाई. पोर्टल डिजाइन, विकास और प्रचालन (vii) इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार और गतिविधियों को बढ़ावा देना (viii) परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता/सलाहकार (पी.एम.सी) (पी.एम.ए) और ज्ञान संपन्न साझेदारों को हॉयर करना (ix) सेमिनार, कार्यशालाएं, बैठकें, शिखर सम्मेलन/सम्मेलन (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), आधिकारिक बैठकें, आदि को आयोजन करना (x)

- मछली किसानों और मत्स्यपालन सहकारी समितियां की लागत, (xi) मछली किसान दिवस (एफ.एफ.डी), विश्व मात्रिकी दिवस और ऐसे कोई अन्य कार्यक्रम को मनाने की लागत जिनमें पुरस्कार भी शामिल है, (xii) वाहनों को किराए पर लेना, (xiii) आवश्यक होने पर दिशानिर्देशों, प्रकाशनों, एस.ओ.पी और अन्य दस्तावेज तैयार करना और उन्हें मुद्रित कराना, (xiv) समय—समय पर (मध्यावधि) और पी.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के बाद का मूल्यांकन जब भी आवश्यक हो और तीसरे पक्ष/स्वतंत्र एजेंसी/व्यक्तिगत डोमेन विशेषज्ञों द्वारा (xv) मत्स्यपालन क्षेत्र की गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन का समर्थन करने के लिए गतिविधियाँ, जो गुणवत्ता, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देती है (xvi) मात्रिकी विजन दस्तावेज, वार्षिक योजनाएं तैयार करने और मछली किसान दिवस तथा विश्व मात्रिकी दिवस आदि के आयोजन के लिए राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्राप्त करना (xvii) मत्स्यपालन क्षेत्र के गुणता नियंत्रण और विनियमन समर्थन के लिए गतिविधियाँ जिनका उद्देश्य गुणता, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। (xviii) संविदा के आधार पर डोमेन वाले विशेषज्ञों और सहयोगी कर्मचारियों को हायर करना और (xix) कोई अन्य गतिविधि जो पी.एम.एस.वाई के लिए सुचारू रूप से संचालन और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित है।
- 18.4 मत्स्यपालन विभाग प्रशासनिक व्यय के तहत खर्च करने के लिए लागत मानदंडों सहित तौर—तरीकों और दिशा—निर्देशों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। इसमें एन.एफ.डी.बी में परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी) और कार्यक्रम निगरानी इकाई (पी.एम.यू) की स्थापना और संचालन के लिए तौर—तरीके, दिशानिर्देश और लागत मानदंड, मत्स्यपालन विभाग में सी.एस.सी, सी.ए.सी और परियोजना निगरानी मूल्यांकन (पी.एम.ई.यू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर, और जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) जिला स्तर पर उप—जिला स्तर पर आवश्यक संस्थागत व्यवस्था/संरचना भी शामिल हैं।

19. विस्तृत लागत अनुमान

- 19.1 पी.एम.एस.वाई. में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि किसी विकास परियोजना की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे परियोजना

- का आकार, परियोजना घटक, स्थान, इच्छित लागत, पर्यावरण और भौगोलिक/स्थलाकृतिक फीचर, संबंधित राज्यों के प्रचलित एस.ओ.आर. और दूसरों के बीच प्रचलित बाजार दर।
- 19.2 उनकी इकाई लागत का आकलन करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत/एकीकृत परियोजना की विस्तृत लागत का आकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों द्वारा निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर किया जाएगा:
- (क) परियोजना लागत का अनुमान आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करने और परियोजना स्थान/साइट, योजना, डिजाइनिंग (जैसा भी आवश्यक हो) की स्थिति का आकलन, और शामिल वास्तविक कार्यों की मात्रा की विस्तृत गणना, और अपनाने के आधार पर तैयार किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रोंकी दरों की अनुमोदित अनुसूची जो परियोजना क्षेत्र में लागू/प्रचलित हैं।
- (ख) यदि कोई अपेक्षित परियोजना के तहत नागरिक कार्यों के लिए कोई अनुमोदित दर की अनुसूची उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में इकाई दर विस्तृत दर विश्लेषण के बाद आ जाती है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
- (ग) संयंत्र और मशीनरी के मामले में, जहां दरों की अनुमोदित अनुसूची उपलब्ध नहीं है, वहाँ अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं (अधिकृत डीलरों) द्वारा उद्भूत दरों के आधार पर ऐसी गतिविधियों के लिए अनुमान तैयार किया जाएगा।
- (घ) परियोजना की लागत के अनुमान के आधार पर परियोजना लागत अनुमान तैयार किए जाने वाले प्रभाव का एक प्रमाण पत्र, प्रचलित बाजार दर और लागत उचित है जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 19.3 पी.एम.एस.वाई. के तहत अनुमोदन के लिए उपर्युक्त कार्यप्रणाली को अपनाते हुए परियोजना पर विचार किया जाएगा।

- 19.4 पी.एम.एस.वई के तहत प्रचलित इकाई लागत (वर्तमान इकाई लागत लागत अनुबंध-II और III पर आधारित है) के आधार पर सरकारी वित्तीय सहायता की सीमा तय की जाएगी। तथापि, मछली पकड़ने के बंदरगाह और एक्वा पार्क जैसी पूँजी—गहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की इकाई लागत परियोजना स्थान, साइट की स्थिति, प्रस्तावित सुविधाओं, परियोजना के आकार, राज्यों के एस.ओ.आर आदि पर निर्भर करती है। इस तरह की पूँजी—गहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं डीपीआर पर आधारित होंगी। मोड और परियोजना को पी.एम.एस.वाई के तहत संबंधित गतिविधियों के लिए निर्धारित समग्र निधि के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा।
- 19.5 द्विप समूहों, हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दुर्गम क्षेत्र तथा इकाई लागत की भिन्नता दूरस्थता को देखते हुए अनुमति दी जाएगी। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20% तक मार्कअप की अनुमति दी जाएगी, जो अनुबंध-II और III में इंगित उप-घटकों/गतिविधियों की इकाई लागत से अधिक होगी। हालांकि, यह उल्लेख करना समीचीन है कि अनुबंध-II में उत्तर पूर्वी एंड हिमालयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्यपालन का विकास' के तहत गतिविधियों के लिए इकाई की लागत तय करते समय, द्वितीय, दूरदर्शिता और कठिन इलाके जैसे कारकों को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।, इसलिए, उपर्युक्त 20% तक का अतिरिक्त प्रीमियम अनुबंध-II में क्रम.सं.3 के तहत इंगित इन इकाई लागतों में नहीं जोड़ा जाएगा।
- 19.6 इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि परियोजना लागत का अनुमान प्रचलित दरों के आधार पर तैयार किया गया है, प्रचलित बाजार दर और लागत उचित है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

20. भूमि और जलाशय

- 20.1 पी.एम.एस.वाई. के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता भूमि अधिग्रहण/खरीद/उपहार/हस्तांतरण/पट्टे के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, जो अपेक्षित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- 20.2 परियोजना लाभार्थी/कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना अवश्यक है

- (उनके साथ भूमि की अनुपलब्धत के मामले में) अपनी लागत पर और पी.एम.एस.वाई. के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें।
- 20.3 परियोजना लाभार्थी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित सुविधाओं/अवसंरचना के विकास के लिए प्रस्तावित भूमि अतिक्रमण और भारग्रस्तता से मुक्त है। यह प्रमाण पत्र डी.पी.आर./एस.सी.पी. के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोफार्मा अनुबंध-X और अनुबंध -XI में दिया गया है।
- 20.4 पी.एम.एस.वाई के तहत वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, पी.एम.एस.वाई के तहत इच्छित अवसंरचना सुविधाओं के विकास और पी.एम.एस.वाई के तहत गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे की अवधि / समझौता न्यूनतम 10 (दस) वर्षों से कम नहीं होगा। पट्टे की अपेक्षाओं को इन परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुबंध- I, II और III में व्यक्तिगत उप-घटक / गतिविधियों के सामने दर्शाया गया है।
- 20.5 पी.एम.एस.वाई. के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए लीज/प्रवेश पर जलाशय की परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी। पी.एम.एस.वाई. के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए जलाशय की लीज अवधि/प्रवेश की अनुमति मौजूदा राज्य/संघ राज्य सरकार की प्रचलित लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- 20.6 यदि, परियोजना लाभार्थी निर्धारित पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले पट्टा समझौते को समाप्त कर देता है या निर्धारित पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे पर दी गई भूमि/जलाशय पर पी.एम.एस.वाई. के तहत वित्तीय सहायता से बनाई गई संपत्तियों को हस्तांतरित करता है, वह/उसे वापस करेगा संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ उस समय तक प्राप्त हुई। इसके अलावा, केंद्रीय वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष 12% का दंडात्मक ब्याज भी लिया जाएगा। संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता, दंड ब्याज सहित संचित ब्याज

का भुगतान भारत सरकार को एकमुश्त एकल किस्त में किया जाएगा।

- 20.7 पी.एम.एस.वाई. के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता राशि में से स्वयं या पट्टे पर दी गई भूमि/जलाशय से सर्जित संपत्ति को किसी भी रूप में बिक्री, उपहार, हस्तांतरण और पट्टे के रूप में गैर-अवसंरचना की दशा में 7 वर्ष की न्यूनतम अवधि तथा अवसंरचना परियोजना की दशा में परियोजना की संस्थीकृत तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए निपटाया नहीं जा सकेगा। यदि परियोजना लाभार्थी प्रतिबंधित अवधि के भीतर पी.एम.एस.वाई की सहायता से सर्जित की गई संपत्तियों का निपटान कर देता है, तो लाभार्थी केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अर्जित ब्याज के साथ, उस समय तक प्राप्त की गई पूरी केंद्रीय वित्तीय सहायता वापिस करेगा। इसके अलावा, उससे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत का दंड ब्याज भी लिया जाएगा। संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता, दंड ब्याज सहित संचित ब्याज का भुगतान भारत सरकार को एक मुश्त एकल किस्त में किया जाएगा।

21. वैधानिक मंजूरी

- 21.1 आवेदक/लाभार्थी को आवश्यक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरी, परमिट और लाइसेंस, जो भी और जहां भी आवश्यक हो, प्राप्त करना आवश्यक है। यदि इस प्रक्रिया में कोई व्यय शामिल है तो उसे आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- 21.2 भूमि की उपलब्धता और वैधानिक मंजूरी (जहां भी आवश्यक हो) पर आवश्यक दस्तावेजी साक्षों के साथ डी.पी.आर./स्व-नियंत्रित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

22. समावेशी विकास

- 22.1 पी.एम.एस.वाई. में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जातियों) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करके समावेशी विकास को शामिल किया गया है।
- 22.2 राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.) यह सुनिश्चित करेगी कि पी.एम.एस.वाई. के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय, छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का पर्याप्त कवरेज दिया जाए।

- 22.3 चूंकि अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) के तहत अनिवार्य बजट आवंटित किया जाता है इसलिए, राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया जाता है कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिया जाए।

23. प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना

- 23.1 पी.एम.एस.वाई. के केंद्र प्रायोजित योजना घटक 23.1.1 एण्ड इंप्लॉमेंटिंग एजेंसीज जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र / एजेंजियां डी.पी.आर./स्व अभिप्रामाणित प्रस्ताव तीन प्रतियों में (एस.सी.पी) प्रस्तुत करेंगी। इसमें दो प्रतिलिपि सीधे एन.एफ.डी.बी को और एक अग्रिम प्रतिलिपि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।
- 23.1.2 दो प्रतियों में डी.पी.आर./स्व-निहित प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर एन.एफ.डी.बी. को प्रस्तुत किया जाएगा:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड,
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार,
पिलर नंबर: 235, पी.वी.एन.आर. एक्सप्रेसवे,
एस.वी.पी.एन.पी.ए. पोस्ट,
हैदराबाद—500052
(फैक्स: 040—24015568 / 24015552)

- 23.1.3 निम्नलिखित पते पर अग्रिम प्रति के रूप में भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग को डी.पी.आर./स्व निहित प्रस्ताव की एक प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी:
सचिव
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा नंबर—221, कृषि भवन,
नई दिल्ली—110001

- 23.2 पी.एम.एस.वाई. का केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक 23.2.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना के संबंध में परियोजना के प्रस्ताव पी.एम.एस.वाई. के घटक को

24 वित्तीय सहायता राशि जारी करने की पद्धति

क
मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को पैरा—23.1.3
में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करना चाहिए।

सुनिश्चित करेंगी और इनका प्रयेजन उसी क
लिए होगा जिस उद्देश्य के लिए इसे जारी किया
गया है।

24.6 किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्रीय निधियों के
किसी भी स्रोत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क

प्रगति और डिलिवरेबल्स की नियमित निगरानी १ लिए एक व्यापक सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की स्थापना की जाएगी।

- 25.3 पी.एम.ई.यू. समय—समय पर 6 (छह) महीनों में कम से कम एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी और परियोजनाओं के उचित और त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन करेगी। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग मौके पर निरीक्षण/सत्यापन के लिए अपने प्रतिनिधियों को परियोजना स्थल पर नियमित रूप से भेज सकता है।
- 25.4 सामान्य अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि, अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में न करने के बहाने या किसी अन्य अपरिहार्य तकनीकी बाध्यताओं के कारण अनुमोदित मदों के किसी भी परिवर्तन/विलोपन/संशोधन के साथ संशोधित किया जाना है, इस तरह के प्रस्तावों को एस.एल.ए.एम.सी. और पी.ए.सी. के समक्ष रखा जाएगा। एस.एल.ए.एम.सी. और पी.ए.सी. द्वारा सुधारे गए मध्यावधि सुधारों को उपयुक्त निर्णय/विचार/अनुमोदन के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।
- 25.5 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सभी मामलों में परियोजना के पूरा होने तक एक तिमाही के आधार पर मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की परियोजना सभी प्रकार से पूरी होने के बाद एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (वित्तीय और भौतिक) प्रस्तुत करेंगे।

26 सुविधाओं का विकासोत्तर प्रबंधन

- 26.1 पी.एम.एस.वाई. के तहत केंद्रीय सहायता के साथ सृजित सुविधाओं के बाद के विकास/निर्माण प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की होगी। भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, पी.एम.एस.वाई. के तहत वित्तीय सहायता के साथ सृजित सुविधाओं के विकास, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन निर्माण, परिचालन लागत, हानि यदि कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।¹
- 26.2 परियोजना लाभार्थी एजेंसी पी.एम.एस.वाई. के तहत सृजित सुविधाओं के रखरखाव, प्रबंधन

और संचालन के लिए आवश्यक सभी खर्चों को सम्यक तरीके से और मानक वाणिज्यिक परिचालन/रखरखाव प्रथाओं/प्रक्रियाओं के अनुसार वहन करेगी। लाभार्थी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ये सुविधाएं परिचालन स्थितियों में यथावत रहेंगे।

- 26.3 लाभार्थी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य ई.आई.ए. उचित लागत के लिए पर्याप्त/आवश्यक और प्रासंगिक अर्हित जनशक्ति की अधिप्राप्ति और रखरखाव करेंगे, जो पी.एम.एस.वाई. के तहत सृजित सुविधाओं के रखरखाव, प्रबंधन और प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। तैनात श्रमशक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी/देयता जैसे वेतन, भत्ते, शुल्क या किसी अन्य वैधानिक या अन्य देय राशि लाभार्थियों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य ई.आई.ए. की होगी। भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग इस संबंध में किसी कीमत कोई देयता/जिम्मेदारी नहीं लेगा चाहे जो भी हो (अविधाओं के विकास निर्माण और प्रबंधन के पश्चात)।
- 26.4 पी.एम.एस.वाई. के तहत केंद्रीय सहायता के साथ सृजित बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले और न्यायालय के फैसले को लागू करने पर कानूनी विवादों का समाधान करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी संगठनों की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। वित्तीय गतिविधियों, यदि कोई हो, इन गतिविधियों में भी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी संगठनों द्वारा पूरी की जाएगी।

27 पी.एम.एस.वाई. के तहत निजी क्षेत्र सहभागिता, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) और निधियन अंतराल की व्यवहारिका (वी.जी.पी.).

- 27.1 पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन में, निजी क्षेत्र की भागीदारी जहाँ भी उपयुक्त और संभव हो, को प्रोत्साहित किया जाएगा और निजी क्षेत्र के संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमता का लाभ उठाने के लिए पी.एम.एस.वाई. के तहत सृजित संपत्ति के संचालन और प्रबंधन (ओ. एंड एम.) को शामिल किया जाएगा।
- 27.2 मत्स्यपालन विभाग, नीति आयोग के परामर्श से पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष

क

।

क तक एक अध्ययन करेगा, जो कि सार्वजनि¹ निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड पर विकसित और प्रबंधित की जाने वाली बड़ी मत्स्यपालन अवसंरचना² गतिविधियों की पहचान कर सके। अध्ययन के विषयों के अध्याय पर मत्स्यपालन विभाग पी.पी.

मछुआरां और मछली किसानों के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी वार्गनिंग शक्ति को बढ़ाने के लिए 500 मछली उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.) की स्थापना की जाएगी। पार्क पार्क पी.पी. /सी.एस. को

क

परियोजनाएँ: एकीकृत विकास और मत्स्यपालन प्रबंधन (योजना गतिविधियाँ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यू.सी. और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चल रही गतिविधियों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. बजटीय आवंटन से बाहर वहन किया जाएगा। तथापि ऐसे मामलों में निधियन पद्धति, अनुमोदन का मोड और ऐसे मामलों में केंद्रीय निधि जारी करना आदि सी.एस.एस. नीली क्रांति मात्स्यकी का एकीकृत विकास और प्रबंध के अंतर्गत ऐसे मामलों को जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड और मत्स्यपालन विभाग के मात्स्यकी संस्थान की गैर-योजनागत गतिविधियाँ पहले की तरह जारी रहेंगी।

30 प्रौद्योगिकी

30.1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता, को बढ़ावा देने के लिए मूल्य शृंखला के साथ-साथ प्रौद्योगिकी समावेश करना, गुणवत्ता और हाइजिन पर विशेष ध्यान रखना और आपूर्ति और मूल्य शृंखला को आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है।

- 30.2 तालाबों में उच्च-घनत्व जलकृषि, पुनः संचारित जलकृषि प्रणाली (आर.ए.एस.), बायो-फ्लोक, एक्वापोनिक्स, केज कल्वर, नैनो-फीड, लाइव फीड तकनीक सहित उत्पादन और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ावा देने का प्रस्ताव है जिसमें ब्लॉक चेन, वैल्यू एडिशन, क्वालिटी प्रिजर्वेशन और मार्केटिंग आदि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, रिसर्च लैब से लेकर मछुआरों और मछली किसानों तक तकनीकी स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा।
- 30.3 आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से मछली की खेती और मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मत्स्य अनुसंधान संस्थानों, आई.सी.ए.आर. और मत्स्य विश्वविद्यालय और डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से एक योजना तैयार की जाएगी। आगे भी, जहां भी आवश्यक और संभव हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क में किया जाएगा ताकि, ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कौशल विकास/क्षमता निर्माण सहित मत्स्यपालन में प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा सके।

अध्याय 2

क

य

पी.एम.एस.वाई. का मूलाधार

- 1.1 मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा इसकी कल्पना की गई है। जबकि केंद्र प्रायोजित योजना – नीली क्रांति – 5 वर्षों की अवधि के लिए 2015–16 में शुरू की गई मत्स्यपालन के समेकित विकास और प्रबंधन ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मत्स्यपालन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन अभी तक लागू नहीं किया जा सका है जिसका कारण गुणवत्ता आदानों, मछली आनुवांशिकी, निवेश, बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन, तकनीकी जानकारी और कुशल जनशक्ति में क्रिटिकल फासले हैं जबकि मछली की मांग लगातार बढ़ रही है और समुद्री कैचर मात्रियकी के विकास की धीमी गति है और इस तथ्य को देखते हुए कि अंतर्देशीय क्षमता का केवल 56.3% दोहन किया गया है (2018–19), इसके माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। एक जिम्मेदार और अनवरत तरीके से अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र, जलीय कृषि और समुद्री कृषि में प्राप्त न की जा सकी क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
- 1.2 गहरे समुद्र और महासागरीय संसाधनों का विशेष रूप से दोहन करना आवश्यक है, विशेष रूप से ई.ई.जे.ड. में टूना संसाधन जो गहरे समुद्र में प्राप्त होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य प्राप्त करती है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास ई.ई.जे.ड. का क्षेत्र भारत के कुल ई.ई.जे.ड. क्षेत्र का 30% है, इन द्वीपों के ई.ई.जे.ड. से मछली उत्पादन अनुमानित क्षमता का लगभग 1% है।
- 1.3 अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि को तीव्र (क्षेत्रिज तथा उर्ध्व दोनों) विस्तारित गति से विस्तार करना, प्रजातियों के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, नई प्रजातियों की शुरुआत करना और गुणवत्ता योग्य प्रजाति और प्रजातियों की गुणवत्ता की मांग और आपूर्ति आवश्यक में अंतर नौ कम करना है। पर्याप्त संख्या में ब्रूड बैंक,
- 1.4 हैचरी, सीड रियरिंग इकाई, विशिष्ट रोगजनक मुक्त या प्रतिरोधी बीज, आनुवंशिक रूप से बेहतर ब्रूड स्टॉक, और फीड मिल स्थापित करना है।
- 1.5 पूर्वोत्तर भारत मछली का एक प्रमुख उपभोक्ता और निबल आयातक है। इसलिए उत्तर पूर्व में अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने और विकास के लिए ध्यान केंद्रित और क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- 1.6 इंगा पालन में प्रतिजैविक अवशेषों के बारे में उभरती चिंताओं को प्रभावी ढंग से हल करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुद्री निर्यात निरंतर दो अंकों की वृद्धि दिखता रहे। बीज और चारा प्रमाणीकरण और प्रत्यायन की प्रणाली की स्थापना करने की आवश्यकता है। मछली में एण्ड टु एण्ड ट्रैसबिल्टी सिस्टम तत्काल स्थापित करने की आवश्यकता है।
- 1.7 जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो विशेष रूप से जलीय कृषि में नए और ट्रांस-बाउंड्री जलीय रोगों के उत्पन्न होने को प्रभावी ढंग से दूर करती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 1.8 आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के माध्यम से मछली की खेती और मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जिम्मेदार और संधारणीय मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल मछली पकड़ने की विविध प्रथाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
- 1.9 मूल्य शृंखला को आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करके मत्स्यपालन क्षेत्र में आय बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। प्रमुख चिंताओं में से एक पोस्ट-हार्वेस्ट के नुकसान और वेर्स्टटज भी है, जिसे हितधारकों की आय बढ़ाने के लिए तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला में पर्याप्त निवेश करने की जरूरत है।
- सक्षम कोल्ड चेन और स्टोरेज के साथ पोस्ट-हार्वेस्ट हाइजेनिक हैंडलिंग, आधानी अवधि को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली मछली प्रदान करने

- ये की आवश्यकता है। मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली उत्तराई केंद्र जो विकास, और प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था सहित सुरक्षित उत्तराई, बर्थिंग और संबद्ध गतिविधियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके कुछ क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मछली के प्रलेखन और नेटवर्क प्रणाली के निर्माण के माध्यम से 'चारा से प्लेट' तक मछली में आधुनिक मछली बाजार, प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्य संवर्धन, परिवहन, ब्रांडिंग, आला लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी, पोर्ट-हार्डस्ट के कार्यों में गुणवत्ता और बढ़ती लाभप्रदता सुनिश्चित करना आवश्यक है जिससे मूल्य शृंखला की समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके। इसके अलावा, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल करना आवश्यक है।
- 1.10 घरेलू बाजारों में मछली की खपत को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों के साथ रणनीति और कार्य योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 1.11 सुरक्षित मत्स्यपालन विस्तार प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है और संबंधित लाभार्थियों के बीच योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ संबंधित ई.आई.ए. और राज्य अधिकारियों के बीच समन्वय करना भी आवश्यक है।
- 1.12 प्रभावी मत्स्यपालन गवर्नेंस के लिए विनियामक ढांचे के साथ-साथ मत्स्यपालन प्रबंधन की योजनाएं तैयार करना आवश्यक है जिससे इकोसिस्टम एप्रोच के माध्यम से सतत और उत्तरदायी विकास सुनिश्चित किया जा सके। "%नीली अर्थव्यवस्था" के प्रभावी शासन के लिए जहां राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा तथा तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करना अपेक्षित है, वही समुद्री इको सिस्टम को संरक्षित रखने के लिए समुद्री मत्स्य स्थाई संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।
- 1.13 समुद्री मछली पकड़ने को सबसे जोखिम वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है जो जीवन और आजीविका के लिए जोखिम से भरा होता है। पारंपरिक आपदाओं, मछली किसानों और मछली श्रमिकों की सुरक्षा (शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक) जिसमें प्राकृतिक आपदाओं सहित कौचर और मत्स्य पालन से जुड़े जोखिमों को सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि मछुआरे और उनका कल्याण मत्स्य विकास योजनाओं के मूल

र में हैं।

- 1.14 देश की अर्थव्यवस्था के लिए मत्स्य पालन के महत्व को मान्यता देना और सामाजिक आर्थिक भलाई और मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों के कल्याण के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र और समग्र विकास के लिए, फरवरी, 2019 में भारत सरकार ने एक अलग से मत्स्यपालन विभाग बनाया, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक नए मंत्रालय के निर्माण के साथ जून, 2019 में सृजन हुआ। इसके अलावा, मत्स्य पालन क्षेत्र की उपलब्धियों को समेकित करने, विकास की गति को बनाए रखने और इस क्षेत्र में कुछ क्रिटिकल फासलों को स्थायी रूप से समाधान करने के लिए, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से, सरकार ने पी.एम.एम.एस.वाई. को लागू करने की परिकल्पना की है।

रणनीति

- 2.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत, मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता, मत्स्यपालन के बुनियादी ढांचे और पोर्ट-हार्डस्ट प्रबंधन, मूल्य शृंखला के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए फोकस किया जाएगा और निरंतर हस्तक्षेप किया जाएगा। स्थायी और जिम्मेदार तरीके से संसाधनों के दोहन पर जोर दिया जाएगा, क्रिटिकल अंतर को दूर करते हुए, प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाएगा और जल प्रबंधन का उद्देश्य %मोर क्रॉप पर ड्रॉप" मछली और मछली उत्पादों में गुणवत्ता और स्वच्छता, हितधारकों का आर्थिक प्रतिफल बढ़ाया जाएगा और वैल्यू चेन को मजबूत मत्स्यपालन प्रबंधन और नियामक ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ पारंपरिक और छोटे मछुआरों, सीमांत मछली किसानों और मछली श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

- 2.2 पी.एम.एम.एस.वाई. को लागू करते समय, मत्स्यपालन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने, विकास की गति को तेज करने और संगठित तरीके से क्षेत्र के विस्तार के लिए 'क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण' एवं परिणामों को बढ़ाने, आदि के लिए अपनाया जाएगा। मत्स्यपालन

य

और जली कृषि के विकास के लिए संभावित
विकास समूहों/ क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और
एक एकीकृत क्लस्टर के रूप में विकसित किया

मछुआँ के लिए तकनीकी रूप से उन्नत
मछली पकड़ने के जहाजों को बढ़ावा देने
और मछली पकड़ने के गियर को राज्य/
संसदीय विभागों द्वारा अनुमति देने

- उपर्युक्त योजना तैयार की जाएगी, जिसमें मछली पालन के संसाधनों को सतत और जिम्मेदार तरीके से संरक्षित किया जा सके, जिसमें द्वीपों के मछली स्टॉक का संरक्षण, संरक्षण शामिल है।
- च. वैशिक सजावटी मछली उद्योग में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। बढ़ती घरेलू और निर्यात बाजार की माँग के मद्देनजर, उत्पादन इकाइयों की स्थापना, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी प्रजातियों का शुभारंभ करना, प्रजनन तकनीक का आयात करना, तकनीकी का विस्तार करना, उद्यमियों और उद्यमियों को मूलभूत सहायता का समर्थन करना जैसे आवश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से सजावटी मछली की खेती के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। मोती की खेती और मसल्स तथा उससे संबद्ध अन्य अज्ञात वाणिज्यिक सहित बाइवाल्व कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित रूप से सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- छ. अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यपालन मोर्चे पर, खुले जलाशयों के लिए इन हैचरी और फिंगरलिंग पालन इकाइयों में जलाशयों, गीले मैदान जैसे बील, ऑक्सबो झीलों आदि के मछली बीज स्टॉकिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मीठे पानी, खारे पानी, खारे/क्षारीय प्रभावित मिट्टी क्षेत्रों और पिंजरों/पेन खेती, आदि में एकीकृत मछली पालन की जरूरत आधारित जलीय कृषि गतिविधियाँ की जाएंगी। पूर्वी भारत में धान सह मछली संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ज. जलाशयों को आमतौर पर 'स्लीपिंग दिग्गज' कहा जाता है क्योंकि उनकी क्षमता अप्रचलित है। पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत जलाशयों के संग्रहण के लिए भारतीय मेजर कार्पों और अन्य उपयुक्त वस्तुओं की गुणवत्ता युक्त फिंगरिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, इन-सीटू हैचरी का निर्माण और स्टॉकिंग के लिए गुणवत्ता फिंगरलिंग्स के उत्पादन के लिए फिंगरलिंग इकाइयों का निर्माण, जलाशयों के एकीकृत विकास आदि के लिए दी जाएगी। जलाशयों में बड़े पैमाने पर पिंजरे कल्याण के लिए पी.एम.एस.वाई. के तहत रेस्पोर्ट दिया जाएगा। इसी तरह, बेटलैंड्स जैसे कि ऑक्स-बो झीलें, आदि को इष्टतम तरीके से दोहन किया जाता है और इसलिए पी.एम.एस.वाई. के तहत सहायता दी जाती है।
- झ. मीठे पानी (तालाब/टैंकों) में विस्तार और गहनता दोनों के माध्यम से विकास की भारी संभावना है। जलीय कृषि के लिए कुल क्षेत्र का विस्तार और प्रौद्योगिकी समर्थित गहनता को बढ़ावा देने से, मीठे पानी में जलीय कृषि से कुल मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए, इन गतिविधियों का समर्थन पी.एम.एस.वाई. के तहत किया जाएगा। पी.एम.एम.एस.वाई. को ग्रामीण विकास विभाग के एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., एन.आर.एल.एम.योजना आदि के साथ जोड़ा जाएगा, जहाँ भी समग्र तरीके से मत्स्य पालन विकसित करने और परिणामों को बढ़ाने के लिए संभव है।
- ज. न्यू कैंडिडेट प्रजातियों के माध्यम से प्रजातियों की विविधता उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसमें उच्च उत्पादन और बाजार की संभावनाएं होती हैं जैसे कि पंगासियस, तिलापिया प्रजाति, देशी कैटफिश (मगुर और सिंधी), स्कम्पी (मीठे पानी का झींगा), आदि को पी.एम.एस.वाई. के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। मिश्रित मछली संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत की निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से झींगे के खारे पानी के जलीय कृषि की सफलता के कारण है। यह क्षेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विकास के लिए बहुत अधिक गुंजाइश प्रदान करता है और इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पी.एम.एस.वाई. के तहत सीमांत छोटे किसानों की सतत आय का अंतरण निर्यात की ईंधन वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। झींगे, मड़ क्रेक, सीबास, पंगोसियस और तिलापिया जैसी मछलियों की विशाल निर्यात क्षमता को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में इन निर्यात उन्मुख फिन और शेलफिश के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना आवश्यक है। इस

- लक्ष को प्राप्त करने के लिए, गहनता और प्रजाति के विविधीकरण की आवश्यकता है, जो कलस्टर/क्षेत्र दृष्टिकोण में अच्छे खेत प्रबंधन प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है और पी.एम.एस.वाई. के तहत इसका समर्थन किया जाएगा। पी.एम.एस.वाई. के तहत क्षेत्र विस्तार को अंतर्देशीय क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना होता है, जिसमें क्षारीय और खारा मिट्टी होती है, जो एंड-टू-एंड हस्तक्षेप के माध्यम से एक कलस्टर/क्षेत्र दृष्टिकोण में होती है। साथ ही साथ झींगा की प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है ताकि केवल एक प्रजाति पर निर्भरता को सीमित किया जा सके।
- ठ. हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन क्षेत्र की वृद्धि के हित में पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत शीतल-जल मत्स्य (ट्राउट, आई.एम.सी.एस. आदि) का समर्थन किया जाएगा। सेंटर ॲफ एक्सीलेंस के माध्यम से आनुवांशिक रूप से परिष्कृत ठंडे पानी के झरनों/ प्रजातियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रेसवे, ब्रूड बैंक, हैचरीज और फिंगरलिंग उत्पादन, जल संस्कृति इकाइयों को चलाने, फ़ीड मिलों, मछली परिवहन के बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। मूल्य वर्धित उत्पाद इकाइयाँ, आदि नए और उच्च मूल्य वाले शीतल-जल मत्स्य पालन में नवाचारों को प्रायोगिक आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। जैविक हिमालयन ट्राउट और अन्य उच्च मूल्य प्रजातियों के लिए विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पी.एम.एस.वाई. के तहत क्रिल को पकड़ने का समर्थन करने के लिए रास्ते का पता लगाया जाएगा।
- ड. मनोरंजन मछली पकड़ने, पर्यटन उद्योग के साथ बड़े पैमाने पर आनंद के लिए बढ़ रहा है और विशेष रूप से पर्यटक स्थानों में मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है और इसलिए सजावटी मछली और जलीय कृषि के साथ पी.एम.एस.वाई. के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा।

- ढ. पूर्वोत्त क्षेत्र में अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि के संवर्धन और विकास के लिए केंद्रित और क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप के लिए पी.एम.एस.वाई. के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। एकीकृत मछली पालन और सहजीवी चावल सह मछली संस्कृति जैसी विधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा पहचान किए गए आकांक्षों जिलों में और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में, पी.एम.एस.वाई. प्राथमिकता के तहत अंत के साथ एक कलस्टर मोड में क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतर्देशीय जल कृषि, मत्स्यपालन के बुनियादी ढांचे और विपणन में रोजगार सृजन गतिविधियों को आरंभ करने के लिए दी जाएगी।
- त्र. प्रौद्योगिकी समावेश और जल प्रबंधन के उद्देश्य से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में पी.एम.एस.वाई. के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' का समर्थन किया जाएगा। इसलिए, तालाबों में उच्च-घनत्व जलकृषि और री-सर्कुलेटरी जलकृषि सिस्टम (आरएएस), पी.एम.एस.वाई. के तहत नई तकनीक प्रवेश जैसे बायोफ्लोक, एक्वापोनिक्स, केज कल्वर आदि का समर्थन किया जाएगा।
- थ. पी.एम.एस.वाई. के तहत नवाचार और अभिनव हस्तक्षेप/गतिविधियों को प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। जलकृषि में नई प्रगति जो व्यवहार्य है और इसे दोहराया जा सकता है, नवाचारों के तहत सहायता दी जायगी। मत्स्यपालन और जलकृषि स्टार्टअप्स की स्थापना और उनका संचालन पी.एम.एस.वाई. के तहत एक प्राथमिकता वाला हस्तक्षेप होगा।
- द. पी.एम.एस.वाई. के तहत, एकीकृत एक्वापार्क को विभिन्न प्रकार के मत्स्यपालन गतिविधियों/सुविधाओं के हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जो मत्स्यपालन और जलीय कृषि मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों/पहलुओं को कवर करेंगे। अन्य बातों के साथ-साथ, एक्वापार्क गुणवत्ता वाले बीज और चारा, पोस्ट हार्वेस्ट बाद के बुनियादी ढांचे, व्यापार और वाणिज्य, मूलभूत

य

सुविधा, विपणन, निर्यात संवर्धन, नवाचार, प्रौद्योगिकी इनक्यूवेशन, ज्ञान प्रसार, मनोरंजन आदि के केंद्र हो सकते हैं। एक हब और स्पोक मॉडल को विकसित किया गया है जो स्थानीय जरूरतों और विशिष्ट विषयों के आधार पर अन्तिम पायदान के समूहों/क्षेत्रों को एकीकृत करता है। समुद्री शैवाल, सजावटी मछली और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों पर जोर दिया जाएगा। एकवापार्क गार्डन एक्वेरियम बन सकते हैं।

ध. मत्स्यपालन इनक्यूवेशन केंद्र (एफ.आई.सी.) की स्थापना सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के माध्यम से पी.एम.एस.वाई. के तहत समर्थित होगी। वे राज्य/केंद्र सरकार की संस्थाओं सहित राष्ट्रीय मातियकी विकास बोर्ड और/या पेशेवर निजी फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से प्रबंधित किए जाएंगे। मातियकी इनक्यूवेशन केंद्र युवा पेशेवरों/उद्यमियों, मत्स्य संस्थानों, मत्स्यपालन शोधकर्ताओं, सहकारी समितियों/परिसंघों, प्रगतिशील मछली किसानों, मत्स्य—आधारित उद्योगों और अन्य संस्थाओं की तरह इनक्यूबेटियों को अवसर प्रदान करेंगे कि वे अपने नवाचारों और नवीन विचारों को प्रदर्शित करें, मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकियों और उनका व्यवसायीकरण करें जिसमें मछुआरों/ मछली किसानों के लाभ भी शामिल है। इससे नए व्यवसायों, उद्यमियों के विकास (एक्वाप्रिन्योर) और मत्स्यपालन में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। पहचान किए गए इनक्यूबेट को अपने व्यवसाय योजना के प्रायोगिक चरण में एफ.आई.सी. में बिल्ट (बिल्डिंग स्पेस) और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे अपने भुगतान और उपयोग के आधार पर मत्स्यपालन में नवीन और नवाचार विचारों और नई तकनीक को लोकप्रिय बना सकें। मत्स्यपालन में उनके नवीन, नवाचार विचारों और प्रौद्योगिकियों के सत्यापन पर सफल इनक्यूबेट को भी अपने कार्यों के विस्तार के लिए पी.एम.एस.वाई. के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है और

र

वित्तीय संस्थानों से आवश्यक वित्त/ऋण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त करने में उन्हें सुविधा प्रदान की जा सकती है।
 न. अनुसंधान और विस्तार सहायता सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। पी.एम.एस.वाई. का लक्ष्य इस उद्देश्य के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी.ए.आर.ई.) और आई.सी.ए.आर. के साथ अपेक्षित समन्वय करना है। आई.सी.ए.आर. के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में मत्स्यपालन पर एक विशेषज्ञ होना चाहिए। मत्स्य विभाग, आई.सी.ए.आर. संस्थानों के साथ प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम करेगा यानी एक्वाटेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पी.एम.एस.वाई. के तहत जलकृषि विस्तार सेवा केंद्रों की स्थापना का समर्थन किया जाएगा।
 प. पी.एम.एस.वाई. के तहत, मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
 फ. चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से आर्थिक मूल्य वाले आनुवंशिक रूप से बेहतर फिनफिश और शेलफिश का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इसके अलावा, देश में जलीय कृषि की आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक रूप से परिष्कृत नस्ल का विकास करना आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पी.एम.एस.वाई. में फिनफिश और शेलफिश जैसे सीबास, तिलपिया, झींगे, झींगा आदि के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। इसके अलावा, देश में पेनासस मोनोडोन, पेनासस इंडीकस जैसे प्राथमिकता वाले झींगा प्रजातियों के लिए देश में न्यूकिलयस ब्रीडिंग सेंटर (एन.बी.सी.) की पी.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत स्थापना की जाएगी। और लितोपेनेअस वनामेई आदि का समर्थन किया जाएगा। झींगा पालन में रोग/रोगजनक मुक्त पॉलीचीट्स

की आवश्यकता को दखते हुए, प्रजनन/आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई. एस.पी.एफ. पॉलीचीट्स के विकास के लिए समर्थन का विस्तार करेगी।

(ii) अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन

- (क) वर्तमान में, विकसित और विकास की जा रही लैंडिंग और प्रबंध सुविधाएं कुल मछली पकड़ने के बेड़े की लगभग 40% जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा, मौजूदा बंदरगाह को आधुनिक बनाने और अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाह और उत्तराई केंद्र विकसित करना और मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मौजूदा आधुनिकीकरण/उन्नयन करना प्रस्तावित है। मौजूदा मछली पकड़ने वाले बंदरगाह और लैंडिंग केंद्रों की नौगम्यता/प्रभावकारिता में सुधार किया जाएगा। केंद्र सरकार और इसकी संस्थाओं के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अंतर्देशीय मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास को सहायता दी जाएगी।
- (ख) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना घटक के अन्तर्गत जहां कहीं भी अंतर्देशीय मत्स्ययन और पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियां विशेष रूप से अंतर्देशीय कैचर मत्स्यपालन व्यवाहार्य होगा, वहां नदियों के साथ-साथ मत्स्ययन बंदरगाहों के विकास को आरंभ किया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में ऐसे मत्स्यन बंदरगाहों के अलावा अंतर्देशीय मत्स्ययन बंदरगाह भी विकसित किए जाएंगे। मत्स्ययन बंदरगाहों के विकास के लिए पी.एम.एस.वाई की केंद्रित प्रायोजित योजना घटक के अन्तर्गत अनुमोदित लागत मानदण्ड अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्ययन बंदरगाहों दोनों पर लागू होंगे। समुद्री मत्स्ययन बंदरगाहों के विकास के लिए पी.एम.एस.वाई के परिचालन संबंधि दिशा-निर्देश संगत सीमा

तक अंतर्देशीय मत्स्ययन बंदरगाहों पर भी लागू होंगे।

- (ग) पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान को कम करने के लिए शीत श्रृंखला शामिल है, बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत किया जाएगा। मछली और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समर्थन किया जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग प्लांट, शीतागार, शीत संयंत्र, ठंड और पैकिंग प्लांट, मछली और मत्स्य उत्पाद परिवहन वाहन शामिल हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहन, आइस फ्लॉकिंग और आइस क्रशिंग इकाई, आइस/फिश होल्डिंग बॉक्स आदि का समर्थन किया जाएगा। मछली और मछली प्रसंस्करण उपकरण और गोदामों की हार्वेस्ट के बाद आधुनिक हैंडलिंग की स्थापना जैसी मूल्य संवर्धन सुविधाओं के निर्माण के लिए समर्थन दिया जाएगा।
- (घ) सुपरमार्केट, खुदरा मछली बाजार और आउटलेट, मोबाइल फिश और जीवित मछली बाजार सहित आधुनिक थोक मछली बाजार विकसित किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और स्वच्छ मछली की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
- (च) मछुआरों और मछली किसानों को बिचौलियों, व्यापारियों के चंगुल से बचाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मछली विपणन तंत्र को मजबूत किया जाएगा। योजना के तहत मछली और मछली उत्पादों के ई-बाजारों का समर्थन और प्रचार किया जाएगा। पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत, ऑर्गेनिक जलकृषि को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रमाणन के लिए कदम उठाए जाएंगे। घरेलू उपभोग की मछली, मछली में जीआई, मछली की ब्रांडिंग जैसे 'हिमालयन ट्राउट', 'टूना ब्रांडिंग', आदि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एक उपयुक्त आई.टी. सक्षम ट्रेसबिलिटी और लेबलिंग प्रणाली को आपूर्ति श्रृंखला में मछली और मछली उत्पादों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए चेन चारा से

- लेकर प्लेट/उपभोक्ता तक पहुंच तक सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए समर्थन किया जाएगा। मछली और मछली उत्पादों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए एक यथोचित आईटी आधारित ट्रैसबिलिटी और लेवेलिंग प्रणाली समग्र सप्लाई चने फॉम “बेट टू प्लेट/कैच टू कंज्यूमर” तथा डिस्क्राइबिंग अकुरेटली टू कंज्यूमर्स की मदद करेगी। अपेक्षित एस.ओ.पी. सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं और नियामक ढांचे को विकसित किया जाएगा और उन्हें किया जाएगा। जिम्मेदार मत्स्यन और ट्रैसबिलिटी के बारे में मछुआरों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा।
- (छ) पी.एम.एस.वाई. के तहत एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने के गांवों को विकसित किया जाएगा, ताकि स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय डिग्रेडेशन को कम करते हुए तटीय मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ब्लू इकोनॉमी/ब्लू विकास का लाभ दिया जा सके। इन गांवों के मछुआरों को अपनी आजीविका हासिल करने और मत्स्य मूल्य शृंखला में समान भागीदारी के लिए सशक्त किया जाएगा। एक सहभागी और एकीकृत तरीके से स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यक अवसंरचना अंतराल को भरने के लिए बुनियादी ढाँचा, आधुनिक सुविधाएं, आपदा प्रतिरोधी घर, चक्रवात और सुनामी आश्रय, पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधाएँ आदि की पहचान की जाएगी। स्थायी लाभों के लिए आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए तटीय गांवों की मुख्य ताकत का लाभ उठाया जाएगा। जहां तक संभव हो होगा, वहां मंत्रालयों/विभागों के साथ ताल मेल किया जाएगा।
- (ज) उत्पादन और उत्पादकता क्रिटिकल अवसंरचना से जुड़े हुए हैं और प्रणालियों, जिसमें मूल्य शृंखला के साथ निहितार्थ जैसे जलीय पशु स्वारक्ष्य प्रबंधन, संगोष्ठी
- सुविधाएं, इनपुट गुणवत्ता परीक्षण और निदान प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, जिनमें रेफरल प्रयोगशालाएँ, राज्य के माध्यम से मछुआरों/मछुआरों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों को बढ़ावा देना शामिल है। पी.एम.एस.वाई. के इस घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से निधियां प्रदान की जाएगी।
- ### (iii) मात्स्यकी प्रबंधन और नियामक ढांचा
- (क) पी.एम.एस.वाई. के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवश्यकता आधारित सपोर्ट प्रदान करने का इरादा किया गया है। जिम्मेदार मत्स्यपालन के लिए आचार संहिता (सी.सी.आर.एफ.), एफएओ के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप मत्स्य प्रबंधन योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय और अनिवार्य दिशा-निर्देश/कोड और उपकरण का विकास भी करना है।
- (ख) पी.एम.एस.वाई. के तहत, मछुआरों और उनके जहाजों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा और समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एम.सी.एस.) शासन का विकास और प्रबंधन करना प्रस्तावित है। एम.सी.एस. के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं और नेटवर्क तैयार किए जाएंगे और प्रबंधित किए जाएंगे। पी.एम.एस.वाई. के तहत एक व्यापक पोत निगरानी तंत्र (वी.एम.एस.) के लिए आवश्यक संचार और सुरक्षा उपकरणों/पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों के लिए उपकरणों के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ग) पी.एम.एस.वाई. के तहत समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मछुआरों के प्रलेखन और डेटाबेस को आरंभ किया जाएगा। मत्स्य प्रबंधन में बहुउद्देशीय सहायता सेवाएं योजना के तहत निर्मित और समर्थित की जाएंगी। पी.एम.एस.वाई. के तहत, समुद्री मछुआरों को कई सहायता सेवाएं प्रदान करने, मछली पकड़ने के दस्तावेज

का काम करने आदि के लिए तटीय गांवों³ में बहुउद्देशीय श्रमिकों को सागर मित्र 'के' रूप में तैनात किया जाएगा जिससे समुद्री

(झ) रोग मानिटरिंग और निगरानी कार्यक्रम यानी जलीय पशु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एन.एस.पी.ए.डी.) को और

अनुबंध-I

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियों (i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत 100% केन्द्रीय निधि के साथ केन्द्रीय सैकटर योजना उपघटक गतिविधियाँ-	निबंधन व शर्तें (iv)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम और न्यूकिलयस प्रजनन केंद्र (एन.बी.सी.)	<p>आर्थिक मूल्य रखने वाले फिनफिश, शेलफिश और समुद्री शैवाल के आनुवंशिक रूप से बेहतर उपभेदों का विकास उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और देश में जलीय कृषि की दीर्घकालिक सततता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। पी.एम.एस.वाई. समुद्री शैवाल, झींगा और शेलफिश (फिनफिश) जैसे सीबास, तिलापिया, झींगे / विंराट आदि के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, देश में पेनासस मोनोडोन, जैसे प्राथमिकता वाले झींगा प्रजातियों के लिए पी.एम.एस.वाई. के अधीन न्यूकिलयस ब्रीडिंग सेंटर (एन.बी.सी.) की स्थापना करने के लिए पेनासस इंडिक्स और लिटोपेनेसस वन्यमई, आदि को सहायता प्रदान की जाएगी। झींगा पालन में रोग/रोगजनक मुक्त पॉलीचीट्स की आवश्यकता को देखते हुए, प्रजनन/आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पी.एम.एस.वाई. में एस.पी.एफ. पॉलीकीट्स के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती रहेगी।</p> <p>हितकारी प्रजातियाँ:</p> <p>आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ फिनफिश (सीबास, तिलापिया आदि) ▶ शेलफिश (प्रॉन, पेनेसस इंडिक्स, पेनेसस मोनोडोन, लिटोपेनेसस वन्यमई आदि) ▶ समुद्री शैवाल (कपाफाईक्स और ग्रेसिलेरिया सपीसीज) ▶ एस.पी.एफ. पॉलीचीट्स (विंराट खेती महत्वपूर्ण होने के कारण) ▶ कोई भी अन्य प्रजातियां जिसका मत्स्यपालन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाये। ▶ मीठे पानी की प्रजातियों के मामले में अच्छी गुणवत्ता वाला मीठा जल स्रोत जैसे नदी, नहर आदि उपलब्ध होना चाहिए। समुद्री प्रजातियों के मामले में, अच्छी गुणवत्ता वाला समुद्री जल उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, उन वांछित प्रजातियों की स्थानीय मांग होनी चाहिए, जिनके लिए सुविधा दी जानी है। <p>संघटक:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ बृड स्टॉक होल्डिंग सुविधा, मिल्ट/एग कलेक्शन इकाई, हैचिंग सुविधा, रियरिंग इकाई तथा एनबीसी के लिए शेड और बिल्डिंग। 	<p>निबंधन व शर्तें (iv)</p> <p>(i) इस उप-घटक के तहत गतिविधियों को डी.पी.आर. मोड पर लागू किया जाएगा। अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां (ई.आई.ए.) को आवश्यक औचित्य, तकनीकी-किफायती विवरण, प्रजाति, पूँजीगत लागत, शामिल आवर्ती लागत, पोस्ट निर्माण प्रबंधन और एन.बी.सी. और अन्य बुनियादी ढांचे के संचालन, प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार सृजन, परियोजना आदि के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाएं आदि के विवरण देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करनी चाहिए।</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▶ जैव सुरक्षा उपायों के लिए बाउंड्री वॉल/फेंसिंग ▶ क्रायो-मिल्ट संरक्षण सुविधा (जहाँ भी आवश्यक हो) ▶ कीटाणुशोधन सुविधाएं ▶ मीठा जल स्रोत ▶ प्रवाह उपचार प्रणाली (ई.टी.एस.) ▶ आनुवंशिक सुधार के महत्व को देखते हुए क्षमता निर्माण/ जागरूकता कार्यक्रम ▶ रोग निदान प्रयोगशाला ▶ निपटान की सुविधा ▶ विशिष्ट स्थान/प्रजातियों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं
2	नवाचार और अभिनव परियोजनाएं/ गतिविधियाँ, स्टार्टअप, इन्क्यूबेटरों और प्रमुख परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन।	<p>पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत मुख्य परियोजनाओं सहित मत्स्यपालन और जलकृषि से संबंधित नवाचारों और नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाएगा। इसके अलावा, मत्स्य पालन, फिशरीज इंक्यूबेटर्स सेंटर (एफ.आई.सी.) में स्टार्टअप की सुविधा, ब्लॉक चेन, समुद्री रंचिंग जैसी गतिविधियों, क्रिल कोटा का दोहन, जलकृषि में उन्नत प्रगति और मत्स्यपालन कार्य करने, कुपोषण को दूर करने के लिए नए दृष्टिकोण, पालतू जानवरों के रूप में सजावटी मछलियों को बढ़ावा देने जैसी नवीन दृष्टिकोण जैसी गतिविधियां, सार्वजनिक स्थानों/स्कूलों/सरकारी कार्यालयों में एक्वैरिया की स्थापना और संचालन के माध्यम से मत्स्यपालन के महत्व का प्रसार करना या सी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य गतिविधि को इस उप-घटक के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। पी.एम.एम.एस.वाई. का सी.ए.सी. इस उप-घटक के तहत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगा।</p> <p>(i) परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) मोड पर शुरू किया जाएगा।</p> <p>(ii) प्रत्येक परियोजना की इकाई लागत का मूल्यांकन मामला-दर-मामला के आधार पर किया जाएगा और उसे सी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।</p> <p>(iii) इकाई लागत निम्नानुसार सीमित होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> क. 1 करोड़ रुपये तक नवीकरण परियोजना ख. 3 करोड़ रुपये तक इनक्यूबेशन केन्द्र ग. 2 करोड़ रुपये तक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना— घ. 50 लाख रुपये तक स्टार्टअप ड. 2 करोड़ रुपये मुख्य प्रोजेक्ट च. सी.ए.सी. द्वारा अनुशंसित कोई अन्य परियोजना। <p>(iv) प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख परियोजना यानी (iii) (क) से (च) तक दी गई उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए शुरू की गई व्यक्तिगत/समूह की गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उसे शुरू किया जाएगा। ऐसे मामलों में सामान्य श्रेणी के लिए केंद्रीय सहायता इकाई/ परियोजना लागत 40% तक और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग के लिए 60% होगी।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
			<p>(v) उच्चतर परिव्यय की परियोजनाओं के लिए सी.ए.सी. की सिफारिशों पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुसार मामला-दर-मामला के आधार पर (iii) के से च तक दी गई परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(vi) जब भी इस उप-घटक के तहत गतिविधियों का कार्यान्वयन मत्स्यपालन विभाग द्वारा या इसकी संस्थाओं के माध्यम से सीधे किया जाता है वहां परियोजना परिव्यय वास्तविक लागत के अनुसार होगा।</p> <p>(vii) अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां (ई.आई.ए.) / लाभार्थी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेगा जिसमें आवश्यक औचित्य, तकनीकी-किफायती विवरण, विचारित प्रजातियाँ, पूँजीगत लागत, शामिल आवर्ती लागत, पोर्ट निर्माण प्रबंधन और नवाचारों और नवीन परियोजनाओं का संचालन / गतिविधियाँ, स्टार्टअप, इन्क्यूबेटरों और मुख्य परियोजनाएं तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और अन्य बुनियादी ढाँचा / प्रस्तावित संस्था, प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन और परियोजना आदि के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाएँ शामिल हैं।</p> <p>(viii) (ई.आई.ए.) / लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण (या तो स्वयं/पंजीकृत लीज दस्तावेज) प्रदान करेगा 1 पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तिथि से लीज अवधि/समझौता न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि से कम नहीं होगा। जबकि गैर-अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से लीज अवधि/समझौता 7 (सात) वर्ष से कम नहीं होगा। पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किया जायेगा।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण	<p>पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत, मछुआरा, मछली किसानों, मछली श्रमिकों / विक्रेताओं और अधिकारियों के प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण की ओर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जीवन रक्षक, समुद्र तट पर्यटक गाइड, आदि जैसी वैकल्पिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए मछुआरों के कौशल में सुधार हेतु कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024–25 तक लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाई जाएगी।</p>	<p>(i) परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) मोड पर शुरू किया जाएगा।</p> <p>(ii) प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक परिचालन दिशा-निर्देश सी.ए.सी. और मत्स्यपालन विभाग के अनुमोदन से उचित समय में तैयार और जारी किए जाएंगे।</p> <p>(iii) ऐसे समय तक, निम्नलिखित गतिविधियों को मंजूरी दी जाती है।</p> <p>क. सभी राज्यों को कम से कम 500 प्रतिभागियों के साथ हितधारकों के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा और जिसके लिए 5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवश्यकता होने पर, अतिरिक्त निधि राज्य द्वारा दी जाएगी।</p> <p>ख. पी.एम.एम.एस.वाई. पर जागरूकता पैदा करने के लिए जिला स्तर/क्षेत्रीय स्तर (2 से 3 जिलों को मिलाकर जहां भी संभव हो) पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पी.एम.एम.एस.वाई. पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम उन हितधारकों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिनके पास राज्य द्वारा 500 से कम प्रतिभागी नहीं हैं, जिनके लिए 100,000 रुपये की केंद्रीय सहायता (प्रत्येक कार्यक्रम के लिए) प्रदान की जाएगी। आवश्यकता होने पर, अतिरिक्त निधि राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
4	जलीय संगरोध सुविधाएं	<p>मत्स्यपालन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, ज्ञात और अज्ञात संक्रामक रोगों के पनपने की संभावना बनी रहती है, जो बहुत ही खतरनाक और तेजी से फैलने की विधि में होते हैं जिनका सामाजिक-आर्थिक और जलीय पशु/मानव स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मत्स्यपालन क्षेत्र में क्वारेंटाइन स्टेशन स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि आयातित जरमप्लाज्मा, जलीय जानवरों और जलीय उत्पादों के माध्यम से देश में खतरनाक विदेशी बीमारियों से होने वाले खतरे से बचा जाए। पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत, देश में जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना करने के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को ए.क्यू.एफ. की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। (iii) केंद्र सरकार या उसकी संस्थाएं/राज्य सरकार या उसकी संस्थाएं 100% केंद्रीय वित्त पोषित राशि से ए.क्यू.एफ. की स्थापना करने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। हालांकि, ए.क्यू.एफ. के परिचालन और प्रबंधन की लागत संबंधित प्रायोजक संस्थाएं द्वारा वहन की जाएगी। मत्स्यपालन विभाग ओ एंड एम. के आवर्ती खर्चों के लिए निधि नहीं देगा। (iv) मत्स्यपालन विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यानी मत्स्यपालन विभाग के जलीय संगरोध निदेशालय के माध्यम से ए.क्यू.एफ. को स्थापित करने और उसे चलाने के लिए निधि दे सकता है। (v) साइट किसी अंतरराष्ट्रीय पोर्ट के प्रवेश द्वार के आसपास / निकटवर्ती क्षेत्र के समीप होना चाहिए। (vi) अच्छी गुणवत्ता वाले जल स्रोत तक पहुँच उपलब्ध होनी चाहिए। (vii) मत्स्यपालन विभाग द्वारा ए.क्यू.एफ. की स्थापना वास्तविक लागत के अनुसार होगी। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों या उनकी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित ए.क्यू.एफ. के मामले में, केंद्र सरकार या उनकी संस्थाओं (मत्स्यपालन विभाग के अलावा) प्रत्येक ए.क्यू.एफ. के लिए इकाई की लागत डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना हेतु ऊपरी सीलिंग 20 करोड़ रुपये होगी। ऊपरी सीलिंग से अधिक की अतिरिक्त लागत, यदि कोई है तो वह, इन प्रायोजक संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी।

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
5	केंद्र सरकार और उसकी संस्थाओं के मछली पकड़ने के बंदरगाह का आधुनिकीकरण	<p>इस समय विकसित या विकसित की जाने वाली लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं कुल मछली पकड़ने के बेडे के लगभग 40% की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। मछली आयात करने वाले राष्ट्र लैंडिंग वाले स्थानों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने की ओर जोर दे रहे हैं और लैंडिंग मछली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली पकड़ने के बंदरगाह को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उनकी सफाई व्यवरथा को सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा, मौजूदा बंदरगाह को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। अतीत में विकसित कुछ प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पोर्ट द्रस्टों के नियंत्रण में हैं। इसलिए, भारत सरकार ने ऐसे मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया पर पी.एम.एस.वाई. की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत प्राथमिकता वाली गतिविधियों के रूप में विचार किया गया है। परियोजनाओं को डी.पी.आर. मोड पर लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार और इसकी संस्थाओं के लगभग 3 से 4 मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जाएगा। जहाजरानी मंत्रालय की सागरमाला के साथ संसाधनों का आदान-प्रदान किया जाएगा।</p> <p>संघटक</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ मौजूदा ब्रेकवाटर का विस्तार/ नवीनीकरण। ब्रेकवाटर की मरम्मत और रखरखाव ▶ जेटी/ घाट के लैंडिंग का विस्तार/ नवीनीकरण करना। घाट की मरम्मत/ रखरखाव। ▶ नीलामी हॉल का नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण, नेट शेडिंग शेड, कार्यशाला सुविधाएं, स्लिपवेज, सार्वजनिक शौचालय। ▶ आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए नवीनीकरण/आधुनिकीकरण/ अतिरिक्त सुविधाएं। ▶ जलापूर्ति व्यवस्थाओं का नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण। ▶ विद्युत व्यवस्था का नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण। ▶ संपर्क और आंतरिक सड़कों की मरम्मत/ नवीनीकरण। ▶ मत्थयन बंदरगाह का ड्रेजिंग। ▶ एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई.टी.पी.)/ उसका रखरखाव करना। 	<p>(i) संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट/सरकार या इसकी संस्थाएं मौजूदा मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए औचित्य प्रदान करेगी।</p> <p>(ii) उपलब्ध बेडे का आकार निर्दिष्ट किया जाएगा।</p> <p>(iii) आर्थिक विश्लेषण को डी.पी.आर./एस. सी.पी. में शामिल किया जाएगा।</p> <p>(iv) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>(v) यदि आवश्यक हो तो ई.आई.ए. अध्ययन, पर्यावरण मंजूरी, सी.आर.जैड. से अनुमति प्राप्त की जाएगी।</p> <p>(vi) डी.पी.आर. के आधार पर और मत्थयालय विभाग द्वारा जरूरत के अनुसार सभी उप-संघटकों पर विचार किया जाएगा।</p> <p>(vii) अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां (ई.आई.ए.) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेगी, जिसमें आवश्यक औचित्य, तकनीकी-आर्थिक विवरण, पूँजीगत लागत, पोर्ट निर्माण प्रबंधन और केंद्र सरकार और उनकी संस्थाओं के मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए संचालन और प्रबंधन, प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन और परियोजना आदि के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा भी शामिल है।</p> <p>(viii) लागत वास्तविक आवश्यकता/ जरूरत के अनुसार होगी। साइट विशिष्ट डी.पी.आर. को मत्थयालय विभाग को प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>(ix) संबंधित पोर्ट ट्रस्ट/सरकारी निकाय को मछली पकड़ने के बंदरगाह के मौजूदा प्रबंधन मॉडल का सुझाव देना चाहिए और मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन को सुधारने के लिए इस प्रणाली को लागू करना होगा। यह प्रमुख स्थितियों में से एक स्थिति होगी।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
			(i)
6	राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.), मत्स्यपालन संस्थानों और मत्स्यपालन पोर्ट हार्डवर्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग संस्थान भारत सरकार के (निफाट) और (iv) केंद्रीय मत्स्यपालन तटीय अभियांत्रिकी मत्स्यपालन विभाग संस्थान (सी.आई.सी.ई.एफ.) वर्तमान में मत्स्यपालन विभाग के नियामक प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। देश में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वर्ष 2005 में तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) की स्थापना राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की गई थी। इसके अलावा, जलीय संगरोध निदेशालय बोर्डों को आवश्यकता भी इस विभाग के अधीन कार्यरत है। राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) की स्थापना जुलाई, 2006 में की गई है जिसका मुख्यालय है दिल्ली। और इसको आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की स्थापना मत्स्यपालन और जलकृषि से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए की गई थी। जिनका उद्देश्य व्यावसायिक प्रबंधन और अन्य उद्देश्यों की ओर ध्यान केन्द्रित करना था। पी.एम.एम.एस.वाई. में राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) जो अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक एजेंसी है, पर विचार किया गया है। इसी तरह, राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग का मत्स्यपालन संस्थान, मत्स्यपालन विभाग का विनियामक प्राधिकरण जैसे सी.ए.ए., जलीय संगरोध निदेशालय, राज्य मत्स्यपालन विकास बोर्ड को बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करके सुदृढ़ किया जाएगा। इफ्रास्ट्रक्चर आदि के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करके पूर्वोक्त संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान मत्स्यपालन विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली नई संस्थाओं को, यदि कोई है, तो इफ्रास्ट्रक्चर आदि के संदर्भ में भी सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना के भीतर उसे प्रदत्त निधि से जरूरत आधारित मत्स्यपालन विकास गतिविधियों को भी शुरू करेगा। <p>1. राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.): केंद्रीय क्षेत्र की योजना के भीतर लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों सहित मत्स्यपालन आधारित गतिविधियों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड को सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की जरूरत आधारित बुनियादी ढाँचे के लिए राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा और उसे अपनी कार्यकारी समिति (ई.सी.) द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा तथा प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मत्स्यपालन विभाग को भेजा जाएगा। मत्स्यपालन विभाग को उसके अनुमोदन हेतु सिफारिश करने के लिए सी.ए.सी. में भेजने से पहले राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य योजना को डी.ओ.एफ. की प्राधिकृत संस्था द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा। मत्स्यपालन विभाग क्रमशः राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधि जारी करेगा। सी.ए.सी. की सिफारिशों पर डी.ओ.एफ. राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड को लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के घटक के तहत किसी भी अन्य व्यवहार्य उप-घटक/गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंप सकता है। उसी के लिए आवश्यक निधि मत्स्यपालन विभाग द्वारा स्वीकृत की जाएगी और उसे राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड के लिए जारी किया जाएगा। यह वांछनीय है कि राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना को विधिवत तैयार करे।</p>		

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
			भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.), केंद्रीय मत्स्यपालन नौटिकल और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), राष्ट्रीय मत्स्यपालन पोर्ट हार्बर्स्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (एन.आई.एफ.पी.एच.ए.टी.टी.), केन्द्रीय तटीय इंजीनियरिंग मत्स्यपालन (सी.आई.सी.ई.एफ.), संस्थान के लिए आधारभूत संरचना के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। तटीय जलकृषि अर्थोरिटी (सी.ए.ए.), जलीय संग्राह निदेशालय, राज्य मात्स्यकी विकास बोर्ड (एस.एफ.डी.बी.) या पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान मत्स्यपालन विभाग द्वारा स्थापित कोई भी नई संस्थाओं को अवसंरचना आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी और सहायता की मात्रा वास्तविक आवश्यकता के अनुसार और सी.ए.सी. की सिफारिशों के अनुरूप मत्स्यपालन विभाग द्वारा तथ की जाएगी। हालांकि, राज्य मत्स्यपालन विकास बोर्ड को उनके बुनियादी ढांचे के लिए दी जाने वाली सहायता को अर्थात् तकनीकी सिविल कार्य, जिसमें फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरणों आदि की खरीद के लिए प्राप्त किए जाते हैं, एकमुश्त अनुदान के रूप में अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एस.एफ.डी.बी. तक सीमित किया जाएगा।
7	मत्स्यपालन विभाग	यह जरूरी है कि मछली पालन संस्थानों विशेष रूप से और भारत सरकार के (i) भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) और (ii) स्वामित्व वाले डेजर केंद्रीय मत्स्यपालन और नौटिकल अभियांत्रिकी प्रशिक्षण टी.एस.डी. सिंधुराज संस्थान, (सिफनेट) को आधुनिक संसाधन सर्वेक्षण/सहित मत्स्य संस्थानों प्रशिक्षण जहाजों का अधिग्रहण करने के लिए आवश्यकता के लिए सर्वेक्षण और पर आधारित सहायता प्रदान करके और सुदृढ़ किया जाए प्रशिक्षण जहाजों के और मौजूदा सर्वेक्षण/प्रशिक्षण जहाजों और क्षमता निर्माण लिए सहायता प्रदान आदि का उन्नयन किया जाए। करना।	(i) मत्स्यपालन सर्वेक्षण और सिफनेट में प्रशिक्षण प्रदान करने और पाठ्यक्रम शुरू करने के कार्य में लगे हुए एफ.एस.आई. के मत्स्यपालन संस्थानों के लिए सर्वेक्षण और प्रशिक्षण जहाजों की खरीद हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) मोड पर इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। इन गतिविधियों को शुरू करने का खर्च वास्तविक खर्च के अनुसार होगा। प्रत्येक परियोजना की इकाई लागत का मूल्यांकन मामला-दर-मामला के आधार पर किया जाएगा और सी.ए.सी. द्वारा उसे अनुशसित भी किया जाएगा।

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
8	रोग निगरानी और निगरानी नेटवर्क	<p>राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली रोगों के फैलने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने और उन पर नियंत्रण करने हेतु निगरानी कार्यक्रम प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक प्राथमिक चिंता का विषय बन गया है। इस तरह के कार्यक्रम के महत्व को महसूस करते हुए, मत्स्यपालन विभाग ने 2013 में जलीय पशु रोगों (एन.एस.पी.ए.डी.) के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम को जलकृषि महत्व रखने वाले 16 राज्यों में और 2 संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दमन और दयू में 26 राष्ट्रीय/राज्य मत्स्यपालन संस्थान के माध्यम से लागू किया जा रहा है। जल कृषि पशु रोग (एन.एस.पी.ए.डी.) पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से पी.एम.एस.वाई. के तहत सहायता प्रदान की जायेगी।</p>	<p>(ii) मत्स्यपालन विभाग ने दिसंबर, 1999 में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर रखरखाव ड्रेजिंग को अंजाम देने के लिए जापानी अनुदान—सहायता प्रोग्राम के तहत एक ड्रेलर सवाशन हॉपर ड्रेजर %ठी.एस.डी. सिंधुराज” की खरीद की थी। पी.एम.एस.वाई. के तहत इस ड्रेजर का प्रबंधन और रखरखाव प्रस्तावित है।</p> <p>(i) रोग निदान पर मॉनिटरिंग और निगरानी कार्यक्रम यानी जलीय पशु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एन.एस.पी.ए.ए.डी.) को और मजबूत और व्यापक आधार प्रदान किया जाएगा।</p> <p>(ii) जलीय पशु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एन.एस.पी.ए.ए.डी.) के दूसरे चरण को हितधारकों विशेषकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से शुरू किया जाएगा।</p> <p>(iii) एन.एस.पी.ए.ए.डी. के पहले चरण का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया जाएगा और प्रदार्य कार्यों को बेहतर बनाने के लिए दूसरे चरण में अधिगम कार्यक्रमों यदि कोई है, को शामिल किया जाएगा। ऐसे समय तक या जब तक सी.ए.सी. और मत्स्यपालन विभाग द्वारा यह तय नहीं कर लिया जाता है, तब तक जलीय पशु रोग पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एन.एस.पी.ए.ए.डी.) का दूसरा चरण मत्स्यपालन विभाग द्वारा एन.एस.पी.ए.ए.डी. लागू किया जाएगा, और चरण—१ की मौजूदा निबंधन व शर्तों के अनुसार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यक्रमों को सार्वजनिक हित/महत्व प्रदान किया जाएगा।</p> <p>(iv) सी.ए.सी. की सिफारिशों पर मत्स्यपालन विभाग, एन.एस.पी.ए.ए.डी. के बदले या इसके अलावा कोई भी अन्य रोग की निगरानी और मॉनिटरिंग नेटवर्क परियोजना/गतिविधियाँ शुरू करेगा।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियों	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

9 मछली डेटा संग्रह, कार्यक्रमों और नीतियों को बनाने और उसका नियोजन मछुआरों का सर्वेक्षण करने के लिए मत्स्यपालन डेटाबेस को सुदृढ़ करना एक शामिल हैं और मत्स्यपालन महत्वपूर्ण इनपुट है। पी.एम.एस.वाई. में मत्स्यपालन (i) अंतर्देशीय और समुद्री मछुआरों के लिए जलवाया के लिए विकास की जरूरत है।

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
			<p>(iv) मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा और सी.ए.सी. की सिफारिश पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुमोदन के लिए उस पर विचार किया जाएगा।</p> <p>(v) बुनियादी ढांचे की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियाँ जिम्मेदार होगी।</p> <p>(vi) भारत के समुद्री क्षेत्रों में मॉनिटरिंग और निगरानी करने के अलावा, सुरक्षा एजेंसियों को संकट और आपदाओं के दौरान स्थानीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थापना करने में सहयोग करना चाहिए।</p> <p>(vii) जहां भी संभव हो, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे/उपकरणों का उपयोग किया जाए।</p>
11	मछली किसान उत्पादक संगठन/ कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.)	जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, यह मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 500 मछली किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियाँ एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. को स्थापित करने का प्रस्ताव है। (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.) को पी.एम.एम.एस.वाई. और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत वित्त पोषण से व्यवहार्य होने पर स्थापित किया जाएगा। मत्स्यपालन क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.) की स्थापना करने और उसे हैंडहोल्डिंग करने के लिए लागत मानदंड, दिशानिर्देश और तौर-तरीके आदि को सी.ए.सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सी.ए.सी. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एफ.एफ.पी.ओ. योजना के लागत मानदंडों और दिशानिर्देशों को आधार के रूप में ले सकती है। जहां भी संभव हो, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त वित्तीय सहायता से एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. भी स्थापित किए जाएंगे। एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. के परिणामों को अनुकूलित बनाने के उद्देश्य से सी.ए.सी. को किसी विशेष गतिविधि की कुल क्षेत्र/इकाइयों की उपरी सीमा के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम होना होगा ताकि एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. को शुरू करने हेतु पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत मद/सहायता प्रदान की जा सके। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नाबाड़, एन.सी.डी.सी. आदि के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ताकि एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. को संभव सीमा तक क्रेडिट गारंटी सुरक्षा दी जा सके।	<p>(i) (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.)की स्थापना और हैंडहोल्डिंग के लिए लागत मानदंड, दिशा-निर्देश और तौर-तरीके, आदि मत्स्यपालन विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे और उसको सी.ए.सी. द्वारा तथ समय में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सी.ए.सी. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एफ.एफ.पी.ओ. योजना के लागत मानदंडों और दिशानिर्देशों को आधार के रूप में ले सकती है।</p> <p>(ii) ऐसे समय तक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही एफ.पी.ओ. योजना के मौजूदा लागत मानदंडों और दिशा-निर्देशों के आधार पर मत्स्यपालन विभाग इस गतिविधि को लागू करेगा।</p> <p>(iii) कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, नाबाड़, एन.सी.डी.सी. आदि विभागों के साथ संबंध को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ताकि एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस. को क्रेडिट गारंटी सुरक्षा संभव सीमा तक प्रदान की जा सके।</p>

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ स्कोपः ▶ मछुआरा और मछली किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ▶ उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना। ▶ खुद का मार्केटिंग नेटवर्क विकसित करना। <p>एक एफ.एफ.पी.ओ./ कंपनी के लिए संकेत गतिविधियाँ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इनपुट की खरीद (मछली बीज/ चारा/निर्माण सामग्री) 2. तालाब कल्वर/ केज कल्वर/ पेन कल्वर/ केज कल्वर (अंतर्देशीय/ समुद्री/ ब्रैकिश वाटर)/ आर. ए.एस./ रेसवे/ बायो-फ्लोक, अंतर्देशीय और समुद्री दोनों के लिए फिलिंग गतिविधियाँ। 3. प्रैदूषिकी का प्रसार 4. नवीन मत्स्यपालन गतिविधियाँ 5. प्राथमिक प्रसंरक्तरण 6. उत्पाद की ब्रांडिंग 7. मछली और मत्स्यपालन उत्पादों/ उप-उत्पादों का विकास 8. गुणवत्ता नियंत्रण 9. शीत श्रृंखला विकास 10. पैकेजिंग/ लेबेलिंग/ मानकीकरण 11. विषणन 12. निर्यात 13. कोई अन्य मछली पालन से संबंधित गतिविधि, जो एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.एस. द्वारा शुरू किए जाने के लिए उपयुक्त हो। 	

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
12	प्रमाणन, प्रत्यायन, बीज और चारा प्रमाणन और प्रत्यायन की प्रणाली को ट्रेसेबिलिटी और फिनफिश और शेलफिश के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है। चिराट में एंटीबायोटिक्स और अवशेषों की उपस्थिति की बढ़ती हुई चिंताओं का प्रभावी ढंग से पता लगाए जाने की जरूरत है ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुद्री निर्यात में निरंतर दुगुनी वृद्धि हो रही है। ब्लॉक श्रेणी की तकनीक का उपयोग करते हुए मछली में एंड टू एंड पता लगाने की एक प्रणाली को तुरंत लागू करने की जरूरत है। पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत, जहां भी आवश्यक हो, आई.टी. अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए एक व्यापक ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीज और चारा सहित जलकृषि इनपुट का प्रमाणन, उत्पादन इकाइयों का प्रत्यायन जैसे कि ब्रूड बैंक, फार्म, हैचरी, सपोर्ट एक्सटेंशन सिस्टम आदि गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मछली में प्रमाणन, प्रत्यायन, ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग से संबंधित कोई भी अन्य जरूरत—आधारित गतिविधि और बुनियादी ढांचे के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन पहलुओं पर कार्रवाई की जाती है। एन.ए.बी.सी.बी. मछली/झींगा हैचरी और फीड मिल के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) के तहत कुछ निरीक्षण निकाय (आई.बी.)/प्रमाणन निकाय (सी.बी.) को मंजूरी दे सकता है।	<p>(i) सी.ए.सी की सिफारिशों और मत्स्यपालन विभाग की मंजूरी के आधार पर डी.पी.आर./स्वतःस्पष्ट प्रस्ताव लागू किया जाएगा।</p> <p>(ii) इस उप-घटक के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश कार्यान्वित किए जायेंगे और उन्हें नियत समय पर जारी किया जायेगा।</p> <p>(iii) घटक पर काम किया जाएगा और नियत समय में जारी किया जाएगा।</p>	
		<p>उद्देश्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ भारत में शेलफिश/फिनफिश हैचरी/फीड मिलों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी उत्पादन प्रक्रिया गुणवत्ता बीज/फीड के मानदंडों के अनुरूप हो। ▶ हैचरी मालिकों/फीड मिल को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ▶ सभी किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मछली/झींगा बीज की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करना। <p>▶ हैचरीज और रामैटेरियल की ट्रेसेबिलिटी, चारा मिल के लिए प्रलेखीकरण प्रक्रिया की स्थिति में ब्रूड स्टाक की ट्रेसेबिलिटी तथा बीज उत्पादन के प्रलेखीकरण को बनाए रखना।</p> <p>प्रत्यायन और प्रमाणन प्रणाली को फिनफिश/शेलफिश (झींगा, केकड़ा आदि) के सभी हैचरी में और भारत में फीड मिल्स-निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के तहत, जो मछली/झींगा हैचरी और फीड मिल की ब्रीडिंग का कार्य करते हैं, के लिए अनिवार्य किया जाएगा।</p> <p>मत्स्यपालन विभाग हैचरी, सीड फार्म, फिश/झींगा फार्म या कैचरिंग आदि हेतु ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग के लिए उपयुक्त मॉडल भी तैयार करेगा।</p>	

क्र.सं.	उप-घटक	पृष्ठ भूमि और शामिल की गई मुख्य गतिविधियाँ	निबंधन व शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
13	पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों दोनों के खर्चों को पूरा करने के लिए)		<p>(i) प्रत्येक परियोजना/योजनाओं/उप घटकों के लिए समग्र प्रशासनिक व्यय केंद्रीय सहायता का 2.5% से अधिक नहीं होगा। प्रशासनिक व्यय के तहत व्यापक गतिविधियों को इस परिचालन दिशानिर्देश के पैरा-18.1 से 18.4 तक इंगित किया गया है।</p> <p>(ii) मत्स्यपालन विभाग प्रशासनिक खर्चों के तहत खर्च करने के लिए लागत मानदंडों सहित तौर-तरीकों और दिशा-निर्देशों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। इसमें राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड में परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) और प्रोग्राम मॉनिटरिंग इकाई (पीएमयू) की स्थापना और संचालन के लिए तौर-तरीके, दिशानिर्देश और लागत मानदंड भी शामिल हैं, राज्य/संघ राज्य स्तर पर स्टेट प्रोग्राम इकाई (एस.पी.यू.) मत्स्यपालन विभाग में परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई (पी.एम.ई.यू.) और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) उप-जिला स्तर पर आवश्यक संस्थागत व्यवस्था/संरचना शामिल है।</p> <p>(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू./यू.टी.पी.यू.) की स्थापना और संचालन के लिए जनशक्ति, पैमाने, उनके पारिश्रमिक, पात्रता मानदंड, आदि का नामावली और पैमाना, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) तथा उप-जिला स्तर पर आवश्यक संस्थागत व्यवस्था/संरचना स्तर को इन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुबंध-IX में नियत किया गया है। इन कार्यालयों के लिए मासिक कार्यालय खर्च भी अनुबंध-IX में दिए गए हैं।</p> <p>शेष गतिविधियों के लिए, मत्स्यपालन विभाग द्वारा अलग से विवरण जारी किया जाएगा।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

						(ix) हैचरी का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा। (x) हैचरी की प्रत्यायन लागत अनिवार्य रूप से परियोजना के अनुमानों में शामिल होगी।
1.2	नए मीठे पानी की स्कैंपी हैचरीज़ की स्थापना	(सं.)	50.00	20.00	30.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य और तकनीकी—किफायती विवरण देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उत्पादित प्रजाति, पूंजीगत लागत, परियोजना के लिए निधि स्रोत और आवर्ती लागत आदि भी शामिल है।</p> <p>(ii) डी.पी.आर. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी होना चाहिए।</p> <p>(iii) लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे के दस्तावेज) प्रदान करेगा, जो कि अतिक्रमणों और बाधाओं से रहित हो, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं का निवेश आदि के लिए परियोजना लागत या घोषणा द्वारा गैर-संबिल्डी वाले भाग के संबंध में ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति लेने जैसे वित्त स्रोत भी शामिल हैं।</p> <p>(iv) पट्टे की जमीन के मामले में, लीज अवधि/करार अवधि डी.पी.आर./एस.एस.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.एस.पी. में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(v) मीठे पानी की स्कैंपी हैचरी में 30 मिलियन पी.एल. /वर्ष की न्यूनतम क्षमता होगी जिसका न्यूनतम क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर है।</p> <p>(vi) स्कैंपी हैचरी का प्रबंधन योग्य कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।</p> <p>(vii) लाभार्थी उपयुक्त/उचित मूल्य पर केंद्रीय सहायता प्राप्त हैचरी से किसानों को उत्पादित बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(viii) हैचरी में ब्लड स्टॉक टैंक, लार्वा रियरिंग और पीएल रियरिंग टैंक, छोटी प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति, जैव सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक अवसरचना सुविधा आदि शामिल होंगे।</p> <p>(ix) हैचरी का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(x) हैचरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित या प्रशिक्षित होने की इच्छा रखने वाले या हैचरी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसके पात्र हैं।</p> <p>(xi) हैचरी की प्रत्यायन की लागत अनिवार्य रूप से परियोजना के अनुमानों में शामिल होगी।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.3	नए रेयरिंग तालाबों का निर्माण (नर्सरी / बीज पालन तालाब)	(हे.)	7.00	2.80	4.20	<p>(i) लाभार्थी, औचित्य और तकनीकी-आर्थिक विवरण आदि देते हुए स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रजातियाँ, पूँजीगत लागत और आवर्ती लागत भी शामिल हैं।</p>
1.4	नए ग्रो आउट तालाबों का निर्माण	(हे.)	7.00	2.80	4.20	<p>(ii) स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सूजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा, आवर्ती लागत शामिल है जिसमें लाभार्थी के भाग या स्वयं के निवेश के लिए स्व-धोषणा की पूर्ति करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंक की सहमति लेने जैसे वित्त स्रोत भी शामिल है।</p> <p>(iii) स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे के दस्तावेज) भी शामिल होंगे, जो कि अतिक्रमण और बाधाओं से रहित हो, आवश्यकता होने पर, आवश्यक मंजूरी/अनुमति भी ली जाएगी। लीज भूमि के मामले में, लीज अवधि/ करार अवधि स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से 7 (सात) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iv) तालाब का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(v) लाभार्थी इस आशय का वचन देगा कि उसने किसी सरकारी अथवा एजेंसी के अधीन उसी प्रकार की गतिविधि के लिए सक्षिकी का लाभ नहीं उठाया है।</p> <p>(vi) तालाबों/टैंकों की न्यूनतम पानी की गहराई 1.5 मीटर है जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।</p> <p>(vii) सरकारी सहायता निम्नलिखित वर्गों तक प्रतिबंधित है (क) 2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति लाभार्थी के लिए (ख) 2 हेक्टेयर को समूह/समाज के सदस्यों की संख्या से गुणा करके आने वाली संख्या, जिसकी सीमा फिशर तथा मछली किसानों के समूह की स्थिति में, 20 हेक्टेयर प्रति समूह/समाज हो, यानी जिन्हें फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.)/फिशर कोऑपरेटिक्स आदि या कलस्टर/अप्रोच एरिया में शुरू किया गया हो। हालाँकि, एक कलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/ सोसाइटी हो सकती हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर-तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र के संबंध में ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.5	मीठे पानी जलकृषि के लिए इनपुट जिनमें कम्पोजिट मछली कल्यार, रस्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल हैं।	(हे.)	4.00	1.60	2.40	<p>(i) लाभार्थियों को केवल नवनिर्मित तालाबों/टैंकों में प्रारंभिक फसल के लिए इनपुट लागत हेतु सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(ii) इनपुट लागत के लिए सरकारी सहायता कल्वर हेतु तालाबों/टैंकों के तैयार होने के बाद ही जारी की जाएगी।</p> <p>(iii) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., एन.आर.एल.एम योजना आदि के तहत बनाए गए नए तालाबों और मछली पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के लिए भी विचार किया जा सकता है।</p>
1.6	जरूरत के अनुसार, न्यू ब्रैकिश वाटर हैचरीज (शेल फिश और फिन फिश) की स्थापना	(सं.)	50.00	20.00	30.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य और तकनीकी-आर्थिक विवरण आदि देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उत्पादन, पूँजीगत लागत और आवर्ती लागत शामिल है।</p> <p>(ii) डी.पी.आर. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन आदि के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि के विवरण भी शामिल होने चाहिए।</p> <p>(iii) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण(या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे का दस्तावेज) प्रदान करेगा, जो कि अतिक्रमण से रहित हो, यदि प्रस्तावित क्षेत्र सी.ए.ए. के अधिकार क्षेत्र में है, तो तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) से आवश्यक मंजूरी/अनुमति ली जाएगी, इसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं के निवेश के लिए घोषणा अथवा परियोजना की लागत के गैर-सब्सिडी वाले भाग के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंक की सहमति लेने जैसे वित्त स्रोत भी शामिल है। लीज पर ली गई भूमि के मामले में, लीज की अवधि स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तारीख से 10 (दस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज़ को स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iv) ब्रैकिश वाटर हैचरी फिनफिश के लिए 5 लाख फ्राई/वर्ष की और झींगा के लिए 10 मिलियन पीएल/वर्ष के लिए न्यूनतम क्षमता होगी, जिसका न्यूनतम क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर होगा।</p> <p>(v) ब्रैकिश वाटर फिश हैचरी में बूढ़र तालाब/टैंक, नसरी पालन की सुविधा, टंकियां, छोटी प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति, आवश्यक अवसरण्यना और बायोसुक्रिटी सुविधाएं शामिल होंगी।</p> <p>(vi) हैचरी का प्रबंधन योग्य कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

(vii) लाभार्थी संगठन सरकारी सहायता प्राप्त हैं जो कि किसानों को सरकारी उचित कीमत पर उत्पादित बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)		नियम और शर्तें
				सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(v) तालाब के निर्माण के बाद का परिचालन कार्य, प्रबंधन और रखरखाव का कार्य लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।</p> <p>(vi) लाभार्थी इस आशय का वचन देगा कि उसने किसी सरकारी योजना अथवा एजेंसी के अधीन उसी गतिविधि के लिए सक्षिकी का लाभ नहीं उठाया है।</p> <p>(vii) 1.5 मीटर की न्यूनतम पानी की गहराई वाले तालाब/टैंक वित्तीय सहायता प्राप्त के लिए पात्र हैं।</p> <p>(viii) सरकारी सहायता निम्नलिखित बगों तक प्रतिबंधित है (क) 2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति लाभार्थी के लिए (ख) 2 हेक्टेयर को समूह/समाज के सदस्यों की संख्या से गुणा करके आने वाली संख्या, जिसकी सीमा फिशर तथा मछली किसानों के समूह की स्थिति में, 20 हेक्टेयर प्रति समूह/समाज हो, यानी जिन्हें फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.)/फिशर कोऑपरेटिव आदि या कलस्टर/अप्रोच एरिया में शुरू किया हो। हालांकि, एक कलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.) का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर-तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र के संबंध में ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p>
1.9	खारे पानी जलकृषि के लिए इनपुट	(हे)	6.00	2.40	3.60	<p>I. लाभार्थियों को केवल नवनिर्मित तालाबों/टैंकों में प्रारंभिक फसल के लिए इनपुट लागत हेतु सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।</p>
1.10	खारा/क्षारीय जल जलकृषि के लिए इनपुट	(हे)	6.00	2.40	3.60	<p>II. इनपुट लागत के लिए सरकारी सहायता कल्वर हेतु तालाबों/टैंकों के तैयार होने के बाद ही जारी की जाएगी।</p> <p>III. एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस और एन.आर.एल.एम, योजना आदि के तहत निर्मित किए गए तालाब जिसमें कम से कम 6 महीने के लिए 1.5 मीटर की पानी की गहराई होनी चाहिए, पर भी विचार किया जा सकता है।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.11	8 लाख रुपए / यूनिट के इनपुट सहित ब्रैकिंग वाटर / लवणीय / क्षारीय क्षेत्रों के लिए बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण	0.1 है	18	7.2	10.8	<p>प. लाभार्थी परियोजना की रिपोर्ट (पी.आर.) पूर्ण औचित्य और तकनीकी-आर्थिक विवरण आदि के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रजाति को सुसंकृत करने, पूंजीगत लागत और आवर्ती लागत शामिल होगी। परियोजना की रिपोर्ट में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी शामिल होना चाहिए।</p> <p>II. लाभार्थी अपेक्षित भूमि (या तो स्वयं/ पंजीकृत पट्टे के दस्तावेज) की उपलब्धता के दस्तावेजी सभूत प्रदान करेगा</p>
1.12	मीठे पानी वाले क्षेत्रों के लिए बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण जिसमें 4 लाख / यूनिट के इनपुट शामिल हैं	0.1 है	14	5.6	8.4	<p>II प. पट्टे की भूमि के मामले में, एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से 7 (सात) साल की अवधि के लिए उचित पंजीकृत लीज दस्तावेज जमा करना होगा।</p> <p>पअ. परियोजना प्रस्तावों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से भेजा जाएगा।</p> <p>अ. पोस्ट निर्माण कार्य, तालाब के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव कार्य को लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>अप. उसे किसी भी सरकारी योजना अथवा एजेंसी के तहत एक ही प्रकार की गतिविधि के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाना चाहिए।</p> <p>अII. बैंक किसान या उद्यमी को अपने स्वयं का निवेश करने के लिए निवेश के गैर-सब्सिडी वाले भाग अथवा घोषणा हेतु ऋण प्रदान करने की सहमति प्रदान करते हैं।</p> <p>(ix) सरकारी सहायता निम्नलिखित वर्गों तक प्रतिबंधित है (क) 0.1 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति लाभार्थी के लिए 2 इकाई (ख) 0.1 हेक्टेयर को समूह/समाज के सदस्यों की संख्या से गुणा करके आने वाली संख्या की 2 इकाई, जिसकी सीमा फिशर तथा मछली किसानों के समूह की स्थिति में, 0.1 हेक्टेयर प्रति समूह/समाज की 20 इकाई हो, यानी जिन्हें फिशर एस.एच.जी. / संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.) / फिशर कोऑपरेटिव आदि या कलस्टर/अप्रोच एरिया में शुरू किया गया हो। हालांकि, एक कलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/ सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर-तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र के संबंध में ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p>

1.13	जलाशयों में फ़िगरलिंग का स्टॉक / 1000 एफ.एल.) / हेक्टेयर (3.0 / 1 फ़िगरलिंग	(हे.)	3 रु./फ़िगर लिंग	1.2 रु./फ़िगर लिंग	1.8 रु./फ़िगरलिंग	<p>(i) इसे समूह गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया जाएगा। लाभार्थी पूर्ण औचित्य और जलाशयों के विवरण आदि के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे। व्यक्तिगत परियोजना परिव्यय मत्स्यपालन विभाग द्वारा तय किया जाएगा।</p> <p>(ii) डी.पी.आर. में प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी शामिल किया जाएगा।</p> <p>(iii) लाभार्थी संवधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मछली पकड़ने सहित जलाशयों में मछली स्टॉकिंग के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।</p> <p>(iv) डी.पी.आर. में मछली स्टॉक को स्टॉक करने में लगने वाले परिश्रम और पारदर्शिता, स्टॉकिंग में लगने वाली समय अवधि और दोहन आदि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।</p> <p>(v) छोटे जलाशय पेन कल्वर यूनिटों की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसा कि मत्स्यपालन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाये। पेन कल्वर इकाई के लिए इकाई लागत इस अनुबंध के %प्रोद्योगिकी समावेशन और दत्तक ग्रहण” के तहत क्रम संख्या 5.6 पर है और उसी का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(vi) 80–100 मि.मी के जलाशय के फिंगर्स का स्टॉक।</p> <p>(vii) 200 हेक्टेयर से ऊपर छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों की सहायता।</p> <p>(viii) बड़े-बड़े पिंजरे की खेती में स्टॉकिंग।</p> <p>(ix) निर्दिष्ट की जाने वाली प्रजातियाँ: केवल आई.एम.सी स्टॉकिंग।</p>
1.14	वेटलैंड में फ़िगरलिंग का स्टॉक / 1000 एफ.एल.) / हेक्टेयर (3.0 / 1 फ़िगरलिंग	(हे.)	3 रुपये/फ़िगरलिंग	1.2 रु./फ़िगरलिंग	1.8 रु./फ़िगरलिंग	<p>(i) इस गतिविधि को एक समूह गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया जाएगा। लाभार्थी पूर्ण औचित्य और जलाशयों के विवरण आदि के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे। व्यक्तिगत परियोजना परिव्यय मत्स्यपालन विभाग द्वारा तय किया जाएगा।</p> <p>(ii) लाभार्थी पूर्ण औचित्य और जलाशयों के विवरण सहित स्वतः स्पष्ट परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(iii) डी.पी.आर. में प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी शामिल होगा।</p>

					(iv) लाभार्थी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से और अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मछली स्टॉकिंग सहित वेटलैंड में मछली पकड़ने हेतु आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।
					(v) डी.पी.आर. में मछली स्टॉक के स्टॉकिंग में लगने वाले परिश्रम और पारदर्शिता, स्टॉकिंग में लगने वाली समय अवधि और दोहन आदि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जायेगा।
					(vi) वेटलैंड में पेन कल्वर यूनिटों की सुविधा प्रदान की जायेगी, जैसा कि मत्स्यपालन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाये। पेन कल्वर इकाई के लिए इकाई लागत इस अनुबंध के %प्रौद्योगिकी समावेशन और दत्तक ग्रहण” के तहत क्रम संख्या 5.6 पर है और उसी का अनुपालन किया जाएगा।
2.	समुद्री मत्स्यपालन और समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मछली पालन का विकास				
2.1	लघु मरीन फिनफिश हैचरीज़ की स्थापना	(सं.)	50.00	20.00	30.00
2.2	बड़े समुद्री फिनफिश हैचरी का निर्माण	(सं.)	250.00	100.00	150.00
					(i) लाभार्थी उत्पादित प्रजातियों, पूंजीगत लागत और आवर्ती लागत सहित औचित्य और तकनीकी—आर्थिक विवरण आदि देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे।
					(ii) डी.पी.आर. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी होना चाहिए।
					(iii) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण(या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे का दस्तावेज) प्रदान करेगा, जो कि अतिक्रमण और बाधाओं से रहित हो, और अपेक्षित होने पर तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) से आवश्यक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं के निवेश के लिए घोषणा अथवा परियोजना की लागत के गैर—सब्सिडी वाले भाग के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंक की सहमति लेने जैसे वित्त स्रोत भी शामिल है। लीज पर ली गई भूमि के मामले में, लीज की अवधि डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तारीख से 10 (दस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज डी.पी.आर. में भी शामिल किए जाएंगे।
					(iv) छोटे समुद्री फिनफिश हैचरीज़ में फिनफिश के लिए न्यूनतम 5 लाख फ्राई/वर्ष और 0.4 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ झींगा के लिए 10 मिलियन पी.एल./वर्ष की क्षमता होगी।
					(v) बड़े समुद्री फिनफिश हैचरी में फिनिश के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 2 से 3 मिलियन फ्राई की क्षमता होगी और 1 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ झींगा के लिए 100 मिलियन पीएल/वर्ष होगी।

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
					<p>(vi) हैचरी में ब्रूडर तालाब / टैंक, नर्सरी पालन की सुविधा, रियरिंग टैंक, छोटी प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति, आवश्यक अवसंरचना बायोसूक्रिटी और ई.टी.एस. प्रणाली सुविधाएँ शामिल होंगी।</p> <p>(vii) हैचरी का प्रबंधन योग्य कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।</p> <p>(viii) लाभार्थी संगठन किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त हैचरी से उत्पादित बीज की आपूर्ति सस्ती/उचित मूल्य पर सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>(ix) हैचरी का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(x) हैचरी की प्रत्यायन की लागत अनिवार्य रूप से परियोजना के अनुमानों में शामिल होगी।</p>	
2.3	समुद्री फिनफिश नर्सरी	(स.)	15.00	6.00	9.00	<p>(i) लाभार्थी पूर्ण औचित्य और तकनीकी—किफायती विवरण, उत्पादित प्रजातियां, पूंजीगत लागत, आवर्ती लागत, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय स्रोतों को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लाभार्थी के अंशदान या स्वयं की निधियों के निवेश के लिए खत: घोषणा की पूर्ति करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति प्राप्त करना भी शामिल है।</p> <p>(ii) एस.सी.पी. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाएं आदि भी शामिल होना चाहिए।</p> <p>(iii) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी सबूत (या तो स्वयं/ पंजीकृत पहुंचे के दस्तावेज), प्राप्त करेगा, जिसके लिए आवश्यक प्राधिकारी से यथा अपेक्षित मंजूरी/ अनुमति भी लेगा। लीज की गई भूमि के मामले में, लीज अवधि एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से कम से कम 7 (सात) वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज डॉक्यूमेंट को एस.सी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iv) समुद्री फिनफिश नर्सरी में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2 लाख फिंगरलिंग/ वर्ष होगी, जिसमें 500 वर्गमीटर का न्यूनतम क्षेत्र होगा, जिसमें वृत्ताकार नर्सरी/ रियरिंग टैंक, आयताकार टैंक, सीवर वाटर सेम्प, औवरहेड टैंक, पावर बैकअप, आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएँ शामिल होंगी।</p> <p>(v) मरीन फिनफिश नर्सरी को योग्य कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।</p> <p>(vi) लाभार्थी, सरकारी सहायता प्राप्त नर्सरी से उत्पादित बीज की आपूर्ति मछुआरों और मछली किसानों को सस्ती या उचित मूल्य पर देन सुनिश्चित करेगा।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

(vii) नसरियों के पोर्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव को लाभार्थियों द्वारा उनकी लागत पर संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
2.5	आदानों (प्रति राफ्ट) सहित समुद्री शैवाल कल्घर राफ्ट की स्थापना।	(सं.)	0.015	0.006	0.009	<p>(i) लाभार्थी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समुद्री आवंटन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। समुद्री शैवाल की खेती के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समुद्र क्षेत्र का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रचलित लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>(ii) लाभार्थियों को सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमति और तकनीकी जानकारियों के दस्तावेजी साक्ष्य देते हुए स्वतःस्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) जमा करना आवश्यक होगा।</p> <p>(iii) लाभार्थी महिला मछुआरे/मछुआरे की सहकारी समितियां होनी चाहिए। एस.सी./एस.टी. सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह, आदि के लिए सरकारी वित्तीय सहायता को 500 राफ्ट प्रति समूह/सोसायटी की सीमा सहित उपयुक्त स्थानों/साइटों पर 15 राफ्ट प्रति सदस्य तक प्रतिबंधित किया जायेगा।</p> <p>(iv) इकाई लागत में पूंजीगत लागत, एकमुश्त निवेश और परिचालन लागत शामिल हैं।</p> <p>(v) मत्स्यपालन विभाग उचित कारणों से समूह को अधिक इकाइयों की मंजूरी दे सकता है।</p> <p>(vi) 7–8 सेमी व्यास के बांस के साथ रॉफ्ट का आकार (3m x 3m आकार) और रॉफ्ट रस्सियों (3 मीटर मोटी पॉलीप्रोपाइल)</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
2.6	इनपुट्स सहित मोनोलीन/ट्यूबनेट विधि के साथ समुद्री शैवाल कल्वर की स्थापना (एक इकाई लगभग 25 मीटर लंबाई के 15 रस्सियों के बराबर हैं)	सं.	0.08	0.032	0.048	<p>(i) लाभार्थियों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समुद्री क्षेत्र के आवंटन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त होगी। समुद्री शैवाल की खेती के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समुद्र क्षेत्र का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रचलित लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>(ii) लाभार्थियों को आवश्यक अनुमति, तकनीकी जानकारियों, लाभार्थी के अंशदान आदि की पूर्ति करने के लिए वित्तपोषण के स्रोत आदि के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ तकनीकी-आर्थिक विवरण, प्रजातियों को संजोने के लिए स्वतः स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(iii) इकाई लागत में पूँजीगत लागत, एकमुश्त निवेश और परिचालन लागत शामिल हैं।</p> <p>(iv) लाभार्थी महिला मछुआरे/मछुआरे की सहकारी समितियाँ, एस.सी./एसटी सहकारी समितियाँ, महिला स्वयं सहायता समूह इत्यादि होनी चाहिए। सरकारी वित्तीय सहायता को कप्याफ़इगस के लिए सामान्य रूप से 100 इकाइयों प्रति समूह और ग्रासिलेरिया प्रजातियों के लिए 300 इकाई प्रति समूह तक प्रतिबंधित किया जाएगा। एक इकाई लगभग 25 मीटर लंबाई के 15 रस्सियों के बराबर है।</p> <p>(v) मत्स्यपालन विभाग उचित कारणों से समूह को अधिक इकाइयों के लिए मंजूरी दे सकता है।</p>
2.7	वाईवाल्व की खेती (मसल्स, क्लैम, मोती आदि)	(सं.)	0.20	0.08	0.12	<p>(i) लाभार्थी को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समुद्री क्षेत्र के आवंटन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त होगी। वाईवाल्व की खेती के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा समुद्र क्षेत्र का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रचलित लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>(ii) इकाई लागत में पूँजीगत लागत और एकमुश्त इनपुट तथा परिचालन लागत शामिल है।</p> <p>(iii) लाभार्थी को आवश्यक अनुमति और तकनीकी जानकारियों आदि के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ तकनीकी-वित्तीय विवरण देते हुए स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(iv) सरकारी वित्तीय सहायता व्यक्तिगत किसान/लाभार्थी के लिए 5 इकाइयों, मछुआरों/महिला मछुआरों की सहकारी समितियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों आदि जिनमें कम से कम 10 सदस्य हों, के लिए 50 इकाइयों तक सीमित है।</p> <p>(v) मसल्स और क्लैम बांस की रैक का आकार 6mx6m होगा।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	

3 उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास

(नीचे की गतिविधियों के अलावा, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत परिकल्पित अन्य उप-घटकों/गतिविधियों के तहत भी सहायता प्रदान की जाएगी, जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आम हैं। जबकि हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और दून ज्ञान पट्टकों के अधीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए इकाई लागत तय कराये गए हैं, दून क्षेत्रों

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						(ix) हैचरी की प्रत्यायन की लागत अनिवार्य रूप से परियोजना के अनुमानों में शामिल होगी।
3.2	रेसवे का निर्माण न्यूनतम 50 क्यूबिक मीटर	(सं.)	3.00	1.20	1.80	<p>(i) लाभार्थी औचित्य, तकनीकी-वित्तीय विवरण, उत्पादित की जाने वाली प्रजातियाँ, पूंजीगत लागत और आवर्ती लागत, बैंक की सहमति, लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधियों के स्रोत के विवरण देते हुए रखत-स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी इस आशय का वचन देंगे कि प्रस्तावित परियोजना, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाओं आदि के लिए किसी भी सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाया गया है।</p> <p>(ii) लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण (या तो स्वयं/पंजीकृत दस्तावेज) प्रदान करेंगे। लीज भूमि के मामले में, डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम लीज अवधि 7 (सात) वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iii) रेसवे के पोर्ट निर्माण संचालन, प्रबंधन और रखरखाव को लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(iv) मछली बीज, चारा और उपज के लिए बाजार की खरीद करना लाभार्थी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।</p> <p>(v) सरकारी वित्तीय सहायता व्यक्तिगत किसान/उद्यमियों के लिए रेसवे की 4 संख्या और सहकारी समितियों, एसएचजी और अन्य समूहों/एजेंसियों के लिए 20 इकाई है, जिनकी उत्पादन क्षमता 1 मीट्रिक टन/रेसवे/वर्ष के साथ न्यूनतम 10 सदस्य हैं।</p>
3.3	ट्राउट रियरिंग इकाइयों के लिए इनपुट।	(सं.)	2.50	1.00	1.50	<p>(i) लाभार्थियों को केवल नवनिर्मित तालाबों/टैंकों में प्रारंभिक फसल के लिए इनपुट लागत के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(ii) इनपुट लागत के लिए सरकारी सहायता केवल रियरिंग इकाइयों के तैयार होने के बाद जारी की जाएगी।</p> <p>(iii) सरकारी वित्तीय सहायता व्यक्तिगत किसान/उद्यमी के लिए रेसवे की 4 संख्या और सहकारी समितियों, एसएचजी के लिए 20 इकाई है, जिनके पास न्यूनतम 10 सदस्य हों।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3.4	नए तालाबों का निर्माण।	(सं.)	8.40	3.36	5.04	<p>(i) लाभार्थी पूर्ण औचित्य, तकनीकी—किफायती विवरण, उत्पादित की जाने वाली प्रजातियां, पूँजीगत लागत, आवर्ती लागत, बैंक की सहमति, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन तथा लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधियों का स्रोत, मछली उत्पादन में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाएं आदि के लिए विवरण स्वतःस्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) में प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(ii) लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी सबूत (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे पर) प्रदान करेगा। पट्टे की भूमि के मामले में, पट्टा अवधि एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से 7 (सात) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए और पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को एस.सी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iii) तालाब का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(iv) सरकारी सहायता निम्नलिखित वर्गों तक प्रतिबंधित है (क) 2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति लाभार्थी के लिए (ख) 2 हेक्टेयर को समूह/समाज के सदस्यों की संख्या से गुण करके आने वाली संख्या, जिसकी सीमा फिशर तथा मछली किसानों के समूह की स्थिति में, 20 हेक्टेयर प्रति समूह/समाज की हो, यानी जिन्हें फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल. जी.एस.)/फिशर कोऑपरेटीव आदि या कलस्टर/अप्रोच एरिया में शुरू किया गया हो। हालाँकि, एक कलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर—तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र पर ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p> <p>(v) इनपुट अनुबंध—। के अधीन %अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि का "विकास" उप-घटक SI-1 के %ताजे पानी जलकृषि के लिए इनपुट" क्रम संख्या 1.5 पर गतिविधि के लिए दिखाए गए आवंटन से इनपुट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, स्वीकार्य इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् 4.0 लाख रुपये/हेक्टेयर जैसा कि %ताजा पानी जलकृषि के लिए इनपुट" में क्रम संख्या 1.5 पर दर्शाया गया है।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3.5	शीत जल मत्स्य पालन के लिए सहयोग	(सं.)	20.00	8.00	12.00	(i) लाभार्थी औचित्य, तकनीकी-किफायती विवरण, उत्पादित प्रजाति, पूँजीगत लागत, आवर्ती लागत, लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधि स्रोत जैसे की जगतानि आदि विकास परियोजना
-----	---------------------------------	-------	-------	------	-------	---

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी/एसटी/महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3.6	ठंडे पानी की मछली पालन (सं.)	50.00	20.00	30.00	(viii) आर.ए.एस. इकाइयों में शेड/भवन, फीड और सहायक उपकरण के लिए भंडार व कार्यालय, पंप हाउस, ग्रो आउट टैक (परिपत्र सीमेंट टैक/एफ. एप.पी. बैक्स टैक) आपारेटर सेवर टैक्स और
-----	------------------------------	-------	-------	-------	---

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एसरी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>तौर-तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र पर ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p> <p>(v) सरकारी सहायता संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लाभार्थी को तब जारी की जाएगी, जब टैक/ तालाब कल्वर गतिविधियों को शुरू करने के लिए तैयार हो।</p> <p>(vi) धन व मछली के मामले में, 1 हेक्टेयर के 0.1-0.2 हेक्टेयर (उपलब्ध क्षेत्र का 10-20%) का उपयोग कम से कम 1 मीटर की गहराई वाली परिधीय खाई के लिए किया जायेगा।</p>
3.8	ठंडे पानी के क्षेत्रों में केजों की स्थापना।	सं.	5.00	2.00	3.00	<p>(i) लाभार्थी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों से जलाशयों और अन्य जल निकायों में केज स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। केज कल्वर के लिए राज्य / केंद्र राज्य प्रदेश की सरकार द्वारा जल क्षेत्र का आवंटन राज्य / राज्य क्षेत्र की प्रचलित लीजिंग नीति / दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>(ii) लाभार्थी औचित्य, पूंजी लागत, आवर्ती लागत, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान को पूरा करने के लिए निधि स्रोत, स्वतः स्पष्ट प्रस्तुत (एसरीपी) में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाएं आदि कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई है।</p> <p>(iii) सरकारी सहायता निम्नलिखित वर्गों तक प्रतिबंधित है (क) अधिकतम 5 केज प्रति व्यक्ति लाभार्थी (ख) मछुआरों और मछली किसानों के समूह के मामले में, यानी जिन्हें फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.)/फिशर कोऑपरेटीव आदि या कलस्टर/अप्रोच एरिया में शुरू किया गया हो, सरकारी सहायता को ऐसे समूहों की सदस्यों की 2• संख्या से गुणा करके आने वाली संख्या तक सीमित किया जायेगा जिसकी सीमा 50 केज प्रति समूह/समाज की हो। हालांकि, एक कलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर-तरीके और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल क्षेत्र पर ऊपरी सीमा सी.ए.सी. द्वारा तय की जाएगी।</p> <p>(iv) इकाई लागत में इनपुट शामिल हैं।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

4 सजावटी और मनोरंजक मत्स्यपालन का विकास						
4.1	बैंकयार्ड सजावटी मञ्जूली प्राप्ति	(सं.)	3.00	1.20	1.80	(i) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं / पंजीकृत पट्टे के साथ) _____ दिन _____ त्रैये _____ तिथि _____

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
4.2	मध्यम स्कैल सजावटी मछली पालन इकाई (समुद्री और स्वच्छ पानी की मछली)	(सं.)	8.00	3.20	4.80	<p>(i) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे के साथ) तकनीकी विवरण देते हुए स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव डी.पी.आर. (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(ii) लाभार्थियों को सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पास पर्याप्त जल सुविधा के साथ 150 वर्गमीटर की न्यूनतम खाली जमीन उपलब्ध हो।</p> <p>(iii) उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम 150 वर्ग मीटर की खाली जमीन हो तथा सजावटी मछली पालन इकाई की स्थापना के लिए उनके निकट अधिमानतः एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से 7 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए लीज पर पर्याप्त पानी की सुविधा भी उपलब्ध हो।</p> <p>(iv) इकाई की लागत में पूँजी और एक मुश्त परिचालन लागत शामिल है।</p> <p>(v) इकाई में सजावटी मछली के लिए शेड, ब्रीडिंग, पालन और कल्चर टैंक शामिल होंगे।</p> <p>(vi) यूनिट में (क) 50,000 लाइव बियरर और 25,000 अडे का उत्पादन मीठे पानी के लिए होंगी और (ख) समुद्री के लिए 10,000 लाइव बियरर का उत्पादन होगा।</p> <p>(vii) सरकारी सहायता को निम्नलिखित तक प्रतिबंधित किया गया है (क) 1 इकाई प्रति व्यक्ति लाभार्थी (ख) मछुआरों और मछली किसानों के समूहों के मामले में अर्थात फिशर एस.एच.जी./ संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस) / मछुआरा कोऑपरेटीव आदि या क्लस्टर/एप्रोच एरिया में काम करने वालों के लिए, सरकारी सहायता ऐसे समूह के सदस्यों/ सोसायटी की 1 इकाई से गुणा करके आने वाली संख्या तक सीमित होगी, जिनके पास प्रति समूह 20 इकाई की सीलिंग हो। हालाँकि, क्लस्टर क्षेत्र में कई समूह सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.)का संबंध है, सहायता के लिए पात्र कुल इकाइयों पर कार्यान्वयन के तौर-तरीके और ऊपरी सीलिंग सी.ए.सी. द्वारा तय किए जाएंगे।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
4.3	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (प्रजनन और मीटे पानी की मछली के लिए पालन)	(सं.)	25.00	10.00	15.00	<p>(i) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दरतावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे पर) तथा लाभार्थी के अंशदान आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों और तकनीकी वित्तीय विवरण देते हुए स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(ii) सरकारी वित्तीय सहायता उन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास एकीकृत सजावटी मछली इकाई की स्थापना के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा तथा न्यूनतम 500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध हो।</p> <p>(iii) उन लाभार्थियों को सरकारी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम 500 वर्गमीटर की अपनी भूमि तथा एकीकृत सजावटी मछली इकाई की स्थापना के लिए एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम (सात) वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध हो।</p> <p>(iv) एकीकृत सजावटी मछली इकाई में शेड, ताजे पानी / समुद्री जल का अन्तर्ग्रहण (जैसा भी मामला हो), प्रजनन टैंक, नर्सरी टैंक, रियरिंग टैंक, लाइव फीड कल्यार, छोटी प्रयोगशाला, पानी और बिजली की सुविधा, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा आदि शामिल होंगी।</p> <p>(v) एकीकृत सजावटी मछली इकाई की न्यूनतम क्षमता 1 लाख फ्राई/वर्ष होगी और इसका प्रबंधन आवश्यक योग्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(vi) इकाई का पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(vii) लाभार्थी प्रदार्य/उचित मूल्य पर किसानों को केंद्रीय सहायता प्राप्त इकाइयों से उत्पादित बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(viii) सरकारी सहायता को निम्नलिखित तक प्रतिबंधित किया गया है (क) 1 इकाई प्रति व्यक्ति लाभार्थी (ख) मछुआरों और मछली किसानों के समूहों के मामले में अर्थात फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस) / मछुआरा कोऑपरेटिव्स आदि या क्लस्टर/एप्रोच एरिया में काम करने वालों के लिए, सरकारी सहायता ऐसे समूह के सदस्यों/सोसायटी की 1 इकाई से गुणा करके आने वाली संख्या तक सीमित होगी, जिनके पास प्रति समूह 20 इकाई की सीलिंग हो। हालाँकि, क्लस्टर/क्षेत्र में कई समूह/सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.) का संबंध है, सहायता के लिए पात्र कुल इकाइयों पर कार्यान्वयन के तौर-तरीके और ऊपरी सीलिंग सी.ए.सी. द्वारा तय किए जाएंगे।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)		नियम और शर्तें
				सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
4.4	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (समुद्री मछली के लिए प्रजनन और पालन)	(सं.)	30.00	12.00	18.00	
4.5	मीठे पानी में सजावटी मछली ब्रूड बैंक की स्थापना।	(सं.)	100.00	40.00	60.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य, तकनीकी—किफायती विवरण, ब्रूडर प्रजाति, पूंजी लागत, आवर्ती लागत, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति (यदि कोई हो) तथा लाभार्थी के अंशदान की प्रतिपूर्ति करने के लिए निधि स्रोत के विवरण देते हुए, विवरण परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी इस आशय का वचन देगा कि स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन, सजावटी मछली उत्पादन और व्यापार में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा, प्रस्तावित परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी सहायता का लाभ नहीं लिया गया है।</p> <p>(ii) लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे पर) प्रदान करेगा। पट्टे की भूमि के मामले में, डी.पी.आर. जमा करने की तारीख से न्यूनतम लीज अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर. में शामिल किया जाएगा।</p> <p>(iii) ब्रूड बैंक सुविधा के निर्माण के बाद का परिचालन, प्रबंधन और रखरखाव लागत कार्य लाभार्थी द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा।</p> <p>(iv) ब्रूड बैंक परियोजना की लागत का अनुमान परियोजना क्षेत्र में नवीनतम एस ओ आर और प्रचलित बाजार दरों पर आधारित होगा।</p> <p>(v) सरकारी सहायता निम्नलिखित तक प्रतिवधित है</p> <p>(क) 1 इकाई प्रति व्यक्ति लाभार्थी के लिए (ख) मछुआरों और मछली किसानों के समूहों के मामले में प्रति समूह/समाज 2 इकाइयों तक अर्थात फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)/फिशर सहकारिता आदि या क्लस्टर/एप्रोच क्षेत्र में शुरू किए गए कार्य।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
4.6	मनोरंजक मत्स्यपालन को बढ़ावा देना।	सं.	50.00	20.00	30.00	<p>(i) लाभार्थी तकनीकी वित्तीय विवरणों के साथ डी.पी.आर. / स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(ii) इकोटूरिज्म, सजावटी मछली पालन और एकैरिया क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित होंगे।</p> <p>(iii) लाभार्थी आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं/पंजीकृत पहुंच पर) प्रस्तुत करेंगे (न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर जल क्षेत्र) लीज पर ली गई भूमि/ निजी जल निकाय के मामले में, डी.पी.आर. /एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से लीज की अवधि 10 (दस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए। यदि परियोजना को जल निकाय पर शुरू किए जाने का इरादा है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार लीज/अनुमति होनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण को डी.पी.आर. /एस.सी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(iv) खुले जल निकायों जैसे महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों, जलाशयों, बारहमासी धाराओं आदि में प्रतिक्रियाशील मछलियों पर विचार किया जाएगा।</p> <p>(v) परियोजना की लागत का मूल्यांकन मामले दर-मामले के आधार पर किया जाएगा और प्रति परियोजना 50 लाख रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(vi) समुद्री मनोरंजक मछली पालन के मामले में वैकल्पिक आजीविका विकल्प के रूप में पारपरिक समुद्री फिशर युवाओं को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>(vii) समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों में, विशेषकर पर्यटक क्षेत्रों में, बड़ी रोजगार सृजन की संभावनाओं वाली रचनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>(viii) एस.सी.पी. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने के बारे में विवरण देना चाहिए।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
5	प्रौद्योगिकी जलसेक और अनुकूलन					
5.1	बड़े आरएस की स्थापना (न्यूनतम 90 एम 3 / टैंक क्षमता 40 टन / फसल के 8 टैंक के साथ) / बायोफ्लोक (4 मी डाया और 1.5 उच्चा) कल्चर प्रणाली के 50 टैंक।	सं..	50	20	30	<ul style="list-style-type: none"> (i) लाभार्थी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें औचित्य, पूंजी लागत, आवर्ती लागत तथा ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधि का स्रोत शामिल है। लाभार्थी को इस आशय का वर्चन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाओं आदि के लिए किसी अन्य सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाया है। (ii) जल स्रोत: कोई भी सतही जल स्रोत जैसे नहर, नदी, वर्षांत उपस्तह / खुले कुएं से भूजल, ट्यूबवेल, आरएस के लिए भूजल आदि का उपयोग किया जा सकता है। (iii) लाभार्थी अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी प्रमाण (या तो स्वयं/पंजीकृत पट्टे पर) प्रदान करेगा। लीज भूमि के मामले में, डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम लीज अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किया जाएगा। (iv) डी.पी.आर. में स्थानीय आबादी के लिए प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी होना चाहिए। (v) आरएस के पोस्ट निर्माण, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव को लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर संतोषजनक तरीके से किया जाएगा। (vi) निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर में आरएस के लिए जल उपचार इकाइयों सहित आवश्यक प्रावधान होनी चाहिए। (vii) उपज के लिए मछली बीज, चारा और बाजार की खरीद पूरी तरह से लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी। (viii) सरकारी सहायता बड़े आरएस की एक इकाई या मध्यम आरएस की एक इकाई या छोटे आरएस की 1 या व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए मिनी आरएस की 1 इकाई तक सीमित रहेगी।

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(ix) सरकारी सहायता बड़े आरएएस की 2 इकाइयों या मध्यम आरएएस की 3 इकाई या लघु आरएएस की 4 इकाइयों के प्रति समूह / समाज तक सीमित रहेगी, जब तक कि उन्हें मछुआरा और मछली किसानों के समूह अर्थात् फिशर एसएचजी / संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.) / फिशर कोऑपरेटिव्स आदि या क्लस्टर / अप्रोच एरिया में शुरू न किया जाए। हालांकि, एक क्लस्टर / क्षेत्र में कई समूह / सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.) का संबंध है, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल इकाइयों पर कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और ऊपरी सीलिंग सी.ए.सी. द्वारा तय किए जाएंगे।</p> <p>(x) जहां तक मछुआरों और मछली किसानों के समूहों यानी फिशर एसएचजी / संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.) / फिशर ऑपरेटिव्स आदि द्वारा अपने स्वयं के बैकयार्ड में समूहों द्वारा सामूहिक गतिविधि के रूप में मिनी आरएएस. को शुरू किए जाने का संबंध है, वहां सरकारी सहायता समूह / समाज के सदस्यों की संख्या को 1 इकाई से गुणा करके आने वाली संख्या होगी तथा उसकी प्रति समूह / समाज में 20 इकाई की सीलिंग होगी।</p> <p>(xi) विदेशी मछली प्रजातियों के मामले में, सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।</p>
5.2	मध्यम आरएएस की स्थापना (न्यूनतम 30m ³ / टैंक क्षमता 10 टन / फसल के 6 टैंक के साथ) / बायोफलो कल्यार सिस्टम (4 मी डाया और 1. मी ऊँचा के 25 टैंक) कुल आयतन लगभग 360 घन मीटर होगी	(सं.)	25.00	10.00	15.00	

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)		नियम और शर्तें
				सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
5.3	छोटे आरएस की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैक के साथ / बायोफ्लोक (4 मीटर व्यास के 7 टैक और 1.5 ऊँचा) — कल्वर प्रणाली	सं.	7.50	3.00	4.50	
5.4	बैकयार्ड मिनी आरएस इकाइयों की स्थापना	सं..	0.50	0.20	0.30	
5.5	जलाशयों नदियों ब्रेकिस वाटर तलाब और एसचूरी में केजों की स्थापना	सं.	3.00	1.20	1.80	<p>(i) लाभार्थी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों से जलाशयों नदियों ब्रेकिस वाटर तलाब और एसचूरी में केजों (पिंजरे) को स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा। केज कल्वर के लिए राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जल क्षेत्र ब्रेकिस वाटर क्षेत्र का आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रचलित लीजिंग नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>(ii) केज कल्वर के लिए पहचाने गए जलाशय में पूरे साल पानी होना चाहिए और केजों की स्थापना क्षेत्र में लगभग 8 मीटर की गहराई होनी चाहिए।</p> <p>(iii) इसी प्रकार, केज कल्वर के लिए उपयोग की जाने वाली नदियों ए ब्रेकिस वाटर, तलाब और एसचूरी में मछली की अवधि के दौरान पानी की पर्याप्त गहराई होनी चाहिए।</p> <p>(iv) लाभार्थी औंचित्य, पूर्जीगत लागत, आवर्ती लागत, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधि खोत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वर्चन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमाओं आदि के लिए किसी अन्य सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	सरकारी सहायता (लाख रु) एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

					(v) सरकारी वित्तीय सहायता अधिकतम (क) 18 के ज प्रति लाभार्थी (ख) केजों की संख्या सहकारी समितियोंद्स. एच.जीष जे.एल.जी आदि जैसे किसी समूह के लिए ८० लाभार्थी की संख्या जौँ कि अधिकतम ३० लाभार्थी की संख्या हो।
--	--	--	--	--	---

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
ख	पोस्ट—हार्डेस्ट अवसंरचना और प्रबंधन					
6 पोस्ट—हार्डेस्ट और कोल्ड चैन अवसंरचना						
6.1 कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट का निर्माण						
न्यूनतम 10 टन क्षमता का संयंत्र / भंडारण,	सं.	40.00	16.00	24.00	(i) लाभार्थी औचित्य तथा मांग और आपूर्ति अंतराल तथा विस्तृत लागत अनुमान, आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज के घटकों के तकनीकी विनिर्देश, आवर्ती लागत, लाभार्थी के अंशदान को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत तथा ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, और परियोजना के पूरा होने के लिए विशिष्ट समय सीमाओं आदि के लिए कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई है।	
न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयंत्र / भंडारण,	सं.	80.00	32.00	48.00	(ii) लागत अनुमान परियोजना क्षेत्र में स्वीकार्य नवीनतम एस.ओ.आर. और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर होगा।	
न्यूनतम 30 टन क्षमता का संयंत्र / भंडारण	सं.	120.00	48.00	72.00	(iii) लाभार्थी संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/प्राधिकारी से अपेक्षित भूमि की उपलब्धता (या तो स्वयं/पंजीकृत पहुंच पर), आवश्यक मंजूरी/अनुमति के दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराएगा। लीज भूमि के मामले में, डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम लीज अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज को डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किया जाएगा।	
न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट।	सं.	150.00	60.00	90.00	(iv) लाभार्थी डी.पी.आर. में इस आशय का एक वचन प्रस्तुत करेंगे कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सभी प्रचालनात्मक, रखरखाव और निर्माण के बाद की लागत का प्रबंधन उनके द्वारा वहन किया जाएगा और आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज को परिचालन स्थिति में रखा जाएगा।	
					(v) इन आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सरकारी सहायता पी.एम.एस.वाइ. के तहत संबंधित उप-घटकों/गतिविधियों में इंगित की गई सम्पूर्ण सीलिंग के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार होगी।	
					(vi) लाभार्थी इन्फारेक्चर सुविधाओं को स्थायी रूप से एक बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे कि आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज का निर्माण मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की पी.एम.एस.वाइ. के तहत सरकारी वित्तीय सहायता से किया गया है।	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(vii) लाभार्थियों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आइस प्लांट से उत्पादित बर्फ की आपूर्ति मछुआरों और मछली किसानों को सस्ती कीमत पर सुनिश्चित करनी होगी।</p> <p>(viii) लाभार्थी को विकास परिचालन व प्रबंधन तथा आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज की गुणवत्ता आश्वासन आदि प्रक्रियाओं के संबंध में सरकारी विनियमों, यदि कोई है, का पालन करना होगा।</p>
6.2	कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट का आधुनिकीकरण	सं.	50.00	20.00	30.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य मौजूदा कोल्ड स्टोरेज /आइस प्लांट के आधुनिकीकरण और आवश्यकता, नवीनतम एस.ओ.आर. और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर विस्तृत लागत अनुमान, आधुनिक परियोजना के घटकों के तकनीकी विनिर्देश, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधि स्रोत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने और परियोजना आदि को पूरा करने के लिए विशेष समय सीमाओं के लिए कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई है।</p> <p>(ii) कम से कम 10 साल पुराने मौजूदा और परिचालन संयंत्रों के आधुनिकीकरण को केवल एक बार के आधार पर सरकारी सहायता के लिए विचार किया जायेगा।</p> <p>(iii) मौजूदा संयंत्रों के नवीकरण / आधुनिकीकरण के लिए मुख्य वस्तुओं में मौजूदा इमारत के सिविल कार्य, प्लांट और मशीनरी का प्रतिस्थापन, विद्युतीकरण और पानी की आपूर्ति और स्वच्छता कार्य आदि शामिल होंगे, जो आइस की प्रभावकारिता, गुणवत्ता की आपूर्ति को बढ़ाने तथा सेवाएं, मौजूदा संयंत्र की हाईजेनिक स्थितियों आदि में सुधार करने के उद्देश्य से भी होंगे।</p> <p>(iv) लाभार्थियों के पास मौजूदा अवसंरचना संयंत्र/ सुविधाओं का स्वामित्व होना चाहिए और डी.पी.आर. में इस आशय के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>(v) लाभार्थी इस बात की पुष्टि करेंगे कि आधुनिक संयंत्र / अवसंरचना सुविधा की सभी परिचालन और रखरखाव लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।</p>

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)		नियम और शर्तें
				सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
6.3	रेफ्रिजरेटिड नेरेटिड वाहन 10 एम.टी. क्षमता	सं.	25.00	10.00	15.00	(i) लाभार्थी शेयर आदि को पूरा करने के लिए लाभार्थी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) जमा करेंगे। (ii) लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिचालन स्थिति में मछली परिवहन की सुविधा बनी रहे। (iii) मछली परिवहन वाहनों के रखरखाव और परिचालन लागत लाभार्थियों द्वारा अपनी लागत पर पूरी की जाएगी। (iv) भारत सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन पर हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। (v) लाभार्थी नियमों/विनियमों का पालन करेंगे, यदि संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार द्वारा मछली परिवहन सुविधाओं के रखरखाव और संचालन पर कोई नियम लगाया गया हो। (vi) लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के तहत खरीदे गए मछली परिवहन वाहनों / सुविधाओं का उपयोग केवल मछली और मत्स्य पालन से संबंधित वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाएगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। (vii) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि पी.एम.एम. एस.वाई. के तहत खरीदे जाने वाले मछली परिवहन वाहनों का उपयोग मत्स्यपालन प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो भारत सरकार लाभार्थियों से ब्याज के साथ संपूर्ण केंद्रीय सहायता वसूल करेगी। (viii) लाभार्थी स्थायी रूप से इस प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे कि मछली परिवहन वाहन की खरीद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के पी.एम.एस.वाई. के तहत सरकारी वित्तीय सहायता से की गई है। (ix) लाइव फिश वेंडिंग सेंटर एक स्थिर केंद्र या मोबाइल वाहन या दोनों का संयोजन हो सकता है।
6.4	इंसुलेटेड वाहन 10 एम.टी. क्षमता	सं.	20.00	8.00	12.00	
6.5	मोटर साइकिल के साथ आइस बॉक्स	सं.	0.75	0.30	0.45	
6.6	मोटर साइकिल के साथ आइस बॉक्स	सं.	0.10	0.04	0.06	
6.7	फिश वेंडिंग के लिए ई-रिक्षा सहित आइस बॉक्स वाला तीन पहिया वाहन	सं.	3.00	1.20	1.80	
6.8	जीवित मछली वेंडिंग सेंटर	(सं.)	20.00	8.00	12.00	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

6.9	फिश फोड मिल्स					
(क)	2 टन/दिन सं. की उत्पादन क्षमता की	30.00	12.00	18.00	(i) लाभार्थी औचित्य तथा परियोजना में मांग और आपूर्ति के अंतर, विस्तृत लागत अनुमान, फोड मिल / प्लांट के लिए लाभार्थी की जितें लाभार्थी की	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
7 बाजार और विपणन अवसंरचना						
7.1	सजावटी मछली / एक्चैरियम बाजार सहित मछली खुदरा बाजारों का निर्माण।	सं.	100.00	40.00	60.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य विस्तृत लागत अनुमान, आवर्ती लागत, ऋण लाभ प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान की पूर्ति करने के लिए निधि स्रोत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में (डी.पी.आर.) (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना, स्थानीय आवादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सूजन, और परियोजना के पूरा होने के लिए विशिष्ट समय सीमाओं आदि के लिए कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई।</p>
7.2	मछलीघर / सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण	सं.	10.00	4.00	6.00	<p>(ii) लाभार्थी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी/अनुमति लेने के लिए अपेक्षित भूमि (या तो स्वयं की/पंजीकृत लीज) की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। लीज भूमि के मामले में, डी.पी.आर./एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से न्यूनतम लीज अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज दस्तावेज डी.पी.आर./एस.सी.पी. में शामिल किए जाएंगे।</p>
7.3	मछली मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों	सं.	50.00	20.00	30.00	<p>(iii) कम से कम 10 साल (डी.पी.आर. जमा करने की तारीख से) के लिए पर्याप्त मात्रा में या तो स्वामित्व वाले या पर्याप्त आयामों के बाजार/दुकान वाले लाभार्थियों को मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों/महानगरों में शॉपिंग मॉल/बाजार परिसरों में आधुनिक मछली खुदरा बाजार की स्थापना के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। एक ऐसे बाजार/दुकान के लिए आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार, प्रदर्शन आधारित केबिनों, प्रशीतन सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं, लाइव मछली हैंडलिंग की सुविधा, फर्नीचर और जुड़नार, आदि की आवश्यकता आधारित विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि सजावटी मछली के विपणन के लिए बाजार/दुकान उपलब्ध है तो सुविधाएं आवश्यकतानुसार हो सकती हैं। इकाई लागत के 10% तक की डी.पी.आर. में विपणन के लिए ई-मार्केटिंग/ई-ट्रेडिंग, ब्रॉडिंग और प्रचार गतिविधियों के लिए लागत को निर्धारित किया जाना चाहिए।</p> <p>(iv) लाभार्थी डी.पी.आर. में इस आशय का एक वचन प्रस्तुत करेंगे कि आधारभूत संरचना सुविधाओं के सभी प्रचालन, रखरखाव और निर्माण के बाद की लागत का प्रबंधन उनके द्वारा वहन किया जाएगा और मछली बाजार/कियोस्क को प्रचालनात्मक स्थिति में रखा जाएगा।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(v) लाभार्थी बुनियादी सुविधाओं को एक बोर्ड पर स्थायी रूप से प्रदर्शित करेंगे कि मछली बाजार/कियोस्क का निर्माण मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के पी.एम.एम.एस. वाई. के तहत सरकारी वित्तीय सहायता से किया जाता है।</p> <p>(vi) लाभार्थी मछली बाजारों/कियोस्क में स्वच्छ परिस्थितियों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली मछली की आपूर्ति करेंगे।</p> <p>(vii) लाभार्थी को विकास, संचालन और प्रबंधन, जिसमें खाद्य गुणवत्ता मानक आदि शामिल हैं, यदि कोई है, के सबध में सरकारी नियमों का पालन करना होगा।</p> <p>(viii) शहरी क्षेत्रों विशेषकर महानगरों में इन बाजारों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>(ix) गुणवत्ता प्रमाणन/मानकों की एकमुश्त लागत डी.पी.आर./एस.सी.पी. का हिस्सा हो सकती है।</p> <p>(x) मछली के मूल्य संवर्धित उद्यमों को डी.पी.आर. आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। अनुमेय वस्तुओं में जरूरत आधारित सिविल और बिजली के काम, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, संयंत्र और मशीनरी आदि शामिल हैं। डी.पी.आर. में इकाई लागत का 10% ई-मार्केटिंग/ई-ट्रेडिंग, ब्रांडिंग और मूल्य वर्धित उत्पादों के विपणन के लिए प्रचार गतिविधियों हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए।</p> <p>(xi) समुद्री शैवाल खुदरा बाजार, समुद्री शैवाल विपणन के लिए समुद्री शैवाल मूल्य वर्धित उद्यम और मूल्य आवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p> <p>(xii) सरकारी सहायता व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए एक इकाई तक सीमित रहेगी।</p> <p>(xiii) मछुआरों और मछली किसानों के समूह यानी फिशर एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.एस.)/फिशर ऑपरेटिव्स इत्यादि द्वारा अथवा एक वलस्टर एप्रोच क्षेत्र में शुरू किए गए मामलों में सरकारी सहायता प्रति समूह/समाज की अधिकतम 2 इकाइयों तक सीमित रहेगी। हालांकि, एक वलस्टर/क्षेत्र में कई समूह/सोसाइटी हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)का संबंध है, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कुल इकाइयों पर कार्यान्वयन के तौर-तरीके और ऊपरी सीलिंग सी.ए.सी. द्वारा तय किए जाएंगे।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
7.4	मछली और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म	डी.पी.आर. / एस.सी.पी. आधार				<p>(i) मत्स्यपालन विभाग आवश्यकताओं के आधार पर डी.पी.आर./एस.सी.पी. मोड पर परियोजनाओं पर विचार करेगा और परियोजना गतिविधियों का लाभ मत्स्यपालन क्षेत्र को मिलेगा। परियोजना परिव्यय का आकार मत्स्यपालन विभाग द्वारा एक मामले से दूसरे मामले के आधार पर तय किया जाएगा।</p> <p>(ii) अन्य बातों के साथ-साथ, लाभार्थी इस आशय का वचन देगा कि ई-प्लेटफॉर्म को न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए संतोषजनक संचालन में रखा जाएगा।</p>
8	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास					
8.1	पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण के लिए सहायता	सं.	120.00	48.00	72.00	<p>(i) केवल पारंपरिक/कारीगर मछुआरे और उनके समाज/संघ/एसएजी/एफएफपीओ इसके लिए पात्र हैं।</p> <p>(ii) लाभार्थी के पास वैध स्वामित्व प्रमाणपत्र, रियल क्राफट पंजीकरण प्रमाणपत्र, मछली पकड़ने का लाइसेंस और मछुआरों का बायोमेट्रिक आईडी कार्ड/क्यूआर कोडित आधार कार्ड होना चाहिए।</p> <p>(iii) यह सरकारी सहायता निम्नलिखित तक सीमित है (क) यूनिट प्रति व्यक्ति लाभार्थी, (ख) 2 यूनिट प्रति ग्रुप/सोसाइटी (जिसमें कम से कम 10 सदस्यों हों) परंपरागत कारीगर मछुआरों के समूह की स्थिति में अर्थात परंपरागत कारीगर मछुआरा एस.एच.जी./संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)/परंपरागत/कारीगर मछुआरा सहकारी आदि या ऐसे लोग जो किसी कलस्टर क्षेत्र के वृष्टिकोण में लगे हुए हैं। तथापि, किसी कलस्टर/क्षेत्र में अनेक समूह/सोसाइटियां हो सकते हैं। जहां तक (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.) का संबंध है, कार्यान्वयन के तौर तरीके तथा सहायता के लिए पात्र कुल युनिटों के आधार पर उच्चतर सीमा का निर्धारण सी.ए.सी. द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(iv) जहाज में गहरे समुद्र में ढूना लॉन्ग लाइनिंग और गिल नेटिंग कार्य शुरू करने के लिए रेफिजरेटेड स्टोरेज सुविधाएं सहित जहाज पर मशीनरी/मछली पकड़ने के उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।</p> <p>(v) संबंधित नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली, एआईएस/ट्रांसपोर्डर और अन्य नेविगेशन उपकरण सुरक्षित नेविगेशन आदि जहाजों पर ऑनबोर्ड करने के लिए अनिवार्य है।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(vi) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज को मौजूदा बॉटम ट्रावलर के प्रतिस्थापन के लिए एक विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पुरानी मछली पकड़ने की पुरानी नाव का उपयुक्त निपटान सुनिश्चित किया जाएगा (जिसके स्थान पर नया लिया गया है)</p> <p>(vii) लाभार्थी पोत के प्रासंगिक तकनीकी-वित्तीय विवरण के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(viii) परियोजना लागत के भीतर जैव-शौचालय की स्थापना अनिवार्य होगी।</p> <p>(ix) लाभार्थी समय-समय पर की गई यात्रा की अवधि, प्रजातियों के अनुसार पकड़ विवरण, निर्धारित प्रोफार्म के अनुसार वसूल किए गए मूल्य (यदि निर्यात किया गया है) विस्तृत यात्रा रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।</p>
8.2	निर्यात क्षमता के लिए मछली पकड़ने के मौजूदा जहाजों का उन्नयन (अपग्रेडेशन)	सं.	15.00	6.00	9.00	<p>(i) अपग्रेडेशन के लिए पहचाने जाने वाले मछली पकड़ने के जहाजों के पास वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र और रियलक्राप्ट के तहत मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए और मालिकों/ चालक दल के सदस्यों के पास वैध बायोमेट्रिक आईडी कार्ड/क्यूआर कोड आधार कार्ड होना चाहिए।</p> <p>(ii) पोत परिचालनात्मक की स्थिति में होना चाहिए और उसकी जीवन अवधि को रेखांकित नहीं करना चाहिए और इसके निर्यात योग्यता या रूपांतरण के लिए आवश्यक अपग्रेडेशन कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए और अपग्रेड-रूपांतरण करने के बाद संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (टूना लॉना लाइनिंग सहित) करने में सक्षम होना चाहिए।</p> <p>(iii) पोत की निर्यात क्षमता के लिए अपग्रेडेशन कार्य में अन्य बातों के साथ -साथ निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं (क) इंसुलेटेड फिश होल्ड के लिए सहायता, जिसमें मैकेनिकल स्लाइड डोर सिस्टम की सुविधा हो (ख) इंसुलेटेड फिश बॉक्स, (ग) स्लरी आइस मैकिंग मशीन/रेफ्रिजरेटर्ड समुद्री जल (आर.एस. डब्ल्यू), (घ) बायो टॉयलेट की स्थापना, (ङ) फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफ.आर.पी.) लकड़ी के डेक पर शीथिंग और (च) निर्यात प्रतिस्थर्धा में सुधार करने के लिए किसी भी अन्य आवश्यकता पर आधारित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(iv) लाभार्थी सरकारी सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कड़ाई से करना सुनिश्चित करेंगे जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है।</p> <p>(v) सरकार की पिछली या चालू योजना के तहत पहले से परिवर्तित/उन्नत या सहायता प्राप्त करने वाले जहाज इस घटक के तहत सब्सिडी लेने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(vi) लाभार्थी सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की तारीख से कम से कम पांच साल तक किसी अन्य पार्टी को परिवर्तित/अपग्रेड किए गए जहाज को नहीं बेचेगा/निपटान नहीं करेगा।</p> <p>(vii) लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट मछली पकड़ने के तरीकों के अनुसार सरकारी सहायता लेते हुए पहचाने गए मछली पकड़ने के जहाजों का रूपांतरण/उन्नयन किया जाए और सरकारी सहायता प्राप्त करने के बाद इसे किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने की विधि में परिवर्तित न किया जाए।</p> <p>(viii) पी.एम.एस.वाई. के तहत मंजूरी लेते हुए अनुबंधों के उल्लंघन को गम्भीरता से देखा जाएगा और ऐसे मामलों में लाभार्थियों को पूरी सरकारी सहायता जिस पर अर्जित ब्याज तथा निधि जारी करने की तारीख से वसूली करने की तारीख तक 12 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष दंडात्मक ब्याजी राशि की वापसी करनी होगी।</p> <p>(ix) लाभार्थी को ई.ई.जेड. में मछली पकड़ने के लिए लागू दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना होगा और यात्रा की अवधि, मछली पकड़ने का क्षेत्र, प्रजातियों के आधार पर विस्तृत विवरण और निर्धारित प्रारूप के अनुसार समय—समय पर पकड़ने के मूल्य सहित विस्तृत यात्रा रिपोर्ट एफ.एस.आई. को प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें नियर्त के मामले में मछली के प्रकार, उसकी मात्रा और कीमत का अनुमान लगाना आवश्यक है, प्रत्येक यात्रा के पूरा होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्दिष्ट एजेंसी को चालान और जीआर फॉर्म की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
8.3	मशीनीकृत मछली पकड़ने के जहाजों में जैव-शौचालयों की स्थापना	सं.	0.50	0.20	0.30	<p>(i) पी.एम.एस.वाई. के तहत मछली पकड़ने के जहाजों में जैव शौचालयों के रखरखाव, बीमारियों की रोकथाम और प्रसार, महासागरों और समुद्रों के प्रदूषण की रोकथाम और उनकी परिस्थिति(स्वच्छ सागर) की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(ii) जैव-शौचालयों के फिट होने के लिए पहचाने जाने वाले मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों के पास रियलक्राफ्ट के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए और मालिकों/चालक दल के सदस्यों के पास वैध बायोमेट्रिक आईडी कार्ड और भारत सरकार द्वारा जारी क्यूआर कोडित आधार कार्ड होना चाहिए।</p> <p>(iii) मशीनीकृत मछली पकड़ने का पोत परिचालन स्थिति में होना चाहिए और इसकी जीवन अवधि को रेखांकित नहीं करना चाहिए।</p> <p>(iv) लाभार्थी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पी.एम.एस.वाई. के तहत सहायता प्राप्त जैव शौचालयों को परिचालनात्मक स्थितियों में बनाए रखा गया है। किसी भी तरह से अन्य व्यक्ति / पोत को जैव शौचालय का स्थानांतरण करना सख्ती से मना किया जाएगा। संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पी.एम.एस.वाई. के तहत आपूर्ति किए गए जैव शौचालयों की स्थापना और उपयोग करने पर नियमित अंतराल पर सत्यापन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली रखेगा।</p>
9	जलीय रवास्थ्य और प्रबंधन					
9.1	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशा—लाओं की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00	<p>(i) लाभार्थी औचित्य के विस्तृत लागत अनुमान, आवर्ती लागत, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव (एस.एस.पी.) में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अनुमान के लिए कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई है। एस.सी.पी. में अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित शामिल हैं:</p>
9.2	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल लैब/ क्लीनिक	सं.	35.00	14.00	21.00	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
					<p>रोग निदान और गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना% गतिविधियों के लिए अपेक्षित स्थान की उपलब्धता के दस्तावेजी सबूत (या तो स्वामित्व वाले / पंजीकृत पट्टे) उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि कम से कम 1000 वर्गफिट के हों। लीज पर ली गई जगह के मामले में, लीज की अवधि एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से कम से कम 7 (सात) वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज डॉक्यूमेंट को एस.सी.पी. के साथ अग्रेषित किया जाएगा। यह उल्लेख करना उचित है कि इस गतिविधि को शुरू करने करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए इस अल्प अवसंरचना गतिविधि के लिए न्यूनतम पट्टे की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। उचित मामलों में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र न्यूनतम लीज अवधि की आवश्यकता के अनुसार 7 (सात) वर्ष से घटाकर 5 (पांच) वर्ष कर सकते हैं तथा उसकी अन्य शर्तें वहीं रहेंगी।</p> <p>(क) स्थान, प्रस्तावित प्रयोगशाला का लेआउट डिजाइन (अचल प्रयोगशाला के मामले में), दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित जन शक्ति के विवरण उपलब्ध कराये जायें।</p> <p>(ख) किसानों की संख्या, कृषि क्षेत्रों की मात्रा (हेक्टेयर) के साथ-साथ इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए प्रस्तावित प्रयोगशाला में खेती की जाने वाली कल्वर से युक्त प्रमुख प्रजातियां का उल्लेख किया जाए।</p> <p>(ii) लाभार्थी मत्स्यपालन विज्ञान/विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/माइक्रोप्राणि विज्ञान/जूलॉजी/बायोकैमिस्ट्री में डिग्री रखने वाला युवा पेशेवर होना चाहिए। इन क्षेत्रों में उच्चतर योग्यता रखनेवाले को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>(iii) प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें मामूली सिविल और बिजली के काम, प्रयोगशाला उपकरण और मशीनरी, परीक्षण किट, रसायनों और उपभोज्य सामग्रियों, फर्नीचर और जुड़नार, और अन्य जरूरत-आधारित वस्तुओं आदि की खरीद करना शामिल है।</p>	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
					<p>(iv) यदि एलिसा और आरटी-पीसीआर की स्थिति में मशीन और उपकरणों को %रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना% गतिविधि में शामिल किया गया है तो यूनिट की लागत 25 लाख रुपये के बजाय 40 लाख रुपये होगी। मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजना के घटक पी.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार, 40 लाख रुपये की इस इकाई की लागत केंद्र, राज्य और लाभार्थी के बीच साझा की जाएगी। तदनुसार, इस गतिविधि के तहत इकाइयों की संख्या बिभेन्न हो सकती है।</p> <p>(v) निधियों को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाएगा।</p> <p>(vi) प्रयोगशाला स्थापित करने पर परियोजना के पूरा होने के बाद, लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों के तहत परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या, सृजित राजस्व और जनशक्ति, जगह पर लाभान्वित किसानों की संख्या आदि पर रिपोर्ट नियमित रूप से त्रैमासिक अधार पर राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड / मत्स्यपालन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(vii) प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के विवरण से संबंधित उचित रजिस्टर / रिकॉर्ड का रखरखाव करेगी।</p> <p>(viii) लाभार्थी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोगशाला में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।</p> <p>(ix) प्रयोगशाला संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित मौजूदा मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।</p> <p>(x) लाभार्थी अपने कमीशन की तारीख से 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रयोगशाला का रखरखाव और संचालन करेगा। लाभार्थी इस आशय का एक वचन भी देंगे।</p> <p>(xi) प्रयोगशाला का प्रत्यायन परियोजना के अनुमानों का हिस्सा होगा।</p>	

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
ग	मत्स्यपालन प्रबंधन और नियामक ढांचा					
10	निगरानी, नियंत्रण और रखवाली (एम.सी.एस.)					
10.1	पारंपरिक और संचार/जहाजों के लिए संचार और राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त संचार/ट्रैकिंग डिवाइस की विशेष प्रकार के लिए उपकरण की विशेषताएँ।	सं.	0.35	0.14	0.21	<p>(i) संचार/ट्रैकिंग डिवाइस के फिट होने के लिए पहचाने जाने वाले मछली पकड़ने वाले जहाज के पास वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए, रियलक्राफ्ट और मछली पकड़ने के लाइसेंस के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र और मालिक और चालक दल के सदस्यों के पास वैध बायोमेट्रिक आईडी कार्ड और क्यूआर कोडित आधार कार्ड होना चाहिए।</p> <p>(ii) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त संचार/ट्रैकिंग डिवाइस की एक इकाई के फिट होने के लिए पारंपरिक मछली पकड़ने के जहाजों के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>(iii) निर्धारित इकाई लागत के भीतर, मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों के लाभार्थियों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों के आधार पर अधिकतम दो उपकरणों (क) डीएटी और (ख) उपयुक्त संचार और/या ट्रैकिंग डिवाइस के फिट होने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यदि एक उपकरण कई उद्देश्यों जैसे संकट की चेतावनी, दो-तरफा संचार, ट्रैकिंग इत्यादि का कार्य करता है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे बहुउद्देशीय उपकरण की सिफारिश कर सकते हैं जो निर्धारित इकाई लागतों के भीतर मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों पर फिट करने के लिए इन सुविधाओं से युक्त हो।</p> <p>(iv) मछली पकड़ने के जहाज पर एक विशेष प्रकार के संचार और/या ट्रैकिंग डिवाइस का फिटमेंट और संचालन कार्य संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने पर ही किया जाएगा। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और किसी विशेष उपकरण की सिफारिश करते समय इसकी पुष्टि करनी चाहिए।</p> <p>(v) लाभार्थी अपने/उन मछली पकड़ने वाले जहाजों में स्थापित उपकरण के प्रभावी संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और परिचालनात्मक कार्यों के संबंध में प्रासंगिक विनियमन का पालन करेंगे।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
11 मछुआरों की सुरक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना						
11.1	पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों के मछुआरों (ऊपर उल्लिखित 10.1 में दिए गए संचार और / या ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा अन्य) के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करना		1.00	0.40	0.60	<p>(i) सुरक्षा किट उपकरणों की आपूर्ति के लिए पहचाने जाने वाले मछली पकड़ने के जहाज के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और रियलक्राप्ट के अधीन मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए, और मालिकाना हक रखने वाले सदस्यों और चालक दल के सदस्यों के पास बायोमेट्रिक आईडी कार्ड और क्यूआर कोडिट आधार कार्ड होना चाहिए। लाभार्थी एक सक्रिय मछुआरा होना चाहिए।</p> <p>(ii) सुरक्षा किट में जी.पी.एस., लाइफ जैकेट, लाइफबॉय और अन्य जीवन रक्षक उपकरण, एक रडार रिफ्लेक्टर, फर्स्ट-एड बॉक्स, फ्लेयर्स का एक सेट, बैकअप बैटरी, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन उपर्युक्त 10.1 पर उल्लिखित (संचार के अलावा) और / या ट्रैकिंग डिवाइस आदि शामिल किए जायें। 1 लाख रुपये इकाई लागत की सीमा के भीतर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यथोचित परिश्रम और अनिवार्यता के आधार पर, सभी या कुछ आवश्यक सुरक्षा किट के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं।</p> <p>(iii) तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों की प्रत्येक श्रेणी के लिए ऊपर उल्लिखित सुरक्षा किट में उल्लिखित वस्तुओं की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की लागत भी शामिल होगी और उन्हें एक रक्तः रपष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा किट में सहायता केवल एक बार प्रत्येक पहचाने गए / पात्र परिचालन संबंधी मछली पकड़ने वाले जहाजों को प्रदान की जाए।</p> <p>लाभार्थी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा किट के तहत सहायता प्राप्त उपकरणों / उपस्करणों को परिचालनात्मक स्थितियों में बनाए रखा जाए। ऐसे उपकरणों / उपस्करणों को किसी अन्य व्यक्ति / पोत को किसी भी माध्यम से स्थानांतरित करना जैसे कि बिक्री / उपहार / पट्टा आदि, के स्थानांतरण को सख्ती से निषिद्ध किया जाएगा। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पी.एम.एम. एस.वाई. के तहत आपूर्ति की जाने वाली सुरक्षा किटों की स्थापना और उपयोग करने पर नियमित अंतराल पर सत्यापन के लिए एक उपर्युक्त प्रणाली यथावत उपलब्ध होगी।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
11.2	परंपरागत मछुआरों के लिए नावों (प्रतिस्थापन) और जाल प्रदान करना	सं.	5.00	2.00	3.00	<ul style="list-style-type: none"> (i) पारंपरिक (कारीगर सहित) समुद्री मछुआरे मछली पकड़ने में सक्रिय रूप से इस घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। (ii) जहां तक अंतर्देशीय मत्स्य पालन का संबंध है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने व्यवसाय/जीविका के रूप में मछली पकड़ने/मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के संबंध में लाभार्थी की वारतविकता को प्रमाणित करेंगे। हालांकि, क्यूआर कोडेड आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। (iii) समुद्री मात्रिकी के मामले में, लाभार्थी के पास वैध (क) स्वामित्व प्रमाण पत्र, (ख) रियलक्राफ्ट के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र और मछली पकड़ने का लाइसेंस, (घ) बायोमेट्रिक आईडी कार्ड या फिशर्स आईडी कार्ड और (ई) अनिवार्य रूप से क्यूआर कोडित आधार कार्ड होना चाहिए। (iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पुरानी मछली पकड़ने वाली नौकाएँ जिनके लिए प्रतिस्थापन किया जा रहा है, उन्हें उपयुक्त तरीके से निपटाया जाए, और ऐसी पुरानी नावों का निपटान करते समय पर्यावरण प्रदूषण का कारण न बनें।
11.3	पीएफजेड उपकरणों और नेटवर्क के लिए मछुआरों को सहायता प्रदान करना, जिसमें इंस्टालेशन और रखरखाव आदि की लागत शामिल है।	सं.	0.11	0.044	0.066	<ul style="list-style-type: none"> (i) पीएफजेड डिवाइस के लिए सहायता प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले लाभार्थी के पास वैध (ए) फिशिंग पोत स्वामित्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए, (बी) रियलक्राफ्ट और फिशिंग लाइसेंस के तहत मछली पकड़ने का जहाज का पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ग) के मालिक और चालक दल के सदस्यों के पास वैध बायोमेट्रिक आईडी कार्ड/क्यूआर कोडित आधार कार्ड होना चाहिए और (घ) लाभार्थी एक सक्रिय मछुआरा हो। (ii) मछली पकड़ने वाले जहाजों और रखरखाव पर इसकी स्थापना करते हुए प्रति लाभार्थी केवल एक पी.एफ.जै.ड. डिवाइस के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
(iii) पी.एफ.जैड. डिवाइस की इकाई लागत में 5 साल की अवधि के लिए पी.एफ.जैड. उपकरणों की स्थापना और वार्षिक रखरखाव कार्य भी शामिल है। (iv) मछली पकड़ने का जहाज परिचालन की स्थिति में होना चाहिए, न कि जीर्ण-शीर्ण और काम चलाउ अवस्था में होना चाहिए। (v) लाभार्थी और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायता प्राप्त पी.एफ.जैड. डिवाइस परिचालन स्थिति में बनी रहे। किसी भी माध्यम से पी.एफ.जैड. डिवाइस को किसी अन्य व्यक्ति / पोत को हस्तांतरित करना, जैसे कि बिक्री / उपहार / पट्टा आदि, का सख्ती से निषिद्ध किया जाएगा। संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पी.एम.एम.एस. वाई. के तहत आपूर्ति किए गए पीएफजैड उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में नियमित अंतराल पर सत्यापन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली रखेंगे।						
12	मत्स्यपालन का विस्तार और सहायक सेवाएं					
12.1	विस्तार और सहायता प्राप्त सेवाएं	सं.	25	10	15	<p>(i) (i) पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत सहायता प्राप्त विस्तार सेवा केंद्र मत्स्य सेवा केन्द्र के रूप में काम करेगा, जो इलाके में मछुआरों और मछली किसानों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर होगा।</p> <p>(ii) लाभार्थी मत्स्यपालन विज्ञान/जीव विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/जूलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी बायोकैमिस्ट्री में डिग्री रखने वाला युवा पेशेवर होना चाहिए। इन क्षेत्रों में उच्चतर योग्यता को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>(iii) लाभार्थी को मत्स्यपालन और जलीय कृषि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>(iv) लाभार्थी औद्योगिक प्रस्ताव, विस्तृत लागत अनुमान, जिसमें दर सूचियों की प्रतियाँ भी शामिल हैं आवर्ती लागत, ऋण यदि कोई है, प्रदान करने के लिए बैंक की सहमति तथा लाभार्थी के अंशदान को पूरा करने के लिए निधि स्रोत स्वतःस्पष्ट प्रस्ताव में प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी सहायता का लाभ नहीं लिया गया है। प्रत्याशित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की आशा है। एस.सी.पी. में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं,</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु) सामान्य (40%)	एससी / एसटी / महिलाएं (60%)	नियम और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						<p>(v) अपेक्षित स्थान की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य (या तो स्वयं / पंजीकृत पट्टे के दस्तावेज) उपयुक्त स्थान पर जो कि कम से कम 1000 वर्गफीट के हों। लीज पर ली गई जगह के मामले में, लीज की अवधि एस.सी.पी. जमा करने की तारीख से कम से कम 7 (सात) वर्ष होनी चाहिए और पंजीकृत लीज डॉक्यूमेंट एस.सी.पी. के साथ अंग्रेजित किए जायें। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि इस गतिविधि को करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने और आकर्षित करने के लिए इस मामूली बुनियादी ढाँचे की गतिविधि के लिए न्यूनतम पट्टा अवधि 7 (सात) वर्ष निर्धारित की गई है। उचित मामलों में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यूनतम लीज अवधि की आवश्यकता को 7 (सात) वर्ष से घटाकर 5 (पांच) वर्ष तक किया जा सकता है तथा उसकी अन्य शर्तें वही रहेंगी।</p> <p>(vi) स्थान, प्रस्तावित मत्स्यपालन विस्तार सेवा केंद्र का लेआउट डिजाइन, केंद्र के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए प्रशिक्षित जन शक्ति के विवरण।</p> <p>(vii) मछुआरों, मछली किसानों की संख्या, कृषि क्षेत्रों (हेक्टेयर) तथा इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए प्रस्तावित मत्स्यपालन के विस्तार केंद्र के लिए निर्मित/संवर्धित प्रजातियों का उल्लेख किया जाए।</p> <p>(viii) सरकारी वित्तीय सहायता किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी।</p> <p>(ix) लाभार्थी प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से निर्धारित शुल्क लेने के पात्र होंगे। विस्तार सेवा केंद्र की स्थापना पर परियोजना के पूरा होने के बाद, लाभार्थी परीक्षण किए गए नमूनों (पानी, मिट्टी, मछली की गुणवत्ता आदि) की संख्या, सृजित राजस्व और जनशक्ति लाभान्वित किसानों की संख्या आदि के विवरण, राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग को त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराएगा।</p> <p>(x) विस्तार सेवा केंद्र प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं पर उचित रजिस्टर/रिकॉर्ड बनाएगा।</p> <p>(xi) लाभार्थी अपने कमीशन की तारीख से न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए विस्तार सेवा का रखरखाव और संचालन करेगा। लाभार्थी इस आशय का वचन भी प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(xii) दो या दो से अधिक लाभार्थियों के संघ को भी इस गतिविधि को कार्यान्वित करने की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे मामले में विस्तार सेवा इकाइयों की कुल संख्या प्रति कंसोर्टियम दो इकाइयों तक सीमित रहेंगी।</p>

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
						(xiii) मत्स्यपालन विभाग विस्तार और सहायक सेवाओं यानी मत्स्य सेवा केन्द्र के निर्माण और संचालन के लिए अलग से विस्तृत एस.ओ.पी. जारी करेगा।
13	मत्स्यपालन संसाधन के संरक्षण के लिए मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता					
13.1	सं.	(क) पी.एम.एम.एस.वार्ड. की इस गतिविधि के तहत सरकारी सहायता और लाभार्थी का हिस्सा नीचे विस्तृत रूप से साझा किया जाएगा:				
		मछली पकड़ने के प्रतिबंध / दुर्बल अवधि के दौरान मत्स्यपालन संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक- आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता				
		राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों	(प)	निधि पैटर्न		अंशदान
		सामान्य राज्य	(पप)			(पपप)
					केंद्र शेयर 1500/- रुपये + राज्य शेयर 1500/- रुपये + लाभार्थी शेयर 1500/- रुपये = 4500/- रुपये / वर्ष	
		उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्य	(i) 80:20 केंद्र और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य		केंद्र शेयर 2400/- रुपये + राज्य का हिस्सा 600/- रुपये + लाभार्थी शेयर 1500/- रुपये = 4500/- रुपये / वर्ष	
		संघ राज्य क्षेत्र	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र के शेयर के रूप में 100% (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना)		केंद्र शेयर 3000/- रुपये + लाभार्थी का शेयर 1500/- रुपये = 4500/- रुपये / वर्ष	
				(ख) पात्रता मानदंड		
				(i) लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिए।		
				(ii) लाभार्थी एक कार्यात्मक स्थानीय मछुआरा सहकारी समिति/महासंघ/किसी अन्य पंजीकृत निकाय का सदस्य होना चाहिए।		
				(iii) लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।		
				(iv) लाभार्थी मछुआरा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मत्स्यपालन विभाग द्वारा नामित बैंक के साथ उनके अंशदान के संबंध में मछली पकड़ने के मौसम के दौरान वर्ष भर में 9 महीने की अवधि में 1500 रु. बचत करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस गतिविधि की पारदर्शिता और उसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तौर-तरीकों की जानकारी देगा। लाभार्थी की अंशदान राशि को जमा करने मोहल्त मिल सकेगी जिससे एक या दो महीने की अवधि में एकमुश्त आधार पर बचा जाए।		
				(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नकद और/या दोनों में किसी भी अतिरिक्त वित्तीय लाभ के साथ टॉप अप कर सकते हैं, जिसमें सब्सिडी राशन, ईंधन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, लाभार्थी भी पीडीएस के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।		

क्र. सं.	उप-घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (लाख रु)	सरकारी सहायता (लाख रु)	नियम और शर्तें	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
					<p>(vi) लाभार्थियों के चयन की शुद्धता और लाभार्थियों की प्रमाणिकता के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होंगे। इस आशय का एक प्रमाण पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वतः स्पष्ट परियोजना प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के बजट में बजटीय आवंटन की उपलब्धता को भी इंगित किया जाना चाहिए।</p> <p>(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य विवरणों के साथ-साथ उपर्युक्त (i) से (iv) तक के दस्तावेजी साक्ष्य के अभिलेखों का रखरखाव करेंगे जैसे कि लीन/प्रतिबंध महीने की अवधि, नामांकित लाभार्थी और उनकी अंशदान राशि, मछुआरों (अनु.जा./अनु.ज.जा.) की श्रेणी आदि की जानकारी भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के साथ साझा करेंगे।</p> <p>(viii) ऊपर बताई गई 4500/- रुपये की संचित राशि से संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामांकित लाभार्थी को 1500/- रुपये प्रति माह की दर से वितरित की जाएगी।</p>	
14	मछली पकड़ने वाले जहाजों तथा मछुआरों का बीमा					
14.1	मछुआरों को संभालने के लिए बीमा				<p>(i) मछुआरे पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत बीमा और बीमा सुरक्षा के लिए निम्नलिखित के पात्र होंगे:</p> <p>(क) मृत्यु या स्थायी रूप से संपूर्णता विकलांगता के लिए 5.00 लाख रुपये।</p> <p>(ख) स्थायी रूप से आशिक विकलांगता के लिए 2.50 लाख रुपये।</p> <p>(ग) मत्स्यपालन विभाग, अस्पताल में भर्ती होने पर वहन किए जाने वाले खर्चों के लिए बीमा कवरेज को युक्ति संगत बनाएगा और उपर्युक्त लाभार्थियों के लिए इसे बीमा पैकेज में शामिल करेगा।</p> <p>(ii) बीमा प्रयोजन के लिए, मछुआरों का आशय उन व्यक्तियों से है जो मत्स्यन और मत्स्यपालन से जुड़े संबंधित कार्यकलापों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं जिसमें मत्स्य कामगार, मत्स्य किसान तथा किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं।</p> <p>(iii) बीमा कवर 12 महीने की अवधि के लिए होगा और इसकी किस्तों का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा।</p> <p>(iv) पूरी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच पी.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार साझा की जाएगी, जिसका अर्थ है कि किसी भी लाभार्थी के अंशदान की परिकल्पना नहीं की गई है।</p> <p>(v) मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार बीमित मछुआरों के संबंध में प्रीमियम राशि की केंद्रीय वित्तीय देयता जारी करते हुए मछुआरों के लिए बीमा के कार्यान्वयन के लिए तंत्र और संस्थागत व्यवस्था पर निर्णय करेगा। यह राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाएगा।</p> <p>(vi) पूर्वोक्त बीमा गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक शुल्क, यदि कोई हो, तो पी.एम.एस.वाई. के निर्धारित निधि से पूरा किया जाएगा।</p>	
14.2	मछली पकड़ने के लिए बीमा प्रीमियम सबवेंशन				<p>मत्स्यपालन विभाग, पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत परिकल्पित फंडिंग पैटर्न के अनुसार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम सबवेंशन लागू करेगा। तदनुसार, सरकारी सहायता सामान्य श्रेणी के लिए वार्षिक प्रीमियम राशि का 40% और एससी/एसटी/महिलाएं के लिए 60% तक होगी और शेष प्रीमियम लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। क्रमशः बीमा प्रीमियम सबवेंशन राशि को पी.एम.एस.वाई.स्कीम के फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।</p> <p>मत्स्यपालन विभाग इस गतिविधि को उपर्युक्त बीमा उत्पाद के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और बीमा कंपनियों के परामर्श से कार्यान्वित करेगा।</p>	

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

अनुबंध-III

प्रधानमंत्री मत्स्य सपदा योजना के मुख्य रूप से प्रायोजित संघटकों के अधीन गैर लाभाथक उन्मुख गतिविधियां

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

क. मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

1 अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जल कृषि का संवर्धन

1.1	ब्रूड बैंकों की स्थापना (जिसमें समुद्री शैवाल के लिए बीज बैंक शामिल है)	सं.	500.00	300.00	450.00	500	<p>(i) पी.एम.एस.वाई. योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से विशेष/बहु-प्रजाति ब्रूड बैंकों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें गुणवत्ता ब्रूड का स्रोत, चयन, वृद्धि करना और रखरखाव करना और/या चयनात्मक प्रजनन/आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत किस्मों/उपभेदों को विकसित करना शामिल है और हैचरी मालिकों को गुणवत्ता वाली मछली/झींगा बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए गुणवत्ता ब्रूड की आपूर्ति करना भी शामिल है।</p> <p>(ii) विकल्प-1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकसित ब्रूड बैंक।</p> <p>क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें औद्योगिक तकनीकी-आर्थिक विवरण शामिल होंगे, जिसमें उत्पादित प्रजाति, पूंजीगत लागत और आवर्ती लागत और उपयुक्त स्थान पर अपेक्षित भूमि की उपलब्धता और उसकी स्थीरता प्राप्त करना भी शामिल है।</p> <p>ख. डी.पी.आर में ब्रूड बैंक की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मापदंडों (पानी और मिट्टी की गुणवत्ता) की उपयुक्तता भी होनी चाहिए। ब्रूड बैंक संचालित करने से होने वाली अर्जित आय की की जानकारी होनी चाहिए, इसमें रथानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन में वृद्धि, विशिष्ट समयावधि परियोजना आदि के कार्यान्वयन का करना भी शामिल है।</p> <p>ग. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्रूड बैंकों के संचालन और प्रबंधन के लिए अपेक्षित</p>
-----	---	-----	--------	--------	--------	-----	--

घ. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बूड बैंकों के लिए तकनीकी सहयोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सहयोग ले सकते हैं।

(iii) विकल्प-II अन्य संस्थाओं के सहयोग से बूड बैंकों का विकास।

क) बूड बैंकों की स्थापना और संचालन के लिए आई.सी.ए.आर./संस्थान राज्य कृषि विश्वविद्यालय/राजकीय मत्स्यपालन कॉलेज जैसे संस्थान आगे आ सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पूर्वांकित संस्थाओं के बीच परस्पर स्वीकृत शर्तों पर केन्द्र और इच्छुक राज्य (अथवा इच्छुक संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्र की 100 प्रतिशत निधि राशि) केंद्र और इच्छुक राज्य के बीच साझेदारी पैटर्न के अनुसार पी.एम.एम.एस.वाई से पूंजीगत लागत की पूर्ति की जाएगी। बूड बैंक चलाने की परिचालन और प्रबंधन लागत इन संस्थाओं द्वारा पूरी की जाएगी।

ख) डी.ओ.सी के एमपीडा के तहत आर.जी.सी.ए या मत्स्यपालन विभाग के राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड भी किसी भी इच्छुक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बूड बैंकों का विकास और उनका प्रबंधन कर सकता है। अपेक्षित भूमि को इच्छुक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। ऐसे मामलों में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पूर्वांकित संस्थाओं के बीच परस्पर स्वीकृत शर्तों पर केन्द्र और इच्छुक राज्य (अथवा इच्छुक संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्र की 100 प्रतिशत निधि राशि) केंद्र और इच्छुक राज्य के बीच साझेदारी पैटर्न के अनुसार पी.एम.एम.एस.वाई से पूंजीगत लागत की पूर्ति की जाएगी। बूड बैंक चलाने की परिचालन और प्रबंधन लागत राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड और आर.जी.सी.ए द्वारा पूरी की जाएगी।

(iv) उपरोक्त सभी विकल्पों में सभी संबंधित पक्षों के बीच एक उपयुक्त एम.ओ.ए दर्ज किया जाएगा।

(v) बूडबैंकों का प्रत्यायन परियोजना लागत का हिस्सा होगा।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1.2	जलाशयों का एकीकृत विकास (बड़ा) (क्षेत्र: 5000 हेक्टेयर से अधिक)	सं.	600	360	540	600	<p>(vi) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर संस्थाओं के परामर्श से देश में बूड़ बैंकों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त मॉडल विकसित करेगी। इसमें बूड़ बैंकों को आत्मनिर्भर आदि बनाने के लिए उपयुक्त वित्तीय मॉडल की सुविधा से युक्त बूड़ बैंकों के राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करना भी शामिल है।</p> <p>(vii) इसके अलावा, बूड़ बैंकों के संचालन और प्रबंधन (आौ. एंड एम) कार्य में निजी क्षेत्र को शामिल करने की व्यवहार्यता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के परामर्श से पता लगाया जाएगा।</p> <p>(viii) निजी क्षेत्र के अतिरिक्त संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमता का लाभ उठाने के लिए संस्थाओं का उल्लेख किया जाये।</p> <p>(i) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र औचित्य और तकनीकी विवरण आदि के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(ii) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र डी.पी.आर में मछली पकड़ने की आवश्यक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने और मछली पकड़ने के अधिकार आदि कार्यों से जुड़े हुए जलाशय, नाम और कुल समूह के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे। भूमि की खरीद के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में हैचरी, सीड रीयरिंग क्षेत्र, विपणन सुविधाओं आदि के निर्माण, सृजन और अवसंरचना की स्थापना करने के लिए सभी आवश्यक सरकारी जमीनों को बाधा रहित उपलब्ध कराने पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>(iii) डी.पी.आर. में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा आदि का विवरण भी शामिल होगा।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

1.2.1	जलाशयों का एकीकृत	सं.	400	240	360	400	(iv) एकीकृत जलाशय विकास परियोजना में प्रासंगिक उप-घटक / गतिविधियाँ शामिल होंगी जैसे फ्लोटिंग बर्किंग स्टेशन (केवल बड़े और मध्यम जलाशय) के लाभ के लिए।
-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>(iii) आई.ए.पी. की लागत का अनुमान नवीनतम एस.ओ.आर.एस./प्रचलित बाजार दरों पर आधारित होगा।</p> <p>(iv) ई.आई.ए. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/प्राधिकरण से यथा अपेक्षित आवश्यक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करेगा तथा अतिक्रमण व बाधाओं से मुक्त अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी सबूत निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।</p> <p>(v) आई.ए.पी. को स्थानीय आवश्यकताओं और विशिष्ट विषयों के आधार पर आद्योपांत समाधानों के अनुसार कलस्टर/क्षेत्रों को एकीकृत करने वाले हब और स्पोक मॉडल पर विकसित किया जा सकता है।</p> <p>(vi) आई.ए.पी. विविध मत्स्यपालन गतिविधियों के हब/गुणवत्ता के बीज, चारा, बीज पालन, मछली कल्वर, पोस्ट हार्वर्स्ट से पहले और उसके बाद की अवसंरचना, व्यवसाय मॉडल, रखद, विपणन, निर्यात संवर्धन, नवाचार, प्रौद्योगिकी संवर्धन जानकारी का प्रसार मनोरंजन आदि सुविधाएं शामिल होगी।</p> <p>(vii) ई.आई.ए. एतद द्वारा आई.ए.पी. के पोस्ट निर्माण और संचालन और प्रबंधन (ओ.एंड. एम) के लिए एक उपयुक्त मॉडल प्रस्तुत करेगा। यह उम्मीद की जाती है कि आई.ए.पी. एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करेगा।</p> <p>(viii) ई.आई.ए. इस आशय की पुष्टि करेगा कि आई.ए.पी. के सभी परिचालन, रखरखाव और निर्माण प्रबंधन लागत उनके द्वारा बहन की जाएगी और आई.ए.पी. को परिचालन स्थिति में रखा जाएगा।</p> <p>(ix) मत्स्यपालन विभाग किसी अन्य अतिरिक्त शर्तों को भी निर्धारित कर सकता है जैसा कि आई.ए.पी. के सुचारू क्रियान्वयन और ओ.एंड. एम के लिए आवश्यक हो।</p>
2	हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन का विकास						
2.1	जर्मप्लाजम के आयात के लिए राज्यों को सहायता			आवश्यकता आधारित			<p>प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मोड पर शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार औचित्य, मछली प्रजातियों, तकनीकी-वित्तीय विवरण देते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) प्रस्तुत करेगी।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
क अवसंरचना और पोर्ट हार्डस्ट प्रबंधन							
3 मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली टैंडिंग सेंटर विकास							
3.1 मत्स्यपालन बंदरगाहों का निर्माण / विस्तार।	सं.	20000	12000	—	20000	संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र से निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।	<p>(i) मछली पकड़ने के बंदरगाह उपलब्ध समुद्री मत्स्य संसाधन, परिचालन मछली पकड़ने के जहाज, इलाके में मछुआरों की आबादी, हितधारक परामर्श, बुनियादी ढांचा के अंतराल और प्रारंभिक तकनीकी और आर्थिक तथा पहचान की गई साइट की सामाजिक व्यवहार्यता आदि जैसे प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थल/स्थान की पहचान और चयन करना।</p> <p>(ii) आवश्यक इंजीनियरिंग और सामाजिक-आर्थिक जांच और सर्वेक्षण कार्यों को पूरा करना।</p> <p>(iii) फिशिंग हार्बर की योजना और डिजाइनिंग करना।</p> <p>(iv) जहाँ भी आवश्यक हो, हाइड्रोलिक मॉडल के अध्ययन को पूरा करना।</p> <p>(v) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यथा अपेक्षित ई.आई.ए./ईएमपी अध्ययन करना।</p> <p>(vi) फिशिंग हार्बर के विकास के लिए, यदि आवश्यक हो, तो भूमि का अधिग्रहण करना।</p> <p>(vii) परियोजना क्षेत्र/इलाके में स्वीकार्य नवीनतम एस.ओ.आर.एस. के आधार पर विस्तृत लागत अनुमानों का प्रतिपादन करना।</p> <p>(viii) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए ऊपर (i) से (vi) में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल होंगे।</p> <p>(ix) जहाँ कहीं संभव हो, वहाँ जहाजरानी मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के साथ काम करना।</p> <p>(x) संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र यह पुष्टि करेंगे कि संबंधी निर्माण संचालन, रखरखाव और प्रबंधन उनके द्वारा उनकी अपनी लागत पर किया जाएगा।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>(xi) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मछली पकड़ने के बंदरगाह के मौजूदा प्रबंधन मॉडल का विवरण देना चाहिए और मछली पकड़ने के बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन को सुधारने और इसे सतत रूप से चलते रहने वाले मोड पर रखना होगा। यह उन प्रमुख स्थितियों में से एक मुख्य स्थिति होगी, जहां पर विस्तार हेतु मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर काम शुरू किया जाता है। नए बंदरगाह के पोर्ट निर्माण संचालन प्रबंधन के संबंध में नए बंदरगाह के पोर्ट निर्माण के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए।</p>
3.2	मौजूदा मत्स्यपालन हारबर्स का आधुनिकीकरण / उन्नयन	(सं.)	5000	3000	—	5000	<p>(i) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित कार्यों को पूरा करें:</p> <p>मछली पकड़े के बंदरगाहों के निर्माण के पश्चात किए गए मूल्यांकन के आधार पर आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए मौजूदा मछली पकड़ने के बंदरगाह की पहचार करना।</p> <p>(ii) निर्माण के बाद के मूल्यांकन में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे— मौजूदा सुविधाओं की कार्यात्मक उपयोगिता का आकलन, डिजाइन की क्षमता मछली लैंडिंग और प्रोद्भूत राजस्व के लिए विभिन्न श्रेणी के मछली पकड़ने के बेड़े का संचालन करना, मछली के मूल्य की मात्रा के संदर्भ में सृजित की गई सुविधाओं के कारण प्रोद्भूत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और एफ.एच. के आसपास सहायक उद्योगों का विकास करना, राजस्व, रोजगार सृजन, उन्नयन के लिए मांग आदि के संदर्भ में आंतरिक इलाके की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव डालना।</p> <p>(iii) संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र को विस्तृत सर्वेक्षण, सुविधाओं की योजना और योजना और डिजाइन और विस्तृत लागत अनुमान आदि के आधार पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।</p> <p>(iv) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि पोर्ट निर्माण कार्य, रखरखाव और प्रबंधन उनके द्वारा उनकी अपनी लागत पर किया जाएगा।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							(v) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मछली पकड़ने के बंदरगाहों के मौजूदा प्रबंधन मॉडल के बारे में बताना चाहिए और मछली पकड़ने के बंदरगाहों के संचालन और प्रबंधन को सुधारने और इसे सतत बनाए रखने वाले मोड पर चलाने के लिए इस प्रणाली को लागू करना होगा। यह प्रमुख स्थितियों में से एक मुख्य स्थिति होगी।
3.3	आधुनिक एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र	(सं.)	2500	1500	2250	2500	<p>(i) आधुनिक एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र समुद्री और अंतर्देशीय, दोनों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे, जिसमें उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। मछली लैंडिंग केंद्र आवश्यकताओं और व्यवहार्यता के अनुसार एकमात्र समुद्री तट, मुहानों, नदियों और जलाशयों आदि पर स्थित हो सकते हैं।</p> <p>(ii) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र विस्तृत इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच, सर्वेक्षण, योजना और डिजाइन और विस्तृत लागत अनुमान के आधार पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(iii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, मछली लैंडिंग केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि, आवश्यक मंजूरी और बजटीय संसाधनों (जहाँ भी आवश्यक हो) की उपलब्धता की पुष्टि करेंगे।</p> <p>(iv) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि निर्माण कार्य, रखरखाव और प्रबंधन उनके द्वारा उनकी अपनी लागत पर किया जाएगा।</p> <p>(v) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मछली लैंडिंग केंद्रों के लिए उपयुक्त संचालन और प्रबंधन मॉडल को बताना चाहिए जो मछली लैंडिंग केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक स्वतः निर्भर मोड पर होता है। यह उन प्रमुख स्थितियों में से एक होगा जहाँ निर्माण के लिए मछली लैंडिंग केन्द्र शुरू किए जाते हैं।</p>
3.4	मौजूदा एफ.एच. के ड्रेजिंग का रखरखाव	(सं.)	500	300	—	500	<p>(i) ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए, संबंधित राज्यसरकार/संघ राज्य क्षेत्र को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है:</p> <p>क) आवश्यक इंजीनियरिंग जांच और सर्वेक्षण।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>ख) परियोजना क्षेत्र में स्वीकार्य नवीनतम एस.ओ.आर.एस के आधार पर रखरखाव करने वाले ड्रेजिंग की मात्रा का आकलन और लागत अनुमान तैयार करना।</p> <p>ग) सहायता प्राप्त करने के लिए ऊपर (क) और (ख) में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य सहित स्वतः स्पष्ट / विवरण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</p>
4	बाजार और विपणन बुनियादी ढाँचा						
4.1	थोक विक्री वाले अत्यधिक मछली बाजार का निर्माण।	सं.	5000	3000	4500	5000	<p>(i) अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ई.आई.ए.) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) प्रस्तुत करेगी जिसमें औचित्य, विस्तृत लागत अनुमान, बुनियादी सुविधाओं की विस्तृत योजना और डिजाइन, आवर्ती लागत, स्थानीय आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, और परियोजना आदि के पूरा होने के लिए विशिष्ट समय सीमा शामिल है।</p> <p>(ii) महानगर/राज्य की राजधानी शहरों के लिए वरीयता दी जाएगी।</p> <p>(iii) ई.आई.ए. संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षित भूमि, आवश्यक मंजूरी/अनुमति की उपलब्धता के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(iv) ई.आई.ए. इस आशय की पुष्टि करेगा कि मछली बाजार की सुविधाओं के सभी परिचालन, रखरखाव और निर्माण के बाद मछली बाजार सुविधाओं की प्रबंधन लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी और मछली बाजार को परिचालन स्थिति में रखा जाएगा।</p> <p>(v) ई.आई.ए. इस आशय से बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं के लिए स्थायी रूप से एक बोर्ड का प्रदर्शन करेगा, ताकि मछली बाजार का निर्माण मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की पी.एम. एम.एस.वाई योजना के अधीन सरकारी वित्तीय सहायता के तहत किया गया है।</p> <p>(vi) ई.आई.ए. मछली बाजार में स्वच्छ स्थितियों का रखरखाव और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली मछली की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(vii) ई.आई.ए. मछली बाजार में खाद्य गुणवत्ता मानकों सहित विकास, संचालन और प्रबंधन ई.आई.ए के सरकारी नियमों, यदि कोई हो, का पालन करेगा।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							(viii) ई.आई.ए. को डी.पी.आर. में बाजार के लिए एक उपयुक्त प्रबंधन मॉडल का विवरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उसके संचालन के लिए स्व-स्थापना मोड पर काम करने के लिए यथावत प्रणाली उपलब्ध होगी। यह परियोजना के विचार के लिए प्रमुख शर्तों में से एक शर्त होगी।
4.2	ओरगेनिक जलकृषि संवर्धन और प्रमाणन		डी.पी.आर. / एस.सी.पी. आधारितई.				आई.ए. लागत अनुमान और तकनीकी-वित्तीय विवरण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। परियोजनाओं को डी.पी.आर. / एस.एस.पी. पर अनुमोदित किया जाएगा। मत्स्यपालन विभाग द्वारा इकाई लागत का निर्णय आवश्यक आधार पर मामलों-दर-मामलों के आधार पर किया जाएगा।
4.3	घरेलू मछली की खपत ब्रांडिंग मछली का निशान मछली में जी.आई., हिमालियनइ ट्राउट-टूना-ब्रांडिंग, सजावटी मछलयों का प्रचार और ब्रांडिंग आदि।		डी.पी.आर. / एस.सी.पी. आधारित				
5 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास							
5.1	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से समुद्री मछुआरों/मछुआरों के समूहों को तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों को बढ़ावा देना।	सं.	5000	3000	—	5000	(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ई.आई.ए. संसाधन की उपलब्धता, तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता, उन्नत मछली पकड़ने के जहाजों के कार्यान्वयन और संचालन आदि को बताते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करेंगे। (ii) डी.ओ.एफ. द्वारा परियोजनाओं को आवश्यकता के अनुसार मामला दर मामला आधार पर डी.पी.आर के अनुमोदित किया जाएगा। (iii) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एक व्यवहार्य संचालन और प्रबंधन मॉडल के साथ डी.पी.आर. प्रस्तुत करेंगे। (iv) ई.आई.ए. इस आशय की पुष्टि करेगा कि उन्नत मछली पकड़ने वाले जहाज की सभी संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी और जहाजों को उचित परिचालन स्थिति में रखा जाएगा।

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

							(v) उन्नत मत्स्यपालन पोत मछुआरों/मछुआरों के समूह के समग्र लाभ के लिए होना चाहिए।
--	--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

(iv) एनएफडीबी में पीएमएसवाई की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) एकीकृत आधुनिक तटीय फिशर गांवों के रूप में विकसित करने के लिए गांवों का चयन करेगी और यदि आवश्यक समझे तो पीएसी किसी भी एजेंसी की सहायता ले सकती है। संभावित गांवों की अंतर-ग्राम तुलना को सक्षम करने के लिए एनएफडीबी के पीएसी द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के एक सेट के आधार पर गांवों को दर्जा दिया और चुना जाएगा।

(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी नवीन विषयों के साथ एक अवधारणा/दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित अवधारणा/दृष्टिकोण चयन के लिए एक मापदंड होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गाँव का पिछळापन इन गाँवों की पहचान का मुख्य मापदंड नहीं होगा। वास्तव में, जो गाँव विकास के चरण में पहुंच चुके हैं और न्यूनतम स्तर पर प्रयास करके आत्मनिर्भर बनने की क्षमता रखते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन गांवों से संरक्षण और प्रबंधन के चैपियन बनने और अन्य गांवों के अनुकरण के लिए नए बैचमार्क/मानक स्थापित करने की उम्मीद है।

(vi) यह गतिविधि फिशर समुदायों के बड़े हित में किसी भी अभिनव गतिविधि करने के लिए लचीलापन की सुविधा प्रदान करेगी।

(vii) इस गतिविधि के प्रभावी कार्यान्वयन और इष्टतम परिणामों के लिए यह अपेक्षित है कि जिला कलेक्टर/उपायुक्त परिणामों को बढ़ाने के लिए चल रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ हैंडहोल्डिंग और फोस्टरिंग अभिसरण में एक सक्रिय नेतृत्व करें। सी.एस.आर. गतिविधियों सहित विभिन्न संसाधनों से समूहित अतिरिक्त संसाधनों के साथ विचलन करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जायेगा।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							(viii) आधुनिक तटीय मत्स्य गांव के विकास के प्रस्ताव में भागीदारी और एकीकृत दृष्टिकोण रखने की प्रक्रिया अपनाते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर पहचान की गई विकास परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। इको-टूरिज्म के लिए सुविधाओं का निर्माण, ट्रेडसू जैसे मछली पकड़ने वाले स्थायी उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करने, टिकाऊ फसल के लिए सुविधाएं, पोस्ट हार्डवेस्ट में आने वाली और उच्च गुणवत्ता वाले हार्डवेस्ट का पूरा उपयोग करने, मछली उप-उत्पाद उद्योग, कोल्ड चेन प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन सुविधाओं से संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल हैं। इसमें आधुनिक लॉजिस्टिक्स और ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, नेट बैंडिंग/मैंडिंग के लिए सामान्य मछली प्रसंस्करण केंद्र के लिए सामुदायिक शैड, समुद्री जीवों की खेती, केज कल्वर, सजावटी मछली पालन मछली सुखाने / भंडारण करने आधुनिक मछली खुदरा आउटलेट/विपणन सुविधाओं जैसी वैकल्पिक जैसी वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना शामिल है, इसमें अपशिष्ट (ठोस और तरल दोनों) प्रबंधन प्रणाली, हैचरी, बीज पालन की सुविधा, महिला सशक्तीकरण आदि के लिए गतिविधियाँ, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाएं, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर-सामुदायिक हॉल, आपदा लचीलापन चक्रवात/ सुनामी आश्रयों जैसी, जरूरतों पर आधारित फासलों को भरने वाली अवसरंचना भी शामिल है, आपदा लचीला घरों, सड़क केनेकटीविटी भूनिर्माण और ग्रीन बेल्ट विकास कार्य को शुरू किया जा सकता है। एकीकृत तटीय मछुवारा गांवों के विकास के लिए गतिविधियों की पहचान करते समय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एकीकृत डी.पी.आर. बनाने के लिए पी.एम.एम.एस.वाइ. के तहत सूचीबद्ध विभिन्न अन्य गतिविधियों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>जहाँ तक संभव हो, भारत सरकार और/या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के तहत वित्तपोषित गतिविधियों को एकीकृत तटीय मछुआरा गांवों के लिए पी.एम. एम.एस.वाई. के अधीन निर्धारित आवंटन/नियंत्रण के तहत सहायता प्राप्त करने से बचना चाहिए।</p> <p>(ix) वैकल्पिक रोजगार और महिला सशक्तीकरण सहित कमज़ोर वर्गों के लिए मुख्यधारा और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एन.आर.एल.एम. के साथ सुदृढ़ अभियान संबंधी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p> <p>(x) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार इस गतिविधि का निरंतर मुल्यांकन करेगा और समीक्षा, मूल्यांकन और जरूरतों के अनुसार इस विकासशील योजना की गतिविधियों और तत्वों को संशोधित/अद्यतन भी करेगा।</p> <p>(xi) गतिविधि एकीकृत आधुनिक तटीय फिशर गांवों को क्लस्टर मोड में लागू किया जा सकता है, जहाँ क्लस्टर मोड पर कार्यान्वयन संभव है, क्योंकि क्लस्टर मोड पी.एम.एम. एस.वाई की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
7 जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन							
7.1	गुणवत्ता परीक्षण और रोग निदान के लिए जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं.	सं.	1000	600	900	1000	(i) पी.एम.एस.वाई. में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों, के लिए मछली और मत्स्यपालन उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है और अगले पाँच वर्षों में गुणवत्ता परीक्षण और निदान के लिए अत्याधुनिक 20 एक्वाटिक रेफरल प्रयोगशालाओं (ए.आर. एल.) को स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य जलीय पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के रेफरल प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है, राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम को संवधित करना, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओ.आई.ई.) के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में सुधार करना, जैसे कि डबल्यू.ए.एच.आई.एस. (विश्व पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली) की अधीवार्षिक रिपोर्टिंग) और त्रैमासिक जलीय पशु रोग रिपोर्ट (क्यू.ए.डी.आर.), एन.ए.सी.ए (एशिया-प्रशांत में जलकृषि केंद्र का नेटवर्क) / एशिया और प्रशांत के लिए ओ.आई.ई का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करना। यह अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन के स्तर में वृद्धि करेगा।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

- (ii) प्रत्येक ए.आर.एल में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं (क) सामान्य प्रयोगशाला अवसंरचना (ख) रोग निदान प्रयोगशाला, जिसमें आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला भी सम्मिलित है (ग) माइक्रोबायोलॉजी लैब।
 (घ) जल और मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशाला।
 (ड.) इम्पूनो डायग्नॉस्टिक प्रयोगशाला।
 (च) फीड गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला (प्रोटीन विश्लेषण, फीड स्थिरता)।
 (छ) मछली परीक्षणों और रोगजनक चुनौती संबंधी अध्ययन करने के लिए वेट प्रयोगशाला और¹
 (ज) अनिवार्यता और औचित्य के आधार पर कोई अन्य सुविधा।
 (iii) ए.आर.एल. में अन्य प्रयोगशाला तकनीशियन और लैब अटैंडेंट को अपेक्षित सहायता प्रदान करते हुए ए.आर.एल. का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने के लिए संबंधित क्षेत्र में उपयुक्त अनुभव रखने वाले कम से कम दो अर्हता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों के साथ काम करना चाहिए।
 (iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपेक्षित बुनियादी ढांचा, उपकरण, जन शक्ति की आवश्यकता और कार्यान्वयन योजना के साथ परिचालन लागत के विस्तृत परियोजना अनुमान के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करनी होगी।
 (v) राज्य/राज्य संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त स्थान पर निर्माण/स्थित क्षेत्र जो कि (3000 वर्ग फीट से कम नहीं हो) के साथ अपेक्षित भवन की उपलब्धता की पुष्टि करेगा और संबंधित प्राधिकारी से आवश्यक मंजरी मंजूरी/अनुमति (यदि कोई हो), प्राप्त करेगा।
 (vi) इकाई लागत का 20% तक अनिवार्य सिविल और विजली के काम, फर्नीचर और जुड़नार, आदि के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह वचन देगा कि सभी परिचालन, रखरखाव और प्रबंधन लागत, जिसमें एआरएल की मजदूरी/वेतन और स्थापना की लागत भी शामिल हैं, उनके द्वारा वहन की जाएगी और प्रयोगशाला को हर समय परिचालन स्थिति में रखा जाएगा।

(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में आई.सी.ए.आर. संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य मत्स्यपालन कॉलेजों जैसे संस्थानों के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक समझौता ज्ञापन करेंगे, जिसका उद्देश्य ए.आर.एल की स्थापना करना, उसका परिचालन और प्रबन्धन करना तथा तकनीकी सहायता की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, ए.आर.एल को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड/आर. जी.सी.ए के सहयोग से स्थापित किया जा सकता है जहां भी पारस्परिक रूप से स्वीकृत निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यवहार्य हो।

(ix) ए.आर.एल. के पास प्रयोगशालाओं के तकनीकी स्टाफ, सरकारी अधिकारियों, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण, प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों और रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण, मोबाइल प्रयोगशालाओं/क्लीनिकों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने और उन्हें उसमें प्रशिक्षित करने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यु.आई.पी.) आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(x) ए.आर.एल. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला में स्थित अन्य प्रयोगशालाओं से जुड़ी हुई नेटवर्किंग के माध्यम से राष्ट्रीय जलीय पशु रोग (एन.एस. पी.ए.ए.डी.) के लिए निगरानी कार्यक्रम में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। ए.आर. ए.ल. निवारक उपायों, क्षेत्र स्तर पर रोग निदान और नियंत्रण/उपचार पद्धति के जरिये एक समान एस.ओ.पी. का अनुपालन करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रयोगशालाओं/क्लीनिकों को संभालेगा।

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
ग मत्स्यपालन प्रबंधन और विनियामक ढांचा							
8 मॉनिटरिंग, नियंत्रण और निगरानी (एम.सी.एस.)							
8.1	हब स्टेशनों, टावरों, आई.टी आधारित सॉफ्टवेयर, पेरीफिरल्स नेटवर्क और संचालन आदि सहित एम.सी.एस के लिए सामान्य अवसंरचना।	सं.	डी.पी.आर. आधारित				<p>(xi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को नियमित अंतराल पर (छमाही आधार पर) प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें रेफरल प्रयोगशाला का प्रदर्शन, सृजित राजस्व मत्स्यपालन विभाग में तैनात उपयुक्त जनशक्ति आदि के विवरण दर्शाये जायें।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
9 मत्स्यपालन विस्तार और सहायक सेवाएं							
9.1 बहुउद्देशीय सहायता सेवाएं – सागर मित्र कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के साथ अपेक्षित आईटी/ संचार सहायता जैसे टैबलेट/ मोबाइल टेलीफोनी आदि सागर मित्र को प्रदान की जाएगी)	सं.	12.4	7.44	—	12.4	(i) इसमें कुल 3477 सागर मित्र को शामिल करने और समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुद्री तटीय मत्स्यपालन गांव में एक सागर मित्र की दर से उन्हें तैनात करने की परिकल्पना की गई है। (ii) सागर मित्र मत्स्यपालन विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/जूलॉजी में न्यूनतम बैचलर डिग्री रखने वाले मत्स्यपालन पेशेवर होंगे। उन स्थानीय व्यक्तियों को वशीयता दी जायेगी, जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, जिसके पास स्थानीय भाषा में प्रभावी संचार कौशल हो; उनके लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की जानकारी होना आवश्यक होगी। (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सागर मित्रों की वार्षिक आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर तैनाती करेंगी, जिसमें कार्य निष्पादन समीक्षा के आधार पर उनकी सेवाओं का विस्तार करने का प्रावधान भी उपलब्ध हो। (iv) सागर मित्र की प्राथमिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार हैं (क) सरकार और मछुआरों के बीच का इंटरफेस और किसी भी समुद्री मछली पालन संबंधित मांगों/मछुआरों सेवाओं के लिए संपर्क किए जाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में कार्य करना, (ख) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर स्थानीय मछुआरों के बीच जागरूकता पैदा करना, (ग) मत्स्यपालन संसाधन के भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देना, (घ) स्थानीय मछुआरों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विनियमों के बारे में संवेदनशील बनाना, (ङ) भौसम पूर्वानुमान पी.एफ.जैड., प्राकृतिक आपदाओं पर सूचना का प्रचार करना, (च) मछली पालन में स्वच्छता का ध्यान रखने, निजी स्वच्छता, स्वरक्ष जीवन शैली तथा कार्य स्थिति बनाने रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना।	

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>(छ) मत्स्यपालन संसाधनों का सतत उपयोग करने और सी.सी.आर.एफ समुद्र और तटीय इकोसिस्टम संरक्षण के महत्व, आई.यू.यू. मछली पकड़ने की रोकथाम करने आदि से संबंधित विनियमन पर जागरूकता पैदा करना। (ज) वैकल्पिक आजीविका पोर्स्ट हार्वर्स्ट के बाद की गतिविधियों और विपणन गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, (झ) दैनिक मछली उत्पादन पर सूचना/डेटा संकलित करना, मछली पकड़ने के जहाजों को, जिसमें आगमन और प्रस्थान करना भी शामिल है। मछली की कीमत, विपणन की जानकारी और सरकार को ऐसे डेटा उपलब्ध कराना, (जे.) प्रशिक्षण या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मछुआरों को एकत्र करना (छ) और कोई अन्य कार्य करना, जो केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सौंपा जाये।</p> <p>(v) सागर मित्र जिले के भीतर पदनामित मत्स्यपालन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।</p> <p>(vi) सागर मित्र को पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की कार्य निष्पादन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सागर मित्र को समय—समय पर सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के प्रति एक महीने में 5000/- रुपये तक की अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।</p> <p>(vii) चूंकि सागर मित्र पी.एम.एस.वाई योजना से जुड़े हुए हैं, इसलिए पी.एम.एस.वाई योजना को बद करने के बाद, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार सागर मित्र को कार्य निष्पादन प्रोत्साहन राशि नहीं देगी। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार सागरमित्र की सेवाओं को जारी रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।</p>

क्र. सं.	गतिविधियों का नाम	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)			नियम और शर्तें
				सामान्य राज्य	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
							<p>(viii) पी.एम.एस.वाई. योजना की समाप्ति के बाद और यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह इच्छा रखते हैं, तो सागर मित्र मत्स्यपालन हितधारकों को स्वयं-अर्जित बहुउद्देशीय सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा प्रदान करना जारी रख सकते हैं। ऐसे मामलों में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त मॉडल के तौर-तरीके, दिशा-निर्देश इत्यादि को निर्धारित करने के उपाय कर सकते हैं। मछलीपालन स्टोकहोल्डरों को स्व-अर्जित बहु उद्देश्य वाली सेवा प्रदायकों के रूप में अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी/संचार संबंधी सहायता जैसे टेबलेट/मोबाइल/टेलीफोन आदि दिए जायेंगे। ऐसे मामलों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त तौर-तरीके, मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएंगे।</p> <p>(ix) सागरमित्रों को आवश्यक आईटी/संचार सहायता जैसे टेबलेट/मोबाइल, टेलीफोन आदि प्रदान किए जाएंगे।</p> <p>(x) सागर मित्र अपनी नियुक्ति के गाँव में या नियुक्ति के आसपास के गाँव में निवास करेंगे।</p> <p>(xi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सागर मित्र के कामकाज के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेंगे।</p> <p>(xii) केंद्र और/या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सागर मित्र को पी.एम.एस.वाई के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा।</p> <p>(xiii) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नियमित अंतराल पर सागर मित्र योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी और उसका मूल्यांकन करेगा और आवश्यक समय पर आवश्यक मध्यावधि पाठ्क्रम भी शुरू करेगा।</p>

अनुबंध-IV

सं. जे.-117012-2 / 2020-एफ.वाई.

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 8 जून, 2020

आदेश

भारत सरकार ने %प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई.)% नामक एक योजना का अनुमोदन किया है ये एक ऐसी योजना है जो, भारत में मात्स्यकी क्षेत्र के संवहनीय एवं और जवाबदेह विकास के माध्यम से नीली क्रांति का आवाहन करती है, जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए कुल 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कार्यान्वित किया जाना है। पी.एम.एस.वाई. में अन्य बातों के साथ-साथ सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत सरकार के अन्य सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सदस्यों के साथ एक केन्द्रीय शीर्ष समिति के गठन की परिकल्पना की गई है जो, पी.एम.एस.वाई. के समग्र कार्यान्वयन के साथ-साथ इसकी निगरानी ओर समीक्षा का कार्य भी देखेगी।

2. तदनुसार, सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय शीर्षस्थ समिति (सी.ए.सी.) को इसकी निगरानी और समीक्षा सहित पी.एम.एस.वाई. के समग्र कार्यान्वयन को चलाने के लिए निम्नलिखित संरचना एवं कार्य क्षेत्र के साथ गठित किया गया है:

2.1 संरचना

(i)	सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य

(vi)	विशेष/अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त प्रभाग (आई.एफ.डी), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव, समुद्री मात्स्यकी अंतः स्थलीय मात्स्यकी, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(viii)	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य
(ix)	मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के निदेशक स्तर का कोई अधिकारी अथवा पी.एम.एस.वाई. का समकक्ष प्रभारी	सदस्य-सचिव

2.2 कार्यक्षेत्र (टी.ओ.आर.)

2.2.1 सी.ए.सी. की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

(क) पी.एम.एस.वाई. के परिचालन दिशा-निर्देशों को अनुमोदित करना एवं क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर योजना के व्यापक ढांचे के भीतर परिचालन दिशा-निर्देशों में आवश्यक बदलाव करना और पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान एंड इम्प्लिमेटेशन एजेंसीज (ई.आई.ए.) से फीडबैक लेना और कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना।

(ख) पी.एम.एस.वाई. के अंतर्गत उप-घटकों/गतिविधियों की इकाई लागतों का अनुमोदन करना जिन्हें पी.एम.एस.वाई. लागत के आकलन के लिए विचार में विभिन्न उप-घटकों/गतिविधियों की सूचक इकाई लागतों के आधार पर लाया गया है जैसा कि कैबिनेट नोट के अनुबंध-V से अनुबंध-VIII में दर्शाया गया है।

(ग) द्वीप समूह, हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अंतर इकाई लागत का अनुमोदन करना

- (घ) क्षेत्र की स्थितियों, आवश्यकताओं और फीडबैक के आधार पर पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान उप-घटकों/गतिविधियों की इकाई लागतों के लिए आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित करना ताकि पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर किया जा सके क्योंकि इकाई लागत कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है जैसा की समय के साथ मूल्य वृद्धि, परियोजना स्थान, स्थान की स्थिति, सामग्री की उपलब्धता, श्रम मजदूरी, प्रारूप और विशेष विवरण, प्रस्तावित सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, परियोजना/इकाई आकार, राज्यों के एस.ओ.आर का पुनरीक्षण, वैधानिक शुल्क और करों में परिवर्तन करना आदि।
- (ङ) केंद्रीय क्षेत्र योजना या केंद्र प्रायोजित योजना घटकों के समग्र वित्तीय आवंटन के अंतर्गत व्यक्तिगत उप-घटकों/गतिविधियों के वर्ष—वार भौतिक लक्ष्यों के संशोधन सहित उप-घटकों/गतिविधियों के भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय आवंटन के संशोधन का अनुमोदन सेक्टोरल मांग, स्थानीय प्राथमिकताएं और निधि भिन्न के आधर पर करना। इसके अलावा, सी.ए.सी., पी.एम.एम.एस.वाई. के अंतर्गत परिकल्पित लंबी अवधि की अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि मछली पकड़ने के बंदरगाह/मछली उत्तराई केंद्र, जलीय उद्यान, परामर्श प्रयोगशालाएं, जलीय संगरोध सुविधाओं उच्चतम स्तरीय खोज, आधुनिक मछली बाजार आदि में प्रारंभिक वर्षों के दौरान कार्य का समय पर पूरा होने और लाभों के लिए पी.एम.एस.वाई. का कार्यान्वयन करना।
- (च) केंद्रीय क्षेत्र योजना अथवा केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत उप-घटकों/गतिविधियों के लिए योजना के विस्तृत ढाँचे के अन्तर्गत क्षेत्रीय—प्राथमिकताओं, ई.आई.ए. से आवश्यकताओं, प्रतिपुष्टि लेने, निधि लेना स्थानीय आवश्यकताओं, आदि के आधार पर परिवर्तन को मंजूरी देना ताकि सर्वोत्कृष्ट परिणामों के लिए कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।
- (छ) पी.एम.एस.वाई. के तहत वर्ष के प्रत्याशित परिणामों सहित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को इंगित करने वाले मत्स्यपालन विभाग के पी.एम.एस.वाई. की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देना। वार्षिक कार्य योजना, पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों की प्राप्ति के आधार पर विभिन्न चरणों के प्रस्तावों (हाथ में), वार्षिक बजट संबंधी आवंटन, पिछले वर्षों

- की वित्तीय देयता, मांगों और क्षेत्र की जरूरतों की प्रगति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य ई.आई.ए आदि की जानकारी/तैयारी के साथ पी.एम.एस.वाई. के व्यापक ढाँचे के भीतर तैयार की जाएगी।
- (ज) व्यक्तिगत उप-घटकों/गतिविधियों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा को सुनिश्चित करने के लिए मत्स्यपालन विभाग को सिफारिश करना, विशेष रूप से लाभार्थी—उन्मुख जो किसी भी मामले में सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत के 40% और अनु.जा./अनु.ज.जा. और महिलाओं के लिए परियोजना लागत का 60% से अधिक नहीं होगा पी.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न में परिकल्पित किया गया है।
- (झ) व्यक्तिगत गतिविधि/परियोजना की कुल लागत पर ऊपरी सीमा को ठीक करने के लिए मत्स्यपालन विभाग को सिफारिश करना, विशेष रूप से लाभार्थी—उन्मुख जो जैसा कि केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रासंगिक उप-घटकों के तहत सहयोग किया जायेगा।
- (झ) सी.ए.सी. ने क्षेत्रीय जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए, नई और/या लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपकरणों/इकाइयों को शामिल करने, और अप्रचलित/अविभाज्य प्रौद्योगिकियों के उपकरणों/इकाइयों को बाहर करने के अनुमोदन के लिए सक्षम होगी। इसके अलावा, सी.ए.सी किसी भी पात्र/जरूरतमंद वर्ग के लाभार्थियों/जहाजों आदि को समाविष्ट करने के लिए उपर्युक्त उपकरणों/इकाइयों सहित प्रौद्योगिकी आधारित खोज हस्तक्षेप के दायरे का विस्तार कर सकती है।
- (ञ) सी.ए.सी. मात्रियकी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार मछली किसान, मात्रियकी की उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफ.एफ.पी.ओ./क.) की स्थापना और सहायता के लिए लागत मानदंडों, दिशानिर्देशों और तौर—तरीकों आदि को अंतिम रूप देगी। इस उद्देश्य के लिए, सी.ए.सी. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वयित की जा रही किसान निर्माता संगठन योजना की लागत मानदंडों और दिशा—निर्देशों को आधार के रूप में ले सकती है। इसके अलावा, सी.ए.सी. (एफ.एफ.पी.ओ./क.) के परिणामों को बेहतर तीके से उपयोग में लाने के लिए एफ.एफ.पी.ओ./क. द्वारा पी.एम.एस.वाई. के तहत

१ २०
३ अ
मत्स्यपल , ५ र
स भ
निकालय
षि

१.

समर्थित/सहायता प्राप्त किसी विशेष गतिविधि¹² की कुल क्षेत्रफल/इकाइयों की ऊपरी सीमा पर 2.2.5 निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी।

स की बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं। सी.ए.सी. परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई (पी.एम.ई.यू.) जिसके प्रमुख संयुक्त सचिव,

अनुबंध-V

१ २०
३ अर
मत्स्यपल , ५ र मंत्रालय
सं. जे -१ ७०१२-३ / २० एफ.वाई.
गारत सरक
न पशुपालन औ डेयरी म
मत्यपालन विभाग

कृ भवन, नई दिल्ली
दिनांक 23 जून, 2020

।

आदेश

भारत सरकार ने %प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई.)% भारत में मात्स्यकी क्षेत्र के संवहनीय जवाबदेह विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एकयोजना% जिसका कुल निवेश 20,050 करोड़ रुपये है, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों) में वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए लागू किये जाने हेतु अनुमोदन किया है।

अन्य बातों के साथ—साथ पी.एम.एस.वाई. में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों को समिलित करके एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी, (राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड) (एन.एफ.डी.बी), राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.) के पूर्व अनुमोदन के साथ—साथ पी.एम.एस.वाई. के केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं उसी तरह पी.एम.एस.वाई. के घटक के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार से जब और जैसे भी प्राप्त होगें, का मूल्यांकन करेगा।

2. तदनुसार, एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) जिसमें कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं और मुख्य कार्यकारी राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) की अध्यक्ष हैं निम्नलिखित संरचना और कार्यक्षेत्र के साथ गठित किया गया है:

2.1 संगठन

- (i) मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड अध्यक्ष
- (ii) कार्यकारी निदेशक (टेक), राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड सदस्य
- (iii) कार्यकारी निदेशक (आधारभूत संरचना), राष्ट्रीय

मात्स्यकी विकास बोर्ड सदस्य

कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ (दो) सदस्य

(iv) प्रतिनिधि, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सदस्य

(v) (vi) राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी सी.ई., राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा सदस्य सचिव

2.2 कार्यक्षेत्र (टी.ओ.आर.)

2.2.1 पी.ए.सी. की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं

क) पी.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना घटक के तहत राज्यों और संघ राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन करना एवं स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता जारी करना।

ख) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार से जब और जैसे पी.एम.एस.वाई की केन्द्रीय क्षेत्र योजना घटक के अन्तर्गत परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनका आंकलन करना एवं पी.एम.एस.वाई की केन्द्रीय सर्वोच्च समीति में रखने हेतु आवश्यक संस्तुती करना।

ग) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपलान, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।

2.2.2 अपनी उपर्युक्त भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करने में, पी.ए.सी. करेगी –

क) पी.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मात्स्यकी वार्षिक कार्य योजना की जांच करना और पी.एम.एस.वाई. योजना, और इसके

१	२०
३	४
मत्स्यपल	५
६	७
८	९

निवालय
विष

- संचालन संबंधी दिशा—निर्देशों के अनुसार उनकी
शुद्धता और अनुरूपता सुनिश्चित करना।
- ख) (पी.एम.एस.वाई. के केन्द्र प्रायोजित परियोजना
- 2.2.6 स ई., राष्ट्रीय मात्रिकी विकास बोर्ड अंतस्थलीय,
समुद्री मात्रिकी, जलकृषि, मछली बीज और
चारा, बीमारी, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्यवर्धन, मत्स्य

१.

अनुबंध-V

सं. J— 17012—3 / 20—मा.

गारत सरक

न न पशुपालन औ डेयरी म
र्ट यपालन वि त्राग

कृ भवन, नई दिल्ल
दिनांक 23 जून, 2020

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

मत्स्यपलारम्भ

आदेश

भारत सरकार ने %प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई) नामक एक योजना एक ऐसी योजना जो भारत में मात्स्यकी क्षेत्र के संवहनीय एवं जवाबदेहविकास के माध्यम से नीली क्रांति का आव्हान करती है को स्वीकृति दी है। जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2020–25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए कुल 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कार्यान्वित किया जाना है।

पी.एम.एस.वाई. में अन्य बातों के साथ—साथ यह भी उल्लेखित किया है कि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग की अध्यक्षता में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ एक परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई (पी.एम.ई.यू) का गठन करेगा जो समय—समय पर पी.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और निगरानी करेगी। पी.एम.एम.एस.वाई में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सर्वोच्च समिति (सी.ए.सी) पी.एम.ई.यू को अन्य जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। पी.एम.एस.वाई की केन्द्रीय सर्वोच्च समिति ने अपनी दिनांक 22.06.2020 की प्रथम बैठक में इसे भली भौति शामिल कर लिया है।

2. तदनुसार, संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग की अध्यक्षता में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ निम्नलिखित संरचना एवं कार्यक्षेत्र के साथ एक परियोजना निगरानी और मूल्यांकन इकाई (पी.एम.ई.यू) का गठन किया जाता है:

2.1 संरचना

(i)	पी.एम.एस.वाई.नीतिगत मामलों अध्यक्ष के लिए उत्तरदायी संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग
(ii)	संयुक्त सचिव, अंतःस्थलीय मात्स्यकी, सह—मत्स्यपालन विभाग

(iii)	डी.डी.जी, मात्स्यकी, आई.सी.ए.आर सदस्य (कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ)
(iv)	ए.डी.जी, अंतर्देशीय और समुद्री, आई. सदस्य सी.ए.आर (डोमेन विशेषज्ञ)
(v)	मात्स्यकी विकास आयुक्त, मत्स्यपालन सदस्य विभाग
(vi)	निदेशक, मात्स्यकी और सांख्यिकी सदस्य
(vii)	मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के पी. सदस्य एम.एम.एस.वाई. के निदेशक या उसके सचिव समकक्ष प्रभारी अधिकारी

2.2 कार्यक्षेत्र (टी.ओ.आर)

- 2.2.1 पी.एम.ई.यू. की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
- (क) पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन की समय—समय पर निगरानी और मूल्यांकन करना।
- (ख) राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) सहित पी.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय क्षेत्र योजना घटकों के तहत कार्यान्वित गतिविधियों/परियोजनाओं की निगरानी करना।
- (ग) राष्ट्रीय स्तर पर पी.एम.एस.वाई. गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी निभाना।
- (घ) राज्य कार्यक्रम इकाइयों, जिला कार्यक्रम इकाइयों और उप—जिला स्तर पर प्रबंधन या किसीसंस्था/विशेषज्ञों/सहित परियोजना प्रबंधन परामशादाताओं सलाहकारों और जो कुछ भी पी.एम.एस.वाई के अन्तर्गत शामिल हैं उनके पर्यवेक्षण, निगरानी और कामकाज व प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- (ङ) पी.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए परियोजना मूल्यांकन संस्थाओं में से घटक किसी

१.

- (च) एक मूल्यांकन की जिम्मेदारी देना कि मत्स्यपालन विभाग द्वारा तय किया जा सकता है।
- (व) पी.एम.एस.वाई. की केंद्रीय सर्वोच्च समिति द्वारा समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना।
- 2.2.2 अपनी उपर्युक्त भूमिका और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, पी.एम.ई.यू.
करेगा –
- (क) राष्ट्रीय मात्रियकी वार्षिक कार्य योजना का समन्वयन और तैयारी और सी.ए.सी एवं मत्स्यपालन विभाग की मंजूरी लेना।
- (ख) पी.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय क्षेत्र घटक के तहत ई.आई.ए. से प्राप्त राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और / या निहित स्पष्ट प्रस्ताव (एस.सी.पी.) की जाँच, तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से करना और इस आदेश के ऊपर अनुच्छेद – 2.2.1 (ड.) के अनुसार अनुमोदित दिशानिर्देश परिचालन, के साथ इकाई लागत, लागत मानदंड और पी.एम.एस.वाई. के किसी भी अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (ग) प्रस्तावों की जांच एवं सूक्ष्म परीक्षण के बाद व्यापक मूल्यांकन नोट तैयार करना और इसे पी.एम.एस.वाई. के सीएसी को प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग (डी.ओ.एफ.) को सिफारिशें करना।
- (घ) समय-समय पर पी.एम.एस.वाई. के ढांचे और संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पी.एम.एस.वाई. के लिए मूल्यांकन प्रारूप और नमूने विकसित करने हेतु राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड / राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / मात्रियकी संस्थानों आदि के साथ समन्वय करना।
- (ङ) समय-समय पर पी.एम.एस.वाई. के ढांचे और ऑपरेशनल दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.एस.वाई. के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रारूप विकसित करने हेतु राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड / राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / मात्रियकी संस्थान के साथ समन्वय करना।
- (च) पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन में निरंतर सुधार के लिए समय-समय पर मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को सिफारिशें करना।

- 2.2.3 प एम.ई.यू के अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)/नाबार्ड के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में पी.एम.ई.यू की बैठकों में जब एवं जहां उन्हें आवश्यक माना जाये आमंत्रित कर सकते हैं, पी.एम.ई.यू के अध्यक्ष अतिरिक्त कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों को भी जब और जहां आवश्यक हो आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रित कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ उस पी.एम.ई.यू का हिस्सा बनेंगे जिसके लिए उन्हें (पुरुष / महिला) आमंत्रित किया गया है।
- 2.2.4 पी.एम.ई.यू संबंधित राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड / इ.आई.ए. को पी.एम.इ.यू की बैठक के लिए उस समय आमंत्रित करेगा, जब उनके वार्षिक कार्य योजनाओं, डी.पी.आर और एस.सी.पी का मूल्यांकन / परीक्षा किया जाना है।
- 2.2.5 बैठकों में भाग लेने के लिए आधिकारिक सदस्यों के यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता उनके संबंधित विभागों / संगठनों से मिलेंगे। विशेष आमंत्रित / कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के संबंध में यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता पी.एम.ई.यू. द्वारा पी.एम.एस.वाई. के प्रशासनिक व्यय के तहत जारी किए गए विशेष उद्देश्य हेतु रखें गये धन से प्राप्त किए जाएंगे।
- 2.2.7 इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(खाम खान सुआन)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन सं. 011-23386099**वितरण:**

- पी.एम.ई.यू के सभी सदस्य
- सभी राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित संगठनों
- माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के निजी सचिव
- माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के निजी सचिव।
- सचिव, मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ पी.पी.एस
- संयुक्त सचिव (सं.मा.) / संयुक्त सचिव (अ.मा.) के निजी सचिव
- गार्ड फाईल

अनुबंध-VII

१ २०
३ अर
मत्स्यपल , ५ र मंत्रालय
सं. जे -१ ७०१२-३/ २० एफ.वाई. शि ९
गारत सरक
न पशुपालन औ डेयरी म
त्यपालन विभाग

कृ भवन, नई दिल्ल
दिनांक २३ जून, २०२०

१.

आदेश

भारत सरकार ने %प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई.)% – भारत में मात्स्यकी क्षेत्र के संवहनीय जवाबदेह विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना% जिसका सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों) में वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वयन हेतु 20050 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर मंजूरी दी है। इसके अलावा पी.एम.एस.वाई. प्रदान करता है कि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) का गठन करेगा जिसमें कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) के अध्यक्ष होंगे, जो पी.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

2. तदनुसार, एक परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) जिसमें डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं और मुख्य कार्यकारी राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड के नेतृत्व में निम्नलिखित संरचना और कार्यक्षेत्र के साथ गठित की गई है:

2.1 संरचना

- (i) मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मात्स्यकी अध्यक्ष विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी)
- (ii) कार्यकारी निदेशक (प्रो.), राष्ट्रीय सदस्य मात्स्यकी विकास बोर्ड
- (iii) कार्यकारी निदेशक (आधारभूत संरचना), सदस्य राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड
- (iv) *कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ (दो) सदस्य
- (v) राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य अधिकारी सी.ई., राष्ट्रीय मात्स्यकी सचिव विकास बोर्ड द्वारा नामित किया जाना है

* इस आदेश का अनुच्छेद 2.2.3 का संदर्भ लें

2.2 कार्यक्षेत्र (टी.ओ.आर.)

2.2.1 पी.एम.यू. की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ हैं

(क) पी.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना।

(ख) पी.एम.एस.वाई. के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटकों के तहत कार्यान्वित गतिविधियों/परियोजनाओं की निगरानी करना।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

2.2.3 अपनी उपर्युक्त भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करने में, पी.एम.यू. करेगी –

(क) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के आधार पर व्यापक निगरानी नमूने तैयार करना।

(ख) पी.एम.एस.वाई. के ढांचे और परिचालना संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के साथ–साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के लिए जब और जहां आवश्यक हो, निगरानी प्रारूप एवं नमूने तैयार करना।

(ग) पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन की निगरानी के निरंतर सुधार के लिए समय–समय पर मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशें करना।

2.2.3 पी.एम.यू. के अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)/ नाबाड के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पी.एम.यू. बैठकों में जब एवं जहां आवश्यक समझा जाये, आमंत्रित क सकते हैं, हो। पी.एम.यू. के अध्यक्ष अतिरिक्त

कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों को भी जब एवं जहां, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ दल के स्वीकृत दल से आवश्यक हो, जिसे राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड में पी.एम.एम. एस.वाई. के लिए मत्स्यपालन विभाग के अनुमोदन के साथ बनाया जाना प्रस्तावित हो, आमंत्रित कर सकते हैं, आमंत्रित कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ उस पी.एम. यू का हिस्सा बनेंगे जिसके लिए उन्हें (पुरुष / महिला) आमंत्रित किया गया है।

2.2.4 बैठकों में भाग लेने के लिए आधिकारिक सदस्यों के यात्रा भत्ता./ दैनिक भत्ता उनके संबंधित विभागों/संगठनों से मिलेंगे। हालांकि, विशेष आमंत्रित/डोमेन विशेषज्ञों के संबंध में यात्रा भत्ता./ दैनिक भत्ता राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड द्वारा पी.एम.एस.वाई. के प्रशासनिक व्यय के तहत जारी किए गए विशेष उद्देश्य हेतु रखे गये धन से प्राप्त किये जाएँगे।

2.2.5 इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(खाम खान सुआन)
अवर सचिव, भारत सरकार
(Tel No. 011-23386099)

वितरण:

- (i) पी.एम.यू. के सभी सदस्यों
- (ii) सभी राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य संबंधित संगठनों
- (iii) माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के निजी सचिव
- (iv) माननीय राज्यमंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के निजी सचिव।
- (v) सचिव, मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- (vi) संयुक्त सचिव (स.मा.)/संयुक्त सचिव (अ.मा.) के निजी सचिव.
- (vii) गार्ड फाइल

अनुबंध-VII

सं. जे -1 7012-3 / 20 -एफ.वाई.

**गारत सरक
त न पश्यपालन औ डेयरी व
त यपालन विभाग**

कृषि भवन, नई दिल्ल
दिनांक 23 जून, 2020

आदेश

I. पी.एम.एम.एस.वाई. के लिए राज्य स्तरीय और संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.)

भारत सरकार ने %प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) नामक एक योजना का अनुमोदन किया है यह एक ऐसी योजना जो भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के संवर्हनीय एवं जवाबदेह विकास के माध्यम से नीली क्रांति का आवाहन करती है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए कुल 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लागू किया जाना है। पी.एम.एम.एस.वाई में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि पी.एम.एस.वाई के सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.) का गठन किया जाए जिसमें उसका पर्यवेक्षण और निगरानी भी शामिल हो। पी.एम.एस.वाई के अन्तर्गत ठीक ऐसी ही व्यवस्था संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भी करने की परिकल्पना की गई है।

क. पी.एम.एस.वाई के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.)

- राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.), में मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी सचिव, राज्य मत्स्यपालन विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित संरचना और कार्यक्षेत्र के साथ गठित किया गया है।

1.1 रचना

1 सचिव, राज्य के मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी	अध्यक्ष
2 सचिव (कृषि)	सदस्य

3 सचिव (सिंचाई/जल संसाधन)	सदस्य
4 सचिव (पंचायती राज और ग्रामीण विकास)	सदस्य
5 राज्य स्तर पर मत्स्यपालन क्षेत्र में अग्रणी अकादमिक/अनुसंधान संरक्षण के एक प्रतिनिधि (सचिव, राज्य के मत्स्यपालन प्रभारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा)	सदस्य
6 संयोजक बैंक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एस.एल.बी.सी.) के	सदस्य
7 मत्स्यपालन के निदेशक/आयुक्त	सदस्य—सचिव

- राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी.) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ
 - राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी) जिला वार्षिक योजना के समेकन और राज्य वार्षिक मात्रियकी योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन के लिए उत्तरदायी होंगे और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार/राष्ट्रीय मात्रियकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) हैंदराबाद को सिफारिश करेंगे।
 - एस.एल.ए.एम.सी पर्यवेक्षण और निगरानी सहित राज्य स्तर पर पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
 - एस.एल.ए.एम.सी को पी.एम.एस.वाई. के लिए राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
 - एस.एल.ए.एम.सी राज्य स्तर पर और कार्यक्रमों अन्य योजनाओं, गतिविधियों/हस्तक्षेपों, के साथ पी.एम.एस.वाई. के तहत गतिविधियों का समन्वय करेगा।

- (ड) पी.एम.एस.वाई. के तहत लाभार्थी उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए एस.एल.ए.एम.सी 1 बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा।
- 1.3 अध्यक्ष अतिरिक्त राज्य स्तरीय अधिकारियों को नामित कर सकते हैं, जब आवश्यक 2 राज्य के अधिकतम एक या दो गैर-आधिकारिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी नामित कर सकते हैं, जिन्हें मत्स्यपालन क्षेत्र के बारे में ज्ञान हो या उनसे संबंधित हों।
2. एस.एल.ए.एम.सी की उपर्युक्त भूमिका और जिम्मेदारियाँ, पी.एम.एस.वाई. की केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक के उप-घटकों/गतिविधियों के लिए हैं।
3. उपरोक्त के आधार पर राज्य सरकार, मत्स्यपालन विभाग, एस.एल.ए.एम.सी संविधान की आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा।
- ख. पी.एम.एस.वाई. के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (यूटी.एल.ए.एम.सी)
1. संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्रीय स्तर की मूल्यांकन और निगरानी समिति (यूटी.एल.ए.एम.सी) निम्नलिखित संरचना और कार्यक्षेत्र के साथ गठित की गई है:
- 1.1 पी.एम.एस.वाई. के लिए संघ राज्य स्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति (यूटी.एल.ए.एम.सी) की संरचना

1	सचिव, संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी	अध्यक्ष
2	सचिव (कृषि)	सदस्य
3	सचिव (सिंचाई, जल संसाधन)	सदस्य
4	सचिव (पंचायती राज और ग्रामीण विकास)	सदस्य
5	केंद्रीय/राज्य कृषि/मात्स्यकी विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों मात्स्यकी के प्रतिनिधि/आई.सी. ए.आर संस्थानों के प्रतिनिधि	सदस्य
6	संघ राज्य क्षेत्र स्तर की समीति के संयोजक बैंक	सदस्य
7	मत्स्यपालन विभाग के निदेशक या संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन निदेशालय के प्रभारी	सदस्य—सचिव

1. 2 संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुमोदन और मूल्यांकन समिति (यूटी.एल.ए.एम.सी) की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- (क) संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुमोदन और मूल्यांकन समिति संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक की मात्रियकी 20 योजना को तैयार करने और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होंगे और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार/राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एन.एफ. र डी.वी.), हैदराबाद विकासकारिश भेजेंगे।
- (ख) **म** यूटी.एल.ए.एम.सी संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के साथ-साथ इसकी देखरेख और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ग) यूटी.एल.ए.एम.सी को पी.एम.एस.वाई. के लिए संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (यूटी.पी.यू.) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- (घ) यूटी.एल.ए.एम.सी संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर गतिविधियों/हस्तक्षेपों अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ पी.एम.एस.वाई. के तहत गतिविधियों का समन्वय करेगा।
- (ङ) यूटी.एल.ए.एम.सी पी.एम.एस.वाई. के तहत लाभार्थियों के बैंक लिंकेज प्रोत्साहन को सुगम बनायेगा।
- 1.3 अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को नामित कर सकता है।
- 1.4 अध्यक्ष संघ राज्य क्षेत्र के अधिकतम एक या दो गैर-आधिकारिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी नामित कर सकते हैं, जिनके पास मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो या उनसे जुड़ा हो।
2. यूटी.एल.ए.एम.सी की उपर्युक्त भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ पी.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना घटक के तहत उप-घटकों/गतिविधियों के लिए हैं।
3. मत्स्यपालन विभाग में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपरोक्त के आधार पर यूटी.एल.ए.एम.सी के गठन की आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा।
- प. पी.एम.एस.वाई. के लिए जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी) भारत सरकार ने :प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एस.वाई.) एक योजना जो भारत में मात्स्यकी क्षेत्र के संवहनीय एवं जवाबदेह विकास के माध्यम से नीती क्रांति का आवाहन करती है का अनुमोदन किया है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक पॉच वर्ष की अवधि के लिए कुल 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लागू किया जाना है। पी.एम.एस.वाई. में अन्य बातों के साथ-साथ एक जिला स्तरीय समिति के गठन की परिकल्पना की गई है जो सामान्यता पी.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में इसका पर्यवेक्षण और निगरानी करती है। तदनुसार, जिला कलक्टर/जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला

- स्तरीय समिति (डी.एल.सी) निम्नलिखित संरचना और कार्यक्षेत्र के साथ गठित की गई है:
- 1.1 जिला स्तरीय समिति की संरचना**
- | | |
|---|----------------|
| 1 जिले के जिला कलेक्टर/जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |
| 3 कृषि, जल संसाधन, सिंचाई, डी.आर.डी.ए, आई.टी.डी.ए आदि जैसे विभागों के जिला प्रमुख। | सदस्य |
| 4 जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा जिले के प्रगतिशील मछुआरों और मत्स्य किसान (पारम्परिक मछुआरा और जलकृषि किसान) को नामित किया जाना है। | सदस्य |
| 5 जिला लीड बैंक मैनेजर | सदस्य |
| 6 कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) के जिला प्रमुख | सदस्य |
| 7 जिला स्तर पर मात्रिस्थिकी कॉलेज या मात्रिस्थिकी अनुसंधान संस्थान से एक प्रतिनिधि (डी.एल.सी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है) | सदस्य |
| 8 मत्स्यपालन का जिला प्रमुख | सदस्य—
सचिव |
- 1.2 अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त जिला अधिकारियों को नामित कर सकते हैं।**
- 1.3 अध्यक्ष जिले के अधिकतम 2 गैर-आधिकारिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी नामित कर सकते हैं, जिन्हें मत्स्यपालन क्षेत्र का ज्ञान हो या जो मत्स्यपालन क्षेत्र से जुड़े हों।**
- 2.0 जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ।**
- (क) डी.एल.सी वार्षिक जिला मत्स्य योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए और राज्य स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एस.एल.ए.एम.सी) को सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ख) डी.एल.सी पी.एम.एस.वाई. के जिला स्तर पर सहित कार्यान्वयन के साथ-साथ पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ग) डी.एल.सी पी.एम.एस.वाई. के लाभार्थ-उन्मुख/व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों के लिए लाभार्थियों के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (घ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा बनाई गई है उसके द्वारा डीएलसी की सहायता की जाएगी जहां भी जिले में जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू)।
- (ङ) डी.एल.सी जिला स्तर पर गतिविधियों/हस्तक्षेपों अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ पी.एम.एस.वाई. के तहत गतिविधियों का समन्वय करेगी।
- (च) डी.एल.सी. पी.एम.एस.वाई. के तहत लाभार्थियों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी।
3. डी.एल.सी की उपर्युक्त भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ पी.एम.एस.वाई.की केंद्र प्रायोजित योजना घटक के तहत उप-घटकों/गतिविधियों के लिए हैं।
4. मत्स्यपालन विभाग में राज्य सरकार उपरोक्त के आधार पर डी.एल.सी के गठन की आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी।

अनुबंध-IX

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू), संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई, (यूटी.पी.यू) जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) प्रचलित करने के लिए तथा उप-जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था करने के लिए जिसमें कार्यालय खर्च शामिल है, मासिक को लगाये गये संविदा कर्मचारी के विवरण के साथ तालिका को दर्शाया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राज्य कार्यक्रम इकाई/ संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। जिलों की संख्या जहाँ जिला कार्यक्रम इकाई की, नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि, कर्मचारियों के कार्य का विवरण, इत्यादि के संबंध में स्थापना की जायेगी।

क्रम सं	पदनाम	पदों की सं.	समेकित मानदेय	अर्हताएं
i	ii	ii	iv	x
राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू) / संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (यूटीपीयू)				
1. संविदा जनशक्ति				
(i) राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एस.पी.एम.) / संघ क्षेत्र कार्यक्रम प्रबंधक (यूटी.पी.एम.)	01 (एक)	रु. 70,000/- रुपये तक (रु. केवल सत्तर हजार) प्रति माह	एम.एफ.एस.सी आवश्यक मात्रियकी विज्ञान में प्राणी विज्ञान में एम.एस.सी/ समुद्री विज्ञान में एम.एस.सी/ मात्रियकी अर्थशास्त्र/ औद्योगिक मात्रियकी/ मात्रियकी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर वांछनीय: (i) उपर्युक्त विषयों में पी.एच.डी। (ii) प्रबंधन में डिग्री। कृषि बिजनेस प्रबंधन को वरीयता दी जाएगी। (i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / कंप्यूटर एप्लिकेशन ज्ञान का अनुभव अनुभव: क) राज्य कार्यक्रम प्रबंधक के संबंध में मात्रियकी और जलकृषि के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 07 वर्षों का अनुभव ख) राज्य कार्यक्रम उप प्रबंधक के संबंध में मात्रियकी और जलकृषि के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का कार्य क्षेत्र अनुभव। आयु : 45 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए	
(ii) * राज्य कार्यक्रम उप प्रबंधक	1 एक)	55000/-रुपये— तक प्रति माह तक		
* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तर और जरूरतों का ऑकलन करने के पश्चात यदि जरूरत हुई तो प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के केवल दूसरे वर्ष के बाद में उच्च मात्रियकी संभावना के लगभग 12 बड़े राज्यों में उप राज्य कार्यक्रम प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे।				
(iii) राज्य ऑकड़ा एवं एम.आई.एस. प्रबंधक (केवल राज्यों के लिए) **	1 एक)	50000 रु/- तक प्रति माह तक	आवश्यक: क) सांख्यिकी/ गणित में एमएससी/ एमए/ मात्रियकी अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम एक डिप्लोमा अनुभव: (क) बड़े स्तर पर ऑकड़े प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का कार्यक्षेत्र अनुभव आयु : 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए	
** संघ क्षेत्रों के लिए ऑकड़ा एवं एमआईएस प्रबंधक की नियुक्ति की परिकल्पना नहीं की गई है।				
(iv) मल्टी टार्सिंग स्टाफ (एमटीएस)	1 (एक)	15,000 रुपये / — तक प्रति माह तक अनिवार्य: कक्षा – X आयु : 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए		

परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश

क्रम सं	पदनाम	पदों की सं.	समेकित मानदेय	अर्हताएं
i	ii	ii	iv	x
2.	राज्य कार्यक्रम इकाई / संघ क्षेत्र कार्यक्रम इकाई के लिए कार्यालय खर्च	एकमुश्ति 25000/- रुपये तक प्रति माह	—	

जिला कार्यक्रम इकाई (डीपीयू)

(चुने हुए जिलों में, जिसकी सूचना मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा दी जाएगी)

1.	संविदा जनशक्ति				
(i)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम)	एक (1) 45000 / – रुपये तक प्रति माह तक	आवश्यक: क) मातिस्यकी विज्ञान में स्नातकोर/प्राणी विज्ञान में एम.एस.सी./मातिस्यकी अर्थशास्त्र/इंडस्ट्रियल मातिस्यकी/मातिस्यकी व्यवसास प्रबंधन में एम.एस.सी. ख) सूचना प्रौद्योगिकी (स.प्रौ.)/कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कम से कम एक डिप्लोमा। वांछनीय: प्रबंधन में एक उपाधी कृषि व्यवसाय प्रबंधन को वरीयता दी जाएगी। आयु: 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अनुभव: मातिस्यकी और जलकृषि के किसी भी क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यक्षेत्र अनुभव होना चाहिए		
2.1	जिला कार्यक्रम इकाई के लिए कार्यालय खर्च	एकमुश्ति 10000/- रुपये तक प्रति माह			

उप-जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था (उप-जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.यू.)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उप-जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था/दॉँचा की स्थापना के बारे में मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के केवल दूसरे वर्ष से मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा जरुरत के अनुसार ऑकलन किए गए संभावित जिलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन जिलों के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य कोई योजना के तहत मातिस्यकी विकास के लिए की गई पहल भी शामिल हैं, विचार किया जाएगा। आगे, उप जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था को उप-जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.यू.) को संबोधित किया जाएगा।

	संविदा जनशक्ति			
(i)	जिला कार्यक्रम उप-प्रबंधक (एस.डी.पी.एम.)	एक (1) 35000 / – रुपये तक प्रति माह तक	आवश्यक: क) मातिस्यकी विज्ञान में स्नातक/प्राणी विज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री विज्ञान एम.एस.सी./समुद्री जीव-विज्ञान में एम.एस.सी. ख) सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान आयु: 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अनुभव: मातिस्यकी और जलकृषि के किसी भी क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यक्षेत्र अनुभव	
2	उप जिला कार्यक्रम इकाई के लिए कार्यालय खर्च	एकमुश्ति 5000/- रुपये तक प्रति माह तक		

अनुबंध-X

जी.एफ.आर.12—सी
(नियम 239 देखें)

(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की लागू की गई परियोजनाओं के लिए)

भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (निर्दिष्ट सुविधा का नाम) के निर्माण और विकास के लिए जो प्रस्तावित भूमि..... (स्थान) में है जिसकी माप..... है, सर्वे/पट्टा/प्लाट न..... है, वह अतिक्रमण और भारग्रस्तता से मुक्त है।

उक्त भूमि..... निर्माण/विकास के लिए..... वर्षों की अवधि के लिए पट्टा पर सरकारी निर्धारण/स्वामित्व/खरीद पर ली गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि (कार्यान्वयन एजेंसी) के कब्जे में है।

सचिव (मत्स्यपालन)
भारत सरकार
मत्स्यपालन विभाग

स्थान :.....

तारीख :.....

अनुबंध-XI

(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की लागू की गई परियोजनाओं से विभिन्न अन्य परियोजना के लिए)

(एजेंसी का नाम (या सरकारी शीर्ष पत्र पैड)

सं. दिनांक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण / विकास के लिए जो प्रस्तावित भूमि (या) जलाशय हैं, (निर्दिष्ट सुविधा का नाम) जो जो (स्थान) जिसकी माप.....है, सर्वे / पट्टा / प्लॉट नं. है, वह अतिक्रमण और भारग्रस्ता से मुक्त है।

* उक्त भूमि के निर्माण / विकास के लिए पी.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / स्वनिहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख या सरकार द्वारा आवंटित की गई तारीख से..... की अवधि के लिए स्वामित्व या लीज पर ली गई है।

* के निर्माण / विकास के लिए उक्त जलाशय.... की अवधि के लिए सरकार द्वारा लीज / परमीट पर दिया गया है

* भूमि की दशा में

** जलाशय की दशा में

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
(आधिकारिक मुहर के साथ यदि कोई हो)

स्थान :

तारीख :

अनुबंध-XII-क

2.

3.

4.

5.

जी.एफ.आर.12—सी
(नियम 239 देखें)

**उपयोग प्रमाण पत्र का प्रारूप (राज्य सरकार के लिए)
(जहाँ केवल सरकारी निकायों द्वारा व्यय किया गया है)**

क्रम सं. पत्र संख्या मात्रा प्रमाणित किया जाता है कि रु. में से वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुदान के पक्ष और तारीख में मार्जिन में मंत्रालय/विभाग पत्र संख्या के तहत दिया गया रु..... | पिछले वर्ष की राशि के अध्ययित शेष के कारण रूपये का उपयोग के लिए किया गया है। जिसके लिए यह मंजूर किया गया था और शेष राशि | के लिए जिसे मंजूर किया गया और शेष राशि वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष को सरकार के खाते में अभ्यर्पित कर दिया गया है। सं..... दिनांक द्वारा अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान की ओर समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों के आधार पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह देखने के लिए मैंने निम्नलिखित जांच की है कि उक्त धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई थी।

निम्नलिखित ने जांच की

1.

हस्ताक्षर

पद

तारीख

टी॥णी: स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग प्रमाण—पत्र में स्टोर तथा परिसंपत्ति सम्पाद्यरों, निर्माण एजेंसियों तथा ऐसी अन्य एजेंसियों के किए गए व्यय तथा दिए गए ऋणों और अग्रिमों को अलग से दर्शाया जाएगा और स्कीम के उन उद्देश्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा जो इस स्तर पर व्यय का हिस्सा नहीं बनते हैं। इन्हें उपयोग किया गया व्यय माना जाएगा किन्तु आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

अनुबंध-XII-ख

जी.एफ.आर.12—ए
(नियम 238 (1) देखें)

**अनुदानग्राही संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए
उपयोग प्रमाण पत्र का प्रारूप**

आवर्ती/अनावर्ती सहायता अनुदान/वेतन/पूँजीगत परिसंपत्तियों
के बारे में वर्ष..... के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान
3. वित्तीय वर्ष के आरंभ में अनुदान की स्थिति
 - (i) हाथ में/बैंक में रोकड़
 - (ii) गैर-समायोजित अग्रिम
 - (iii) कुल
4. प्राप्त अनुदान किया गया व्यय और अंतशेष का विवरण: (वास्तविक)

वर्ष में प्राप्त अनुदान की खर्च न की गई राशि (क्रं.सं. 3 (iii) के अनुसार)	उस पर अर्जितब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्धन राशि (1 + 2— 3 + 4)	किया गया व्यय	अंतशेष (5—6)
1	2	3	4	5	6	7
			संस्वीकृति सं. (i)	तारीख (ii)	राशि (iii)	

अनुदान का घटक वार उपयोग:

सहायता—अनुदान सामान्य	सहायता—अनुदान वेतन	सहायता अनुदान—पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन	कुल
-----------------------	--------------------	---	-----

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) हाथ में/बैंक में रोकड़
- (ii) गैर-समायोजित अग्रिम
- (iii) कुल

प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूँ कि अनुदान जिन शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया गया था, उनका विधिवत रूप से पूरा कर लिया गया है/ पूरा किया जा रहा है एवं और यह नजर रखने के लिए मैंने निम्नलिखित की जांच की है: कि धनराशि का उपयोग

वास्तविक रूप से प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह मंजूरी की गई थी।

- (i) मुख्य खाते और अन्य सहायक खाते और रजिस्टर (परिसम्पत्ती सहित) संगत अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों में यथा विहित र रखे गये हैं (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा विधिवत परीक्षित किए गए हैं। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े का वित्तीय विवरण/ खातों में उल्लेखित लेखा परीक्षित

- आंकड़ों के साथ मिलान कर लिया गया है।
- (ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं, वित्तीय निवेशों के सामने भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों की निगरानी रखने, परिसंपत्ति निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई ऐसा लेन देन नहीं किया गया है, जो प्रासंगिक अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है।
- (iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट शब्दों में सौंपा गया है न कि सामान्य प्रकृति के रूप में।
- (v) इसका फायदा संबंधित लाभार्थियों को दिया गया था और इसमें केवल ऐसे क्षेत्रों/जिलों को शामिल किया गया था जहां इस योजना को संचालित करने का इरादा था।
- (vi) योजना के विभिन्न घटकों पर किया गया व्यय योजना के दिशानिर्देशों और सहायता अनुदान की निबन्धन-शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।
- (vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि ... (योजना का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यथा विहित अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और निधि के उपयोग के लिए उस वर्ष के कार्य निष्पादन के परिणामों का विवरण अनुलग्नक-I – विधिवत संलग्न में दिया गया है।
- (viii) निधि के उपयोग होने का परिणाम अनुलग्नक-II में विधिवत दिया गया है (जो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी अपेक्षाओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने होते हैं।
- (ix) एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान-सहायता के माध्यम से संस्था द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है (जो सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी अपेक्षाओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने होते हैं।


तारीख
स्थान

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम
मुख्य वित्त अधिकारी
(वित्त प्रमुख)

नाम
संगठन प्रमुख



मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार